अध्याय-I

1. प्रस्तावना

1.1 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) देश के भीतर मिशन पद्धति से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (यूईई) के लक्ष्य की पूर्ति करने के उद्देश्य से भारत सरकार का एक व्यापक और एकीकृत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राज्य सरकारों और स्थानीय स्वशासनों की भागीदारी से शुरू किए गए एसएसए कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि 2010 तक 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक शिक्षा प्रदान की जाए।

1.2 सर्व शिक्षा अभियान इन उद्देश्यों के साथ 2000-01 में शुरू किया गया था कि (क) 2003 तक सभी बच्चे स्कूल शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, 'वापिस स्कूल चलो' शिविर में शामिल; (ख) सभी बच्चों द्वारा 2007 तक पांच वर्षों की प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी करना; (ग) सभी बच्चों द्वारा 2010 तक आठ वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करना; (घ) जीवनपर्यन्त शिक्षा पर बल देते हुए सन्तोषजनक स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना; (ड.) प्राथमिक स्तर पर 2007 तक सभी लैंगिक और सामाजिक विषमताओं को पाटना तथा (च) 2010 तक शतप्रतिशत बच्चों को शिक्षा में बनाए रखना।

1.3 एसएसए के घटकों में ये शामिल हैं (क) सूक्ष्म आयोजना, पारिवारिक सर्वेक्षणों, अध्ययनों, सामुदायिक अभिप्रेरण, स्कूल आधारित क्रियाकलापों, कार्यालयी उपस्कर, सभी स्तरों पर प्रशिक्षण और दिशाअनुकूलन के लिए प्रारम्भिक क्रियाकलाप (ख) अध्यापकों की नियुक्ति (ग) नए प्राथमिक तथा ईजीएस/एआईई केन्द्रों जैसी वैकल्पिक स्कूली सुविधाएं उपलब्ध कराना (घ) उच्च प्राथमिक स्कूल खोलना (ड.) अतिरिक्त क्लासरूमों का निर्माण करना तथा अन्य सुविधाएं (च) सभी लड़कियों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें (छ) स्कूल भवनों का रखरखाव तथा मरम्मत (ज) ईजीएस का नियमित स्कूलों के रूप में स्तरोन्नयन होने पर अथवा नया प्राथमिक स्कूल खोले जाने पर प्राथमिक स्कूलों के लिए अध्यापन अधिगम उपरकण (झ) उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए टीएलई (ञ) स्कूल अनुदान (ट) अध्यापक अनुदान (ठ) अध्यापक प्रशिक्षण (ड) एसआईईएमएटी खोलना (ढ) सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण (ण) विकलांग बच्चों के लिए व्यवस्था (त) अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण तथा मानीटरन (थ) प्रबन्ध लागत (द) बालिकाओं की शिक्षा, प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा के लिए नवाचारी क्रियाकलाप तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति समुदायों के बच्चों के लिए, विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा के लिए हस्तक्षेपणीय उपाय (ध) बीआरसी/सीआरसी की स्थापना तथा (न) स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए हस्तक्षेपणीय उपाय।

1.4 एसएसए कार्यक्रम में सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में व्यापक क्रियाकलाप किए जाने होते हैं और इस आशय की जरूरत महसूस की गई है कि इस कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन और प्रबन्ध के लिए उपयुक्त वित्तीय प्रबन्ध प्रणालियां और अधिप्राप्ति क्रियाविधियां एक स्थान पर रखी जाएं।

1.5 इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीईईएण्डएल) को सौंपी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर एक महापरिषद, एक कार्यकारी समिति और एक परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) है। नीति, योजनाओं के मूल्यांकन, राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों को निधियां जारी किए जाने, कार्यक्रम की समग्र समीक्षा, राज्यों को तकनीकी सहयोग, अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण, मानीटरन आदि सम्बन्धी कार्य प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किए जाते हैं।

1.6 राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21वां) के अधीन पंजीकृत एक राज्य कार्यान्वयन सोसायटी द्वारा एक महापरिषद तथा कार्यकारी समिति सहित मिशन पद्धति से कार्यान्वित किया जाता है।

1.7 जिला स्तर पर स्थिति अनुसार जिला कलक्टर अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में जिला परियोजना कार्यालय इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है। यह कार्यालय जिले में पंचायती राज संस्थानों नामतः जिला परिषद, ब्लाक विकास समिति तथा ग्राम पंचायतों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान करता है।

1.8 ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति एक महत्वपूर्ण इकाई है जो कि एक तरफ तो स्थानीय समुदाय का सहयोग और सहभागिता प्राप्त करके बुनियादी शिक्षा प्रणाली को सहयोग प्रदान करती है और साथ ही गांव में एसएसए के कार्यान्वयन पर निगाह रखती है। वीईसी को एसडीएमसी, एमटीए, पीटीए महिला समूहों आदि जैसे अन्य ग्रासरूट स्तर के तंत्रों का सहयोग प्राप्त होता है।

1.9 भारत सरकार ने हाल ही में प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए एसएसए के अधीन एक अलग घटक के रूप में 'प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल)' नामक एक नए कार्यक्रम को मंजूरी दी है। एसएसए राज्य कार्यान्वयन समिति, राज्य स्तर पर एनपीईजीईएल की कार्यान्वयन एजेंसी है। जिन राज्यों में महिला समाख्या (एमएस) कार्यक्रम सक्रिय है, वहां एसएसए सोसायटी एनपीईजीईएल को एमएस सोसायटी के माध्यम से कार्यरूप देगी।

2. सामान्य

2.1 जबकि नियम पुस्तिका में दिए गए प्रावधान अनिवार्य हैं, तो भी एसएसए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसायटी वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन सहित सुपरिभाषित वित्तीय नियम और विनियम बनाएगी। इस दस्तावेज में दिए गए नियम, विनियम और कार्यविधियां कार्यकारी समिति द्वारा औपचारिक रूप से अपना ली जानी चाहिए तथा नियम पुस्तिका में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नियम और विनियम बनाए जाने चाहिए।

2.2 कुछ राज्यों ने डीपीईपी के अधीन पहले ही कम्प्यूटरीकृत वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली तैयार कर ली है और वित्तीय प्रबन्ध रिपोर्टें इस प्रणाली के जरिए तैयार की जा रही हैं। उनके द्वारा एसएसए प्रयोजनों के लिए उन्हें समुचित रूप से अपनाया जा सकता है जबकि दूसरे राज्यों को यथासंभव एक बेहतर वित्तीय नियंत्रण के लिए एक कम्प्यूटरीकृत वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली तैयार करने पर भी विचार करना चाहिए।

3. वित्तीय प्रबन्ध और अधिप्राप्ति

3.1 वित्तीय प्रबन्ध में आयोजना, बजट निर्माण, लेखांकन, वित्तीय रिपोर्टों की प्रस्तुति, आन्तरिक नियंत्रण, लेखापरीक्षा, अधिप्राप्ति, वितरण और कार्यक्रम का वास्तविक निष्पादन जैसी बातें

इकट्ठी हो जाती हैं ताकि कार्यक्रम के संसाधनों का समुचित बन्दोबस्त किया जाए और कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। निर्णय लेने और कार्यक्रम की सफलता की दृष्टि से ठोस वित्तीय प्रबन्ध एक महत्वपूर्ण इन्पुट होता है। सामयिक और संगत वित्तीय जानकारी बेहतर निर्णयों के लिए आधार प्रदान करती है और इस प्रकार कार्यक्रम की वास्तविक प्रगति में तथा निधियों की उपलब्धता में तेजी लाती है और देरियों तथा बाधाओं को कम करती है।

3.2 वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली को ऐसी सामयिक, संगत और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए जो कि कार्यक्रम प्रबन्धक तथा राज्य/केन्द्रीय सरकारें, एसएसए की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने, सहमत क्रियाविधियों के सन्दर्भ में अनुपालन का मानीटरन करने और इसके लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का जायजा लेने की स्थिति में हो सके। इन अपेक्षाओं की पूर्ति की दृष्टि से इस प्रणाली में निम्न विशेषताएं शामिल होनी चाहिए।

(क) **आयोजनाः** कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जरूरतों का पता लगाने, उनकी तरफ ध्यान देने के लिए कार्यनीतियां और दृष्टिकोण तैयार करने तथा उपयुक्त हस्तक्षेपणीय उपाय और क्रियाकलाप हाथ में लेने के निमित्त एक प्रणाली।

(ख) **बजट निर्माणः** कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक अल्पकालीन क्रियाकलाप अभिज्ञात करने और इन क्रियाकलापों को वित्तीय अर्थों में प्रस्तुत करने की एक प्रणाली।

(ग) **लेखांकनः** वित्तीय लेनदेन का पता लगाने, विश्लेषण और संक्षेपण करने की एक प्रणाली।

(घ) **निधि प्रवाह व्यवस्थाः** सभी स्रोतों से निधियां प्राप्त करने तथा उन्हें कार्यक्रम कार्यान्वयन से जुड़ी एजेंसियों के बीच संवितरित करने की उपयुक्त व्यवस्था।

(ङ.) **रिपोर्टें प्रस्तुत करनाः** एक ऐसी प्रणाली जो कि कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए पर्याप्त विस्तृत जानकारी पैदा करेगी तथा निर्णय लेने के लिए एसएसए प्रबन्ध के प्रत्येक स्तर पर नियमित रूप से समेकित वित्तीय विवरण उपलब्ध कराएगी।

(च) **आन्तरिक नियंत्रणः** इस आशय का समुचित आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा सहित व्यवस्थाएं कि (i) क्रियाकलाप प्रभावी ढंग से तथा दक्षतापूर्वक और एसएसए के अनुरूप कार्यान्वित किए जा रहे हैं (ii) वित्तीय और कार्यचालनात्मक रिपोर्टें विश्वसनीय हैं (iii) नियमों और विनियमों का पालन किया जा रहा है; तथा (iv) परिसम्पत्तियां और अभिलेख रखे जा रहे हैं।

(छ) **बाह्य लेखापरीक्षाः** भारत सरकार के साथ सहमत विचारार्थ विषयों के आधार पर एक सांविधिक लेखापरीक्षा के माध्यम से वार्षिक बाह्य लेखापरीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था। भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के माध्यम से लेखापरीक्षा भी जरूरी है।

(ज) **अधिप्राप्तिः** किफायत, कार्यकुशलता, पारदर्शिता तथा सभी के लिए समान अवसरों की बातें ध्यान में रखते हुए पदार्थों, निर्माण कार्यों और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए एक प्रणालक

(झ) **वित्तीय क्रियाविधि नियम पुस्तिकाः** एक ऐसी नियम पुस्तिका जो कि वित्तीय जिम्मेदारियों से लैस सभी कार्मिकों के मार्गदर्शन के लिए कार्यक्रम की इस उद्देश्य से वित्तीय नीतियां और कार्यविधियां निर्धारित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम के संसाधनों की देखभाल समुचित रूप से की जाती है और उनकी हिफाजत की जाती है।

(ञ) **वित्तीय प्रबन्ध स्टाफ व्यवस्थाः** समुचित रूप से योग्य लेखांकन और आन्तरिक लेखापरीक्षक स्टाफ सहित, वित्तीय प्रबन्ध स्टाफ जिसके ऊपर वित्तीय प्रबन्ध क्रियाकलापों को कार्यरूप देने के निमित्त स्पष्टतः परिभाषित भूमिकाएं और दायित्व सौंपे गए हों।

अध्याय-II
आयोजना प्रक्रिया और वित्तीय आयोजना

4. आयोजना के लक्ष्य

4.1 एसएसए, जिला आधारित, विकेन्द्रीकृत, स्थिति विशिष्ट आयोजना और कार्यान्वयन कार्यनीतियों के जरिए एक मिशन पद्धति से उत्तम स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण करने की दिशा में एक पहल है। प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रमों की आयोजना और आपूर्ति के सभी पक्षों में समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक और लैंगिक विषमताओं को पाटने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

4.2 विभिन्न एजेंसियों की अन्य सामाजिक क्षेत्र योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ तालमेल स्थापित करना और उनसे लाभ उठाना एसएसए का एक ध्यातव्य क्षेत्र है। यह कार्यक्रम सभी जिलों को उत्तम स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा की परिकल्पना तैयार करने और अपनी जरूरतों, स्थानीय माहोल तथा योजनाओं को कार्यान्वित करने की उनकी क्षमता के अनुरूप जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाएं (डीईईपी) तैयार करने की छूट देता है। जिलों को यूईई के लिए अपने लक्ष्य तय करने और डीईईपी के अधीन नियोजित हस्तक्षेपणीय उपायों को कार्यरूप देने के निमित्त एक स्थिति-अनुकूल तंत्र अपनाने की स्वायत्तता प्राप्त होती है। इसका उद्देश्य यह है कि राज्यों और जिलों के मौजूदा शैक्षिक तंत्रों का सुदृढ़ीकरण किया जा सके जिससे कि वे एसएसए के अधीन डीईईपी के कार्यक्रम हाथ में ले सकें।

4.3 आयोजना प्रक्रिया के प्रमुख लक्ष्य ये हैं कि योजनाकारों को आयोजना के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए और आवश्यकता-आधारित योजनाएं तैयार करने के लिए सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। एसएसए कार्यतंत्र के अध्याय II में तथा योजनाओं का मूल्यांकन 2002 के खण्ड II और III में एसएसए में विस्तृत आयोजना प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योजनाएं तैयार करते समय इन प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए।

5. आयोजना दलों की पहचान

5.1 योजना निर्माण के काम में आयोजना दलों में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन संभवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। एसएसए कार्यक्रम में ग्राम, ब्लाक तथा जिला स्तरों पर कोर आयोजना दलों का गठन किए जाने की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक ग्राम/बस्ती में ग्रासरूट स्तर के दल को पीआरआई तथा वीईसी सहित ग्रासरूट स्तर के तंत्रों, सामुदायिक नेताओं, अध्यापकों तथा अभिभावकों को व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करना होगा। इस दल का गठन करने का उद्देश्य यह है कि बच्चों की शिक्षा में सभी पणधारियों को शामिल किया जाए। इसी प्रकार ब्लाक स्तर पर एक कोर आयोजना दल होना चाहिए। योजनाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर समर्पित व्यक्तियों का एक दल होना चाहिए और यदि संभव हो तो जिला स्तर पर अपेक्षतया एक अधिक बड़ा दल होना चाहिए। जिला स्तर पर सलाहकार निकाय में शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, समाज कल्याण, महिला और बाल विकास, जनजातीय

कल्याण, पीएचईडी, एनजीओ आदि जैसे विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। ऐसा करने से 'अभिसरण' सुनिश्चित होगा और केवल सूचना के संग्रह में ही नहीं बल्कि कार्यान्वयन के समय भी यदि कोई कठिनाइयां उभर कर आती है तो उन्हें दूर करने में भी सहायता मिलेगी।

5.2 यह कोर जिला दल की जिम्मेदारी होगी कि वह विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रस्तावों की प्राथमिकताएं निर्धारित करके एसएसए कार्यतंत्र में दी गई क्रियाविधि के अनुसार योजनाएं तैयार करे। प्रत्येक कोर दल में कम से कम एक व्यक्ति वित्त और अधिप्राप्ति क्रियाविधियों से और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी कार्यकरण से भलीभांति परिचित होना चाहिए। दल के अन्य सदस्यों को जिलों में मौजूद सामाजिक-शैक्षिक परिदृश्य की समुचित जानकारी होनी चाहिए।

6. सहभागितापूर्ण आयोजना प्रक्रिया

6.1 एसएसए आयोजना के मामले में ऊपर से नीचे के बजाय नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण की बात सोची गई है क्योंकि इस तरह का दृष्टिकोण ग्रासरूट स्तर पर वास्तविक स्थिति को परिलक्षित करता है। आयोजना की प्रक्रिया प्रकृति से सहभागितापूर्ण होगी, क्योंकि आयोजना केवल यही नहीं कि पणधारियों के बीच स्वामित्व का अहसास उत्पन्न करती है, बल्कि जागरुकता भी पैदा करती है और विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों के क्षमता निर्माण में सहायता भी प्रदान करती है। इस तरह से तैयार की गई योजनाएं ऐसी होनी चाहिए कि वे स्थानीय विशिष्टता तथा लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को परिलक्षित करती हों और ये आवश्यकताएं तथा आकांक्षाएं समुदाय और लक्षित समूहों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान पर आधारित होती हैं। यह जरूरी है कि बस्ती स्तर की योजना निर्माण का प्रलेखन किया जाए ताकि यह प्रमाणित हो सके कि योजना सहभागितापूर्ण आयोजना प्रक्रिया के जरिए **बस्ती के स्तर** पर तैयार की गई है।

7. समुदाय और लक्षित समूहों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान

7.1 नीचे से ऊपर की तरफ का दृष्टिकोण अपना कर योजना बनाने की प्रक्रिया केवल यही नहीं कि आयोजना दल को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराएगी बल्कि उन समस्याओं के हल भी उपलब्ध कराएगी। इस तरह की बैठकों में बार-बार उभर कर आने वाली एक ही प्रकार की समस्याएं आयोजना दलों को तदनुसार हस्तक्षेपणीय उपाय सुझाने में मदद करेंगी। समुदाय और लक्षित समूहों के साथ इस तरह के वैचारिक आदान-प्रदान से केवल यही नहीं कि लक्षित समूहों की समस्याओं से परिचित होने का मौका उपलब्ध होता है और उन समस्याओं से निबटने के लिए कार्यनीतियां तैयार करने में मदद मिलती है, बल्कि सामुदायिक नेताओं के प्रभाव की सहायता से समुदायों के मत भी तदनुसार ढल जाते हैं।

8. परामर्शी बैठकें

8.1 ब्लाक तथा जिला स्तरों के कार्मिकों के साथ परामर्शी बैठकों से इन समस्याओं से निबटने के लिए कार्यनीतयां तैयार करने का काम कोर दलों के लिए सुकर बना जाएगा। इस तरह की बैठकें 'अभिसरण' लाने तथा विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न हस्तक्षेपणीय उपायों के साथ तालमेल स्थापित करने में भी सहायक होंगी। क्योंकि कार्यक्रम को कार्यरूप देने की जिम्मेदारी राज्य के शैक्षिक प्रशासन पर होती है, इसलिए यह जरूरी है कि उन्हें योजना तैयार करने की अवस्था में ही सहयोजित किया जाए।

8.2 परामर्शी बैठकों और समुदाय के साथ वैचारिक आदान-प्रदान के प्रलेखन से जिला और राज्य स्तर के अधिकारी तथा मूल्यांकन दलों को भी योजना तैयार करने की प्रक्रियाओं की जानकारी मिल सकेगी।

9. जानकारी की जरूरत तथा जानकारी का संग्रह

9.1 एसएसए एक समयबद्ध कार्यक्रम है और वह विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति को लेकर एक सुस्पष्ट आदेश सहित प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र के समग्र सुधार के प्रति वचनबद्ध है। एसएसए कार्यतंत्र में इस आशय का स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर निगाह रखना जरूरी है। अतः 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के सम्बन्ध में चाहे वे दाखिल हों या कभी भी दाखिल न हुए हों, स्कूल न जा सकने वाले बच्चे हों या स्कूली प्रणाली का अंग हों, निजी क्षेत्र के अथवा स्वायत्त निकायों/सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। इस प्रकार शैक्षिक आवश्यकताओं को लेकर एक गहन मूल्यांकन किया जाना होगा। हालांकि अधिकांश जानकारी स्कूलों/सरकारी विभागों में उपलब्ध हो सकती है, तो भी ग्रामीण अथवा शहरी-प्रत्येक बस्ती में पारिवारिक सर्वेक्षण और सूक्ष्म आयोजना जरूरी है ताकि प्रत्येक बच्चे की स्थिति का पता लगाया जा सके। निम्न जानकारी इकट्ठी करना और उसे एक तालिका रूप में जिला योजना में शामिल करना जरूरी है।

9.2 जिलों की जनसंख्या के शहरी और ग्रामीण, स्त्री-पुरुषवार, ब्लाकवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यकों के स्त्री-पुरुष-वार अद्यतन आंकड़े योजना में **तालिका 1** में दिए गए प्रपत्र में उपलब्ध कराए जाने चाहिए। शहरी क्षेत्रों की योजनाएं तैयार करते समय नगरपालिकाओं और नगर निगमों को आयोजना की इकाई के रूप में समझा जाना चाहिए। संदर्श योजनाओं के मामले में दाखिलों, शिक्षा में बने रहने और 'स्कूल न जा सकने वाले बच्चों' की संख्या सम्बन्धी अनुमान प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

9.3 स्त्री-पुरुषवार, विशिष्ट ध्यातव्य समूह-वार साक्षरता दरें योजना में **तालिका 2** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

9.4 सीडी ब्लाकों, शैक्षिक ब्लाकों, बीआरसी, सीआरसी, गांवों और पंचायतों की संख्या से सम्बन्धित बुनियादी संकेतक योजना में **तालिका 3** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

9.5 जिन बस्तियों में शैक्षिक सुविधाएं सुलभ नहीं हैं, उनसे सम्बन्धित जानकारी योजना में **तालिका 4** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

9.6 6-11, 11-14 आयुवर्ग के बच्चों की आयुवार तथा बालिका-बालक-वार, अनुसूचति जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक-शहरी और ग्रामीण के हिसाब से अद्यतन जानकारी योजना में **तालिका 5** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी चाहिए। सदंर्श योजनाओं के मामले में निजी/गैर-सहायताप्राप्त स्कूलों की सूचना सहित इस सूचना के 10 वर्ष के लिए अनुमान प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

9.7 6-14 आयुवर्ग के बच्चों के दाखिले तथा जो बच्चे कभी भी दाखिल नहीं हुए हैं और जिन्होंने शिक्षा बीच में छोड़ दी है-दोनों श्रेणियों के स्कूल न जा सकने वाले बच्चों से सम्बन्धित शैक्षिक आंकड़े योजना में **तालिका 6** में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

9.8 6-8, 8-11 तथा 11-14 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों के लिए ईजीएस तथा एआईई के निमित्त आयोजना सम्बन्धी आंकड़े योजना में **तालिका 7** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

9.9 स्कूल न जा सकने वाले बच्चों की संख्या तथा उनके स्कूल न जा सकने के कारण योजना में **तालिका 8** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

9.10 स्कूल न जा सकने वाले बच्चों को शामिल करने और उनके लिए योजना बनाने सम्बन्धी ब्योरे योजना में **तालिका 9** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

9.11 6-14 आयुवर्ग के बच्चों में से शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों, जीईआर, एनईआर तथा एक ही कक्षा में दोबारा से पढ़ने वाले बच्चों से सम्बन्धित शैक्षिक आंकड़े योजना में **तालिका 10** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

9.12 पूर्ति दरों, प्राथमिक स्नातकों की संख्या तथा प्राथमिक से उच्च प्राथमिक कक्षाओं में चढ़ने वाले बच्चों के स्कूल-वार, प्रबन्धन-वार शैक्षिक आंकड़े योजना में **तालिका 11** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इस जानकारी में चालू वर्ष से पहले के 4-5 वर्षों की अवधि शामिल होनी चाहिए और बेहतर है यदि ऐसी जानकारी ब्लाक-वार प्रस्तुत की जाए।

9.13 ईजीएस केन्द्रों के ब्लाक-वार ब्योरे योजना में **तालिका 12** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

9.14 प्रबन्धन-वार स्कूलों की संख्या, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या (माध्यमिक स्कूलों से सम्बद्ध सेक्शन) योजना में **तालिका 13** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

9.15 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों, एकल अध्यापक स्कूलों में अध्यापकों के भरे हुए, रिक्त, स्वीकृत पदों की संख्या तथा महिला अध्यापकों का प्रतिशत योजना में **तालिका 14** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बेहतर हो यदि इस तरह के आंकड़े स्त्री-पुरुषवार और ब्लाक-वार प्रस्तुत किए जाएं। इन आंकड़ों के आधार पर छात्र अध्यापक अनुपात (पीटीआर) योजनाओं में प्रस्तुत किए जाने होंगे।

9.16 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर--दोनों में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित अध्यापकों के ब्योरे योजना में **तालिका 15** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

9.17 सरकारी स्कूलों में मौजूद आधारिक सुविधाओं, स्कूलों की कुल संख्या, ऐसे स्कूलों की संख्या जिनके भवन नहीं है, खस्ताहाल स्कूलों की संख्या, पक्के क्लासरूमों की कुल संख्या, मरम्मतयोग्य क्लासरूमों की संख्या, यूपीएस से युक्त एचएम कमरों की संख्या, पेयजल सुविधाओं, लड़कों और लड़कियों-दोनों के लिए शौचालय सुविधाओं आदि, चारदीवारी, खेल के मैदान, मध्याह्न भोजन के लिए रसोई आदि से युक्त स्कूलों की संख्या योजना में **तालिका 16** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

9.18 ऐसे उच्च प्राथमिक स्कूल जो कि टीएलई के प्रयोजनों के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अधीन शामिल नहीं है, उनकी संख्या योजना में **तालिका 17** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

9.19 अभिज्ञात विकलांग बच्चों के ब्योरे योजना में **तालिका 18** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

9.20 स्कूलों के लिए मरम्मत और रखरखाव अनुदान के प्रयोजन के लिए 3 अथवा 3 से अधिक क्लासरूमों वाले स्कूलों की संख्या विषयक आंकड़े योजना में **तालिका 19** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

10. अनुसंधान अध्ययन, आंकड़ा विश्लेषण और योजनाओं में उपयोग

10.1 एसएसए कार्यतंत्र में निम्न के बारे में आधारभूत स्तर मूल्यांकन अध्ययन किए जाने की परिकल्पना की गई है (क) अधिगम उपलब्धि (ख) शिक्षा में बने रहना (ग) शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता (घ) लैंगिक समानता (ड.) सामाजिक समानता तथा (च) भौतिक आधारिक सुविधाएं आदि।

10.2 (क) सभी गैर-डीपीईपी जिलों में प्राथमिक स्तर तथा (ख) सभी जिलों में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए आधारभूत स्तर उपलब्धि परीक्षा एनसीईआरटी द्वारा अयोजित की जाएगी। इस तरह के अध्ययन प्रकृति से नैदानिक होने चाहिए और आयोजना प्रक्रिया में उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। आंकड़ों की प्रस्तुति में संगति सुनिश्चित करने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

10.3 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहां तक संभव हो सके शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली (डीआईएसई) का प्रयोग आयोजना प्रक्रिया के लिए किया जाता है। आंकड़ों का स्रोत स्पष्टतः आंकड़ों के नीचे निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

11. आयोजना में उपाय

11.1 जिला शिक्षा कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण/स्थापना और जिला/ब्लाक/संकुल स्तर पर कार्मिकों का चयन।

11.2 जिला, ब्लाक और ग्राम स्तर पर कोर आयोजना दलों का गठन।

11.3 इन दलों का प्रशिक्षण और दिशा-अनुकूलन।

11.4 सूक्ष्म आयोजना तथा पारिवारिक सर्वेक्षणों के लिए जानकारी तथा प्रारम्भिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यकता का मूल्यांकन।

11.5 विभिन्न आंकड़ों का संग्रह, सर्वेक्षण और आधारभूत स्तर अध्ययन करना।

11.6 कोर दलों द्वारा प्रत्येक बस्ती का दौरा, समुदाय के साथ वैचारिक आदान-प्रदान तथा सहभागितापूर्ण आयोजना सुनिश्चित करते हुए परामर्शी बैठकें।

11.7 एसएसए कार्यतंत्र में बताए अनुसार सभी हस्तक्षेपणीय उपायों सहित बस्ती/संकुल/ब्लाक योजनाओं का समेकन करते हुए योजना का प्रारूप तैयार करना जिसमें लागत निर्धारण मानदण्डों और परामर्शी बैठकों में चर्चा के अनुरूप किया जाएगा।

11.8 योजना का संशोधित प्रारूप तैयार करना और राज्य संसाधन व्यक्तियों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान।

11.9 योजना का अन्तिम प्रारूप तैयार करना।

12. परिस्थितगत विश्लेषण

12.1 प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (यूईई) के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अधीन तैयार की गई राज्य घटक योजना से यह अपेक्षा की जाती है कि उसमें राज्य सम्बन्धी सामान्य जानकारी शामिल होगी। इसी प्रकार यूईई के उद्देश्य से तैयार की गई जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना

(डीइईपी) की शुरूआत स्वयं जिले के परिचय के साथ होनी चाहिए। क्षेत्र से सम्बन्धित सामान्य जानकारी इन बातों की ओर केन्द्रित होनी चाहिएः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, समाजार्थिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएं, भौगोलिक स्थितियां, प्रशासनिक ढांचा, जनांकिकीय विशेषताएं, साक्षरता परिदृश्य और इसी तरह की अन्य बातें। इस दस्तावेज में इन पक्षों से सम्बन्धित विभिन्न संकतकों से सम्बन्धित जानकारी शामिल रहनी चाहिए।

13. राज्य और जिला रूपरेखा

13.1 राज्य और जिले की रूपरेखा इतनी व्यापक होनी चाहिए कि वह राज्य और जिलों की स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करती हो। यह जरूरी है कि राज्य और जिला योजनाओं में शामिल जानकारी में राज्य और जिला रूपरेखा के सभी महत्वपूर्ण पक्ष समुचित रूप से समाहित कर लिए गए हों।

13.2 जिला रूपरेखाओं को इन विषयों पर जिला-वार जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिएः ब्लाकों, संकुलों, गांवों, पंचायतों, बस्तियों, स्कूलविहीन बस्तियों की संख्या, जनसंख्या का घनत्व, लैंगिक अनुपात, जनसंख्या की वृद्धि दर, शहरी जनसंख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत तथा इसी तरह के अन्य विषय।

14. राज्य और जिला योजनाएं

14.1 निर्धारित समयावधि के भीतर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए संदर्श और वार्षिक-दोनों तरह की राज्य घटक योजना होगी। ऊपर बताए अनुसार जिलों द्वारा तैयार की गई सभी तालिकाएं राज्य स्तर पर समेकित की जानी चाहिए और उन्हें विभिन्न मदों की बाबत जिलों के बीच भिन्नताएं दर्शाने के निमित्त विश्लेषण सहित राज्य घटक योजना में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

14.2 प्रत्येक जिला एक संदर्श योजना और वार्षिक कार्य योजना तथा बजट (एडब्ल्यूपी तथा बी) भी तैयार करेगा जिसे जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना (डीईईपी) भी कहते हैं।

15. शैक्षिक रूपरेखा

15.1 क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के अधीन जिले को एक जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना (डीईईपी) तैयार करनी होती है, इसलिए बल प्रारम्भिक शिक्षा पर रहेगा जिसका अर्थ यह है कि उसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर--दोनों शामिल होंगे। इन योजनाओं को शिक्षा के उच्चतर स्तरों यथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा, उच्च, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित जानकारी भी संक्षेप में प्रस्तुत करनी चाहिए। तथापि डीईईपी में शिक्षा के इन स्तरों से सम्बन्धित जानकारी की आवश्यकता नहीं रहती।

15.2 जिला प्रारम्भिक शिक्षा परिदृश्य प्रस्तुत करने का प्रयोजन यह है कि जिले में शैक्षिक स्थिति का निदान किया जाए और इस कारण इस खण्ड में प्रस्तुत आंकड़ों का उद्देश्य यह होना चाहिए कि शैक्षिक परिदृश्य को समझा जाए और शिक्षा के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों को लेकर जिले की क्षमताएं और दुर्बलताएं और साथ ही समस्याएं और कठिनाइयां भी प्रस्तुत की जाएं।

15.3 जिला शैक्षिक रूपरेखा खण्ड में निम्न विषयों से सम्बन्धित विवरण शामिल होने चाहिए (i) जिले में शैक्षिक प्रशासन; (ii) विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक सुविधाएं; (iii) प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत ब्योरे; (iv) जिले में कार्यान्वित राज्य और केन्द्र प्रायोजित योजनाएं; (v) विदेशों द्वारा

वित्तपोषित योजनाओं के ब्यौरे; (vi) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान; (vii) जिले में प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बद्ध समस्याएं और मुद्दे।

15.4 जिले में प्रारम्भिक शिक्षा परिदृश्य की प्रस्तुति में शैक्षिक स्थिति के समुचित निदान के निमित्त निम्न मदों की बाबत जानकारी शामिल होनी चाहिए-

(i) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूलों/सेक्शनों की ब्लाक-वार संख्या।

(ii) जिले में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं की ब्लाक-वार उपलब्धता की स्थिति।

(iii) निम्न वर्गीकरण सहित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों की ब्लाक-वार संख्या

(क) प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित अध्यापक

(ख) पुरुष/महिला अध्यापक

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यापक

(घ) अध्यापक-छात्र अनुपात

(ड.) स्वीकृत और रिक्त पदों की संख्या (अतिरिक्त अध्यापकों के युक्तिकरण और जरूरत के लिए)।

(iv) जिले में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर ब्लाक-वार नामांकन

(क) कक्षा-वार नामांकन

(ख) लैंगिक और सामाजिक श्रेणियों अर्थात् लड़कों, लड़कियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि का नामांकन।

(ग) सकल और शुद्ध नामांकन अनुपातः लड़के, लड़कियां, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति।

(v) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा बीच में छोड़ने वालों, एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ने वालों और अगली कक्षा में चढ़ने वालों की ब्लाक-वार दरें।

(vi) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के भवनों की ब्लाक-वार स्थिति।

(vii) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में स्कूली सुविधाओं की ब्लाक-वार स्थिति

(क) शिक्षण कक्ष तथा अन्य कक्ष (संख्या)

(ख) ब्लैक बोर्ड

(ग) पेयजल

(घ) खेल का मैदान

(ड.) शौचालय

(च) लड़कियों के लिए शौचालय

(छ) चारदीवारी

(ज) अध्यापकों और छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था

(झ) बिजली

(ञ) अध्यापन-अधिगम सामग्री

15.5 विशेष रूप से प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में जिला शैक्षिक रूपरेखा प्रस्तुत करते समय, जिला योजनाओं में निजी सहायताप्राप्त तथा गैर-सहायताप्राप्त (मान्यताप्राप्त) स्कूलों से सम्बन्धित सभी जानकारी भी शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा ईजीएस/एआईई केन्द्रों, अन्य वैकल्पिक स्कूलों आदि के बारे में स्कूलों, नामांकन और अध्यापकों आदि विषयक जानकारी भी दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योजना में प्रस्तुत शैक्षिक रूपरेखा केवल सरकारी स्कूलों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जिले के लिए हो।

16. समस्या और आवश्यकता अभिज्ञान

16.1 शैक्षिक स्थिति के निदान का उद्देश्य आमतौर पर जिले में प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति, आवश्यकताओं और कठिनाइयों को समझना होता है। शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता, नामांकन, बच्चों के शिक्षा में बने रहने और शिक्षा के स्तर से सम्बन्धित समस्याएं अभिज्ञात की जानी चाहिए और जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना (डीईईपी) तैयार करने की दिशा में यह पहला कदम है। योजनाओं में प्रस्तुत जिला शैक्षिक रूपरेखा को जिले में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित आवश्यकताओं, समस्याओं और मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। मात्र तालिका और चार्टों में तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत कर देना ही जिला रूपरेखा की प्रस्तुति का अन्त नहीं है। आंकड़ों का विश्लेषण और विश्लेषण के परिणाम के ब्यौरे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।

16.2 जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना तैयार करने के प्रयोजन से प्रारम्भिक शिक्षा के मुद्दों और समस्याओं को अभिज्ञात करने के निमित्त निम्न संभावित स्रोत हो सकते हैंः

(क) जिला शिक्षा रूपरेखा

(ख) निम्न स्तरीय योजनाएं (बस्ती और ब्लाक योजनाएं)

(ग) विभिन्न स्तरों पर सहभागितापूर्ण कार्रवाई

(घ) किए गए अध्ययन

(ड.) किए गए सर्वेक्षण (जनगणना, एनएफएचएस, पारिवारिक सर्वेक्षण अन्य)

(च) लैंगिक विश्लेषण; तथा

(छ) समानता विश्लेषण।

16.3 जिलों द्वारा तैयार किए गए डीईईपी दस्तावेज में परियोजना-पूर्व चरण में किए गए क्रियाकलाप शामिल होने चाहिए जिनमें उपर्युक्त क्रियाकलापों के ब्यौरे शामिल होंगे। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि दस्तावेज में 'मुद्दों और समस्याओं' सम्बन्धी खण्ड जिला रूपरेखा और आयोजना प्रक्रिया के पूर्व खण्डों से उभरना चाहिए। आयोजना प्रक्रिया सम्बन्धी खण्ड में बस्ती/ब्लाक योजना निर्माण कार्रवाई के ब्यौरे दिए जाने चाहिए, सहभागितापूर्ण कार्रवाई का प्रलेखन होना चाहिए और उसमें छात्रों तथा किए गए सर्वेक्षणों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए ताकि योजना तैयार की जा सके। इसलिए 'जरूरत और समस्या अभिज्ञान' विषयक खण्ड से यह अपेक्षा की जाती है कि उसमें 'जिला रूपरेखा' और 'आयोजना प्रक्रिया' के खण्डों के निष्कर्ष निष्ठापूर्वक व्यक्त किए गए हों। ऐसा करने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि खण्ड में निर्दिष्ट सभी समस्याएं मात्र आयोजना दल के सदस्यों के बोध के कारण नहीं बल्कि इन प्रक्रियाओं के कारण उभरी हैं।

17. उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारण

17.1 एसएसए के यूईई के लक्ष्य की पूर्ति की दृष्टि से बुनियादी लक्ष्यों की पूर्ति महत्वपूर्ण है और ये बुनियादी लक्ष्य हैंः सार्वजनीन सुलभता, सार्वजनीन नामांकन, बच्चों का शतप्रतिशत रूप से शिक्षा में बने रहना तथा सार्वजनीन उपलब्धि। सर्व शिक्षा अभियान के अधीन राष्ट्रीय स्तर पर इन चार उद्देश्यों के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनका उल्लेख एसएसए कार्यतंत्र में किया जा चुका है।

17.2 जिलों द्वारा तैयार की गई जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाओं को अपने लक्ष्य स्वयं तय करने होंगे और ऐसा करते समय जिलों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तथापि योजना तैयार करते समय जिलों से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि वे राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का अंधानुकरण करेंगे और उनके लिए यह जरूरी है कि वे स्वयं अपनी जिला विशिष्ट प्रतिबद्धताएं और लक्ष्य तय करें।

17.3 जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना तैयार करते समय सुलभता, नामांकन और बच्चों के शिक्षा में बने रहने तथा उपलब्धि स्तरों को लेकर लक्ष्य तय किए जाने चाहिए। जिला योजनाएं तैयार करते समय लक्ष्यों का निर्धारण करने के निमित्त निम्न महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिएः

(क) जिला योजनाओं में पृथक्कृत लक्ष्य निर्धारित किए जाने की जरूरत है जिसका अर्थ यह हुआ कि ब्लाक-वार लक्ष्य निर्धारण की कार्रवाई की जानी होगी। ऐसा करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नामांकन अनुपात अथवा बच्चों के शिक्षा में बने रहने के अनुपात तथा इसी तरह के प्राचलों के विकास की दृष्टि से जिले के विभिन्न ब्लाकों का स्तर अलग-अलग हो सकता है।

(ख) यह ज़रूरी है कि जिला योजनाएं चरणबद्ध रूप में लक्ष्यों का निर्धारण करें। सर्व शिक्षा अभियान ने 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति करने का उद्देश्य रखा है। आमतौर पर देखा गया है कि लक्ष्य, कार्यक्रम के अन्तिम वर्ष के लिए तय किए जाते हैं लेकिन सभी मध्यवर्ती वर्षों के लिए भी लक्ष्यों का निर्धारण करना समान रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से केवल यही नहीं कि निर्धारित लक्ष्यों के कार्यान्वयन को लेकर वर्ष दर वर्ष आधार पर की गई प्रगति का जायजा लेने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे कार्यान्वयन कार्यनीतियों की समीक्षा करने और यहां तक कि आने वाले वर्षों के लिए लक्ष्यों की समीक्षा करने और उन्हें संशोधित करने का काम भी सुकर बन जाएगा।

(ग) एसएसए का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सभी लैंगिक और सामाजिक वर्ग विषमताओं को पाटना है। अतः यह जरूरी है कि लड़कों, लड़कियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचति जनजातियों और सुविधाविहीन समूहों के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। कुछ समय के बाद लड़कों और लड़कियों तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य के बीच की विषमताएं कम हो जाएंगी। विषमताओं को घटाने का लक्ष्य आधार वर्ष में इन श्रेणियों के बीच मौजूद विषमता की मात्रा पर निर्भर होगा।

(घ) जिला योजना में सुलभता अथवा नामांकन या बच्चों के शिक्षा में बने रहने सम्बन्धी लक्ष्य निर्धारित करते समय यह जरूरी है कि इन घटकों को लेकर जिले की मौजूदा स्थिति पर दृष्टि डाली जाए और फिर तदनुसार ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए जाएं जो कि

यथार्थपूर्ण और प्राप्य होंगे। लक्ष्यों के निर्धारण की इस प्रक्रिया में इन संकेतकों को लेकर जिले में पिछले 5 से 10 वर्षों के दौरान की गई प्रगति एक महत्वपूर्ण इन्पुट होगा।

18. आवश्यकता आधारित आयोजना

18.1 एसएसए में आयोजना का अर्थ मात्र विभिन्न हस्तक्षेपणीय उपायों के लिए वित्तीय आबंटन करना नहीं है। हालांकि ऐसा करना अन्ततः जरूरी होता है तो भी आयोजना का पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि यह तय किया जाए कि एसएसए लक्ष्यों की पूर्ति के लिए क्या कुछ किए जाने की जरूरत है। एसएसए मानदण्डों के अर्थों में तथा तय की गई प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय आबंटन इसके बाद किए जा सकते हैं।

अध्याय-III
बजट निर्माण

19. संदर्श योजनाएं और वार्षिक योजनाएं

19.1 प्रत्येक एसएसए जिले को पारिवारिक सर्वेक्षण, सूक्ष्म आयोजना प्रक्रिया आदि के माध्यम से इकट्ठा किए गए आंकड़ों के आधार पर 2009-10 तक के लिए एक संदर्श योजना तैयार करनी है। इस प्रयोजन के लिए जिला स्तर पर 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार राजस्व जिले को आयोजना की इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। दो हिस्सों में न बांटे गए मूल जिलों में बाद में दो हिस्सों में बांटे गए जिलों से सम्बन्धित योजनाएं शामिल होंगी। तथापि संदर्श योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त अर्थात 2006-07 तक के लिए तय किए जाते हैं। संदर्श योजना को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष वार्षिक कार्ययोजना और बजट (एडब्ल्यूपी तथा बी) तैयार किए जाते हैं। संदर्श योजनाओं के साथ-साथ एडब्ल्यूपी तथा बी की जरूरत रहती है जिसका पहला कारण यह है कि संदर्श योजनाओं में कार्यनीतियों तथा प्रतिवर्ष किए जा सकने वाले क्रियाकलापों के ब्यौरे निर्दिष्ट किया जाना संभव नहीं होता और दूसरे यह कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रतिवर्ष सतत अधिगम तथा नई कार्यनीतियों का विकास होता रहता है। इसलिए यह जरूरी है कि प्रतिवर्ष उपलब्धियों और साथ ही बाधाओं का भी जायजा लिया जाए और फिर आगे की योजना बनाई जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि वार्षिक आयोजना स्थिति के सतत मूल्यांकन और एसएसए के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कार्यनीतियों और क्रियाक्रलापों के निर्धारण की प्रक्रिया है।

19.2 वार्षिक योजनाओं को संदर्श योजनाओं के एक पूरक के रूप में समझा जाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष का एडब्ल्यूपी तथा बजट संदर्श योजनाओं के लक्ष्यों के सन्दर्भ में इस आशय के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं कि कितनी प्रगति हुई है और भावी कार्यनीतियां कौनसी हैं। इसलिए वार्षिक योजनाएं बनाने के लिए जिले की संदर्श योजनाओं से परिचित होना भी जरूरी है। जिला आयोजना दलों के लिए यह जरूरी है कि अपने एडब्ल्यूपी एण्ड बी के लिए योजना बनाने से पूर्व वे अपने जिलों की संदर्श योजनाएं समझ लें और उनके बारे में चर्चा कर लें।

19.3 एसएसए के अधीन बजट प्रस्ताव एडब्ल्यूपी तथा बी के रूप में तैयार किए जाते हैं और उनमें एसएसए मानदण्डों में निर्दिष्ट सभी हस्तक्षेपणीय उपाय समाहित होते हैं। एक वर्ष के लिए मद-वार मांगें एडब्ल्यूपी तथा बी में शामिल रहती हैं। एडब्ल्यूपी तथा बी प्रस्तावों की परिकल्पना दो भागों में की जाती है, चालू वित्तीय वर्ष के लिए योजना और पिछले वर्ष की प्रगति का सिंहावलोकन जिसमें पिछले वर्ष के बच रहे क्रियाकलाप शामिल रहते हैं जिन्हें चालू वर्ष में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव होता है।

19.4 हस्तक्षेपणीय उपायों के लिए एडब्ल्यूपी तथा बी के लागत निर्धारण, इसके प्रस्तावित भौतिक और वित्तीय लक्ष्य, प्रगति का सिंहावलोकन और पिछले वर्ष के बच रहे क्रियाकलापों के लिए साफ्टवेयर राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है तथा एडब्ल्यूपी तथा बी के निर्माण के लिए उसका सभी राज्यों के साथ आदान-प्रदान किया गया है। लागत-निर्धारण तालिका का प्रपत्र **संलग्नक I** में दिया गया है।

19.5 साफ्टवेयर में एडब्ल्यूपी तथा बी के लागत निर्धारण भाग का निर्माण करने के लिए प्रयोक्ता नियम पुस्तिका भी राष्ट्रीय स्तर पर तैयार कर ली गई है और साफ्टवेयर सहित सभी राज्यों के साथ उसका आदान-प्रदान किया गया है।

19.6 योजना में प्रयुक्त बजट शीर्ष और बजट कोड एसएसए कार्यतंत्र में निर्धारित क्रमशः हस्तक्षेपणीय उपायों और मानदण्ड संख्या के समान होने चाहिए।

20. संदर्श योजनाओं और वार्षिक कार्य योजना तथा बजट का निर्माण

20.1 एसएसए कार्यतंत्र में विभिन्न हस्तक्षेपणीय उपायों के अधीन **संलग्नक II** में बताए अनुसार वित्तीय मानदण्डों की परिकल्पना की गई है। योजनाओं में विभिन्न हस्तक्षेपणीय उपायों के अधीन परिव्यय प्रस्तुत करते हुए इन वित्तीय मानदण्डों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। अधिकांश हस्तक्षेपणीय उपायों के लिए इकाई लागतें वित्तीय मानदण्डों में निर्धारित कर दी गई हैं और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक हस्तक्षेपणीय उपाय के लिए प्रस्तावित परिव्यय इन निर्धारित इकाई लागतों पर आधारित हों।

20.2 प्रत्येक हस्तक्षेपणीय उपाय के अधीन प्रस्तावित परिव्ययों के समर्थन में संगत आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे कि भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें। अतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योजनाओं में प्रत्येक क्रियाकलाप से संबंधित भौतिक लक्ष्यों के समर्थन में संगत आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं।

20.3 प्रत्येक हस्तक्षेपणीय उपाय के लिए परिव्यय तैयार करते समय प्रत्येक हस्तक्षेपणीय उपाय के सामने निर्दिष्ट निम्न बातों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिएः

21. अध्यापकों की नियुक्ति

21.1 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लिए एसएसए, प्रारम्भिक शिक्षा पर 1999-2000 स्तर पर पहले से ही किए जा रहे व्यय के अलावा है।

21.2 नए स्कूल खोलने के लिए नए अध्यापक तथा मौजूदा स्कूलों के लिए अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं।

21.3 नए प्राथमिक स्कूलों के लिए कम से कम दो और नए उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए कम से कम तीन अध्यापक नियुक्त किए जाएं बशर्ते कि पुनर्तैनाती के जरिए ऐसे अध्यापक उपलब्ध न हों। इस तरह की नियुक्ति एक अध्यापक के लिए प्रति कक्षा की दर से की जानी चाहिए।

21.4 उच्च प्राथमिक शिक्षकों की अधिकतम संख्या उच्च प्राथमिक सेक्शनों की संख्या पर निर्भर करेगी और उसका आधार प्रत्येक 40 बच्चों के लिए एक अध्यापक का प्रावधान नहीं होगा।

21.5 अतिरिक्त अध्यापकों का वेतन एसएसए के अधीन केवल उसी स्थिति में वहन किया जाएगा जब पूरे जिले के लिए पीटीआर 1:40 से उच्चतर हो। तथापि कुछ राज्यों में ऐसे एकल अध्यापक स्कूल हैं जिनमें छात्रों की संख्या 40 से कम है, जिनमें एसएसए के मानदण्डों के अनुसार दो अध्यापक उपलब्ध कराए जाने चाहिए और ऐसे मामलों में 1:40 का पीटीआर लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में मौजूदा अध्यापकों और अपेक्षित अतिरिक्त अध्यापकों के स्कूल-वार आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

21.6 यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीटीआर की गणना प्रत्येक जिले में छात्रों के नामांकन और अध्यापकों की स्वीकृत संख्या के आधार पर की जाए।

21.7 छात्रों के नामांकन, अध्यापकों की कुल मांग, अध्यापकों की स्वीकृत संख्या, अध्यापकों की अतिरिक्त मांग और पीटीआर सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

21.8 अध्यापकों की भर्ती और भर्ती किए गए नए अध्यापकों को वेतन के भुगतान के राज्यों के स्वयं अपने मानदण्ड हैं। राज्यों को उस सीमा तक अपने मानदण्डों का अनुपालन करने की छूट होगी जिस तक वे राअशिप द्वारा निर्धारित मानदण्डों से मेल खाते हों।

21.9 भर्ती किए गए नए अध्यापकों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।

21.10 अध्यापकों की स्वीकृत संख्या में धीरे-धीरे आई कमी के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियां भरने के लिए कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

22. स्कूल/वैकल्पिक स्कूली शिक्षा सुविधा

22.1 नए प्राथमिक स्कूल केवल ऐसे क्षेत्रों में खोले जाएंगे जहां बस्ती के एक किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई स्कूल नहीं है।

22.2 प्राथमिक स्तर पर ईजीएस केन्द्र ऐसी असेवित बस्तियों में खोले जाएंगे जहां एक किलोमीटर की परिधि के भीतर कोई स्कूल नहीं है और 6-14 आयुवर्ग के कम से कम ऐसे 15 बच्चे मौजूद हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं। असाधारण मामलों में अर्थात् दूरस्थ क्षेत्रों में इईजीएस स्कूलों को योजना के समग्र लागत मानदण्डों के भीतर यहां तक कि 10 बच्चों के लिए भी समर्थन दिया जा सकता है।

23. उच्च प्राथमिक स्कूल/क्षेत्र

23.1 नए उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए प्राथमिक स्नातकों की संख्या, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चढ़ने वाले बच्चों के अनुपात और प्राथमिक स्कूलों की संख्या-सभी पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए।

23.2 प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों के रूप में स्तरोन्नयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 2:1 का अनुपात बनाए रखा जाए तथा नए यूपीएस में दाखिले के लिए प्राथमिक स्नातकों की उपयुक्त संख्या उपलब्ध है। इस प्रयोजन के लिए उच्च प्राथमिक सेक्शनों से युक्त सहायताप्राप्त स्कूलों और माध्यमिक/हाईस्कूलों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाए।

24. क्लासरूम

24.1 अतिरिक्त क्लासरूमों की मांग के लिए अध्यापकों, कक्षा/ग्रेड और मौजूदा क्लासरूमों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

24.2 उच्च प्राथमिक स्तर में मुख्याध्यापक के लिए कमरे की मांग के समर्थन में क्लासरूमों की मौजूदा संख्या, उच्च प्राथमिक स्कूलों में मुख्याध्यापक के मौजूदा कमरों की संख्या तथा अध्यापकों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

24.3 अतिरिक्त क्लासरूमों की गणना करने के प्रयोजन से मुख्याध्यापक को भी एक अध्यापक के रूप में समझा जाएगा।

25. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें

25.1 (i) सरकारी स्कूलों;

(ii) सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों; छावनी/निगम स्कूलों, सहायताप्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले

ध्यातव्य समूहों अर्थात बालिकाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाएंगी बशर्ते कि

(क) इन स्कूलों की दाखिला नीति राज्य में सरकारी स्कूलों की दाखिला नीति जैसी हो;

(ख) ऐसे स्कूल छात्रों से कोई शुल्क न वसूल रहे हों;

(ग) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए;

(घ) अध्यापकों का वेतन और सेवा शर्तें सरकारी स्कूल अध्यापकों जैसी होनी चाहिए;

(ड.) स्कूलों में पढ़ाए जाने वाला पाठ्यक्रम सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम जैसा होना चाहिए (मदरसों के मामले में मदरसा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का पालन किया जाना चाहिए)।

25.2 बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकों के सम्बन्ध में रु.150/- प्रति बच्चे की ऊपरी सीमा मात्र एक सांकेतिक सीमा है।

25.3 पाठ्यपुस्तक विकास, मुद्रण, ढुलाई आदि का प्रभार भी पाठ्यपुस्तकों की लागत में जोड़ा जाएगा बशर्ते कि यह राशि रु.150/- प्रति बच्चे की ऊपरी सीमा से बढ़ न जाए।

25.4 ध्यातव्य समूहों के बच्चों के लिए कार्यपुस्तिकाएं पाठ्यचर्या आपूर्ति का अभिन्न अंग हैं और उन्हें पाठ्यपुस्तकों का अंग समझा जाता है। ध्यातव्य समूहों के बच्चों को रु.150/- प्रति बच्चे की समग्र ऊपरी सीमा के भीतर पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ कार्यपुस्तिकाएं भी बांटी जा सकती हैं।

25.5 पाठ्यपुस्तकों की वास्तविक लागत कक्षा के साथ घटती बढ़ती रहती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुमान प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकों की वास्तविक लागत पर आधारित हों; तथा

25.6 यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य पहले से ही किसी भी श्रेणी के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें नहीं प्रदान कर रहा है। ऐसे मामलों में ऐसे बच्चों को एसएसए के अधीन निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

26. सिविल निर्माण कार्य

26.1 सिविल निर्माण कार्य में निम्न शामिल हैः

(क) नए स्कूल भवन;

(ख) भवन-विहीन स्कूलों के लिए स्कूल भवन;

(ग) अतिरिक्त क्लासरूम;

(घ) मुख्याध्यापक के लिए कमरा;

(ड.) शौचालय;

(च) पेयजल सुविधाएं;

(छ) आत्यन्तिक मामलों में जैसेकि पर्वतीय क्षेत्र, वन क्षेत्र अथवा शहरी क्षेत्र में चारदीवारी बशर्ते कि इस आशय का औचित्य प्रस्तुत किया गया हो;

(ज) विभाजन दीवार;

(झ) विद्युतीकरण;

(ञ) बाल अनुकूल तत्व (जोकि सभी नए निर्माण कार्यों में अनिवार्य होने चाहिए);

(ट) 6 लाख रुपये की इकाई लगात सहित बीआरसी;

(ठ) 2 लाख रुपये की इकाई लागत सहित सीआरसी;

(ड) एसआईईएमएटी

26.2 सिविल निर्माण कार्यों में निम्न शामिल नहीं हैः

(क) एमआईएस कक्ष सहित एसपीओ/डीपीओ के लिए कार्यालय भवन;

(ख) खेल का मैदान

(ग) ईजीएस/एआईई केन्द्र

(घ) ईसीसीई सुविधाएं

(ड.) छात्रावास (नवाचारी योजना के अधीन आवासीय स्कूलों को एक पूर्ण पैकेज के रूप में समझा जाए)।

26.3 इकाई लागत, जहां कहीं एसएसए मानदण्डों में उल्लिखित नहीं है, वहां वह दरों की पीडब्ल्यूडी/राज्य अनुसूची के अनुरूप होनी चाहिए। तथापि अपरम्परागत मदों के मामले में, जो कि दरों की अनुसूची का हिस्सा न हों, दरें राज्य कार्यान्वयन सोसायटी की कार्यकारी समिति द्वारा इस शर्त पर अनुमोदित की जानी चाहिए कि इस तरह के अनुमान, दरों की अनुसूची में उपलब्ध परम्परागत मदों के माध्यम से तैयार किए गए इसी प्रकार के डिजाइन की लागत से बढ़कर नहीं होने चाहिए।

26.4 यदि इकाई लागतें असाधारण रूप से ऊंची होंगी तो राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी अनुसमर्थन समूह इकाई लागत का जायजा लेगा।

26.5 स्कूलों के नवनिर्माण के मामले में इकाई लागत में मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए किचन शेड का प्रावधान शामिल होगा।

26.6 पीएबी ने पेयजल सुविधाओं और शौचालय के लिए औसतन क्रमशः रु.15,000/- तथा रु.20,000/- तय किए हैं।

26.7 पर्यवेक्षण लागत तथा गुणवत्ता के मानीटरन के लिए खरीदा गया उपकरण, यदि कोई हो तो इकाई लागत का एक हिस्सा होना चाहिए और उसे पर्यवेक्षण सम्बन्धी खर्च के लिए जिला/राज्य स्तर पर बनाए रखा जा सकता है।

26.8 पर्यवेक्षण स्टाफ के प्रशिक्षण का प्रावधान प्रबन्ध लागत के अधीन किया जाना चाहिए।

26.9 अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण की तलाश की जानी चाहिए और केवल अपेक्षित अन्तर का वित्तपोषण एसएसए के माध्यम से किया जाना चाहिए।

26.10 सिविल कार्यों पर कार्यक्रम निधियां, 2010 तक की अवधि के लिए तैयार की गई संदर्श योजना के आधार पर पीएबी द्वारा मंजूर की गई समग्र परियोजना लागत के 33% की ऊपरी सीमा से अधिक नहीं होंगी। इसमें भवनों के रखरखाव और मरम्मत सम्बन्धी खर्च शामिल नहीं होगा। तथापि किसी वर्ष विशेष की वार्षिक कार्य योजना में सिविल कार्यों के निमित्त वार्षिक योजना व्यय के 40% तक का प्रावधान रखने पर विचार किया जा सकता है जो कि उस वर्ष में

कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगा बशर्ते कि संदर्श योजना पीएबी द्वारा मंजूर की गई हो तथा संदर्श योजना का आकार ज्ञात हो।

26.11 किसी जिले में बीआरसी तथा सीआरसी के निर्माण की कुल लागत किसी एक वर्ष में कार्यक्रम के अधीन समग्र अनुमानित व्यय के 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

26.12 सिविल कार्यों के निर्माण की आवश्यकता, मौजूदा आधारिक सुविधाओं और अतिरिक्त आवश्यकता सम्बन्धी आंकड़ों से समर्थित होनी चाहिए।

26.13 सिविल कार्यों का निर्माण केवल सरकार के स्वामित्व वाले स्कूलों में किया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों में इस तरह के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

26.14 सिविल निर्माण कार्यों के सभी क्रियाकलापों में समुदाय की सहभागिता अनिवार्य होगी।

26.15 पीएबी के अनुमोदन से बहुमंजिले शहरी स्कूलों के निर्माण को छोड़कर ठेकेदारों की नियुक्ति की अनुमति नहीं होगी।

26.16 स्कूल प्रबन्ध समिति/ग्राम शिक्षा समिति/शिक्षा सम्बन्धी ग्राम पंचायत समिति हिसाब-किताब रखने की पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से सिविल निर्माण कार्य करेगी।

26.17 एसआईईएमएटी भवन के नर्माण के लिए राज्य पीडब्ल्यूडी विनियमों अथवा शिक्षा विभाग के मामले में लागू अन्य विनियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

26.18 बीआरसी का निर्माण समुदाय अथवा पीडब्ल्यूडी जैसी राज्य एजेंसी के माध्यम से कराया जाना चाहिए।

26.19 यदि किसी वर्ष के लिए अनुमोदित परिव्यय वर्ष विशेष में पूरी तरह खर्च नहीं हो पाएगा तो परिव्यय का अव्ययित अंश शेष बच रहे क्रियाकलापों की भांति अगले वर्ष ले जाया जाएगा। तथापि यदि भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति के बाद परिव्यय में बचत हो जाती है तो उसका प्रयोग न तो किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाएगा न शेष बच रहे क्रियाकलापों की भांति अगले वर्ष के लिए ले जाया जाएगा।

26.20 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सभी सिविल कार्यों पर वास्तविक खर्च का समुचित लेखा रखा जाए और उसे निर्माण कार्य के अधीन दर्शाया जाए। अव्ययित निधियां लेखाओं को अन्तिम रूप देने के तत्काल बाद वापिस कर दी जानी चाहिए।

27. स्कूल भवनों का रखरखाव और मरम्मत

27.1 स्कूल समिति द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव तथा सामुदायिक अंशदान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

27.2 बड़े या छोटे मरम्मत कार्य के बीच विभेद नहीं है। मरम्मत और रखरखाव संबंधी सभी खर्च प्रति वर्ष 5000 रुपये के भीतर किए जाने चाहिए।

27.3 5000 रुपये से अधिक लागत की मरम्मत का कार्य सदैव सामुदायिक योगदान, पंचायत निधियों राज्य सरकार निधियों जैसे अन्य निधियों से पीएमजीवाई, रोजगार आश्वासन कार्यक्रम जैसी अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के जरिए हाथ में लिया जा सकता है।

27.4 तीन क्लासरूमों वाले स्कूल प्रतिवर्ष प्रति स्कूल के हिसाब से अधिक से अधिक 4000 रुपये तक के, जबकि तीन से अधिक क्लासरूमों वाले स्कूल अधिक से अधिक 7500 रुपये प्रति स्कूल प्रतिवर्ष के हिसाब से रखरखाव अनुदान पाने के पात्र होंगे किन्तु शर्त यह होगी कि जिले

के लिए समग्र पात्रता 5000 रुपये प्रति स्कूल प्रतिवर्ष के हिसाब से होगी। इस प्रयोजन के लिए मुख्याध्यापक का कमरा तथा कार्यालय कक्ष को क्लासरूम के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा।

27.5 ये प्रावधान सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों तथा अन्य निजी स्कूलों के मामले में लागू नहीं होंगे।

27.6 रखरखाव अनुदान की दृष्टि से प्राथमिक स्कूलों और उच्च प्राथमिक स्कूलों को अलग-अलग स्कूल समझा जाएगा भले ही वे एक ही परिसर से काम कर रहे हों।

27.7 जिन मौजूदा सरकारी स्कूलों के अपने भवन हैं और जिन स्कूलों में रखरखाव तथा मरम्मत की जरूरत है, उनकी संख्या सम्बन्धी आंकड़ें प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

27.8 पैसा वीईसी के नाम जमा किया जाएगा।

27.9 छोटी-मोटी मरम्मत के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा का सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिए।

27.10 स्कूल प्रबन्ध समिति/ग्राम शिक्षा समिति को, स्कूल में किए गए रखरखाव और मरम्मत के कार्य को प्रमाणित करना चाहिए।

27.11 वर्ष के अन्त में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

28. ईजीएस को नियमित स्कूल के रूप में स्तरोन्नत करने अथवा एक नया प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए टीएलई।

28.1 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ईजीएस का नियमित स्कूलों के रूप में स्तरोन्नयन, ईजीएस केन्द्रों के दो वर्षों तक सफलतापूर्वक कार्य कर चुकने के बाद किया जाए।

28.2 यदि टीएलई नए प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए हो तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नया प्राथमिक स्कूल राज्य मानदण्डों के अनुसार खोला गया है। तथापि जो मौजूदा स्कूल आपरेशन ब्लैक बोर्ड (ओबीबी) योजना के अधीन शामिल नहीं है उनमें टीएलई अनुमत्य नहीं है।

29. उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए टीएलई

29.1 नए उच्च प्राथमिक स्कूलों स्तरोन्नत उच्च प्राथमिक स्कूलों तथा ऐसे मौजूदा उच्च प्राथमिक स्कूलों के मामले में जो कि ओबीबी योजना के अधीन शामिल नहीं हैं, टीएलई अनुमत्य होंगे बशर्ते कि वह इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

30. स्कूल अनुदान

30.1 (i) सरकारी स्कूलों; और

(ii) सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों, छावनी/निगम स्कूलों, सहायताप्राप्त मदरसों को यह अनुदान दिया जाता है बशर्ते कि

(क) इन स्कूलों की दाखिला नीति राज्य में सरकारी स्कूलों की दाखिला नीति जैसी हो;

(ख) ऐसे स्कूल छात्रों से कोई शुल्क न वसूल रहे हों;

(ग) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए;

(घ) अध्यापकों का वेतन और सेवा शर्तें सरकारी स्कूल अध्यापकों जैसी होनी चाहिए;

(ड.) स्कूलों में पढ़ाए जाने वाला पाठ्यक्रम सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम जैसा होना चाहिए (मदरसों के मामले में मदरसा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का पालन किया जाना चाहिए)।

(च) ऐसे हाई/माध्यमिक स्कूल जिनमें, उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा VII तक रखने वाले राज्यों में कक्षाएं VIII से शुरु होती है, अनुदान के लिए पात्र नहीं हैं।

30.2 स्कूलों के लिए पुस्तकालय पुस्तकें भी इस अनुदान से उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

30.3 स्कूल अनुदान की दृष्टि से प्राथमिक स्कूलों और उच्च प्राथमिक स्कूलों को अलग-अलग समझा जाएगा भले ही वे एक ही परिसर से काम कर रहे हों।

30.4 मौजूदा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों सम्बन्धी आंकड़ें प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

31. अध्यापक अनुदान

31.1 (i) सरकारी स्कूलों के अध्यापकों; तथा

(ii) सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों, छावनी/नगर निगम स्कूलों, सहायताप्राप्त मदरसों के अध्यापकों को अनुदान दिया जाता है बशर्ते कि

(क) इन स्कूलों की दाखिला नीति राज्य में सरकारी स्कूलों की दाखिला नीति जैसी हो;

(ख) ऐसे स्कूल छात्रों से कोई शुल्क न वसूल रहे हों;

(ग) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए;

(घ) अध्यापकों का वेतन और सेवा शर्तें सरकारी स्कूल अध्यापकों जैसी होनी चाहिए;

(ड.) स्कूलों में पढ़ाए जाने वाला पाठ्यक्रम सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम जैसा होना चाहिए (मदरसों के मामले में मदरसा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का पालन किया जाना चाहिए)।

31.2 अध्यापक अनुदान ऐसे अध्यापकों को देय है जो वस्तुतः सेवारत हो।

31.3 वस्तुतः सेवारत प्रशिक्षित अध्यापकों सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

32. अध्यापक प्रशिक्षण

32.1 (i) सरकारी स्कूलों के अध्यापकों; तथा

(ii) सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों, छावनी/नगर निगम स्कूलों, सहायताप्राप्त मदरसों के अध्यापकों को अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है बशर्ते कि

(क) इन स्कूलों की दाखिला नीति राज्य में सरकारी स्कूलों की दाखिला नीति जैसी हो;

(ख) ऐसे स्कूल छात्रों से कोई शुल्क न वसूल रहे हों;

(ग) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए;

(घ) अध्यापकों का वेतन और सेवा शर्तें सरकारी स्कूल अध्यापकों जैसी होनी चाहिए;

(ड.) स्कूलों में पढ़ाए जाने वाला पाठ्यक्रम सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम जैसा होना चाहिए (मदरसों के मामले में मदरसा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का पालन किया जाना चाहिए)।

32.2 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रति अध्यापक 70 रुपये प्रतिदिन की इकाई लागत और प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण के लिए दिनों की संख्या का कड़ाई से पालन किया जाता है। जहां तक संभव हो प्रशिक्षण बीआरसी/सीआरसी स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए ताकि तत्सम्बन्धी खर्च प्रति अध्यापक 70 रुपये प्रतिदिन की इकाई लागत के भीतर रहे। यदि ऐसा

करना अपरिहार्य हो टीए/डीए सम्बन्धी खर्च, प्रबन्ध लागत के लिए निर्धारित 6% की ऊपरी सीमा का अतिक्रमण किए बिना, प्रबन्ध शीर्ष में से वहन किया जाना चाहिए।

32.3 प्रशिक्षण माड्यूल और अध्यापक मार्गदर्शिका तैयार करने की लागत प्रति अध्यापक 70 रुपये की समग्र प्रशिक्षण लागत के भीतर होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की लागत एकबारगी लागतें होती हैं, इन मदों से सम्बन्धित खर्च को ऐसे अनेक अध्यापकों के बीच बांट दिया जाए जिनके ऐसे माड्यूलों/मार्गदर्शिकाओं से लाभान्वित होने की संभावना होती है।

32.4 यदि मानदण्डों में निर्धारित अधिकतम दिनों तक प्रशिक्षण अयोजित करना संभव नहीं है तो प्रशिक्षण अवधि की सीमा घटाई जा सकती है। इस तरह का प्रशिक्षण, पृथक्कृत अथवा संस्थानगत/सीआरसी स्तर के बीच सुनियोजित अन्तरालों अथवा विशिष्ट मुद्दे सम्बन्धी कार्यशाला के माध्यम से आयोजित भी किया जा सकता है।

32.5 मौजूदा प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित तथा नव नियुक्त अध्यापकों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यय की पूर्ति केवल वस्तुतः सेवारत अध्यापकों के मामले में की जाएगी।

32.6 डीआरजी/बीआरजी/सीआरजी कार्मिकों का प्रशिक्षण भी 20 दिन के सेवाकालीन प्रशिक्षण में शामिल रहता है।

33. राज्य शैक्षिक प्रबन्ध तथा प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईएमएटी)

33.1 3 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा सिविल कार्य निर्माण सहित एकबारगी सहायता है।

33.2 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य एसआईईएमएटी खोलने पर सहमत हो गया है और उसने ऐसे संस्थान को बनाए रखने के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

33.3 निर्माण की क्रियाविधि के बारे में राज्य को निर्णय लेना चाहिए।

34. सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण

34.1 इस तरह के प्रशिक्षण की अनुमति प्रत्येक गांव के लिए 4 सामुदायिक नेताओं के अलावा प्रत्येक स्कूल में प्रतिवर्ष 2 व्यक्तियों के लिए दी जाती है।

34.2 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गांवों में व्यक्तियों की संख्या, प्रशिक्षण की अवधि और इकाई लागत मानदण्डों में निर्धारित ऊपरी सीमा से बढ़ कर न हो।

34.3 शहरी क्षेत्रों में, जहां कोई गांव नहीं होता और ऐसे राज्यों में जिनमें राजस्व गांव विशाल क्षेत्र में फैला होता है, सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण प्रत्येक स्कूल के लिए 3 सामुदायिक नेताओं के हिसाब से होगा।

34.4 गांवों की संख्या और प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित सामुदायिक नेताओं के वास्तविक लक्ष्य की गणना करने के लिए पात्र स्कूलों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

35. विकलांग बच्चों के लिए व्यवस्था

35.1 एसएसए यह सुनिश्चित करेगा कि विशेष आवश्यकताओं वाले प्रत्येक बच्चे (सीडब्ल्यूएसन) को, भले ही उसकी विकलांगता की किस्म, श्रेणी और मात्रा कितनी भी हो उपयुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए। एसएसए 'किसी को भी मना न करने' की नीति अपनाएगा ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा प्रणाली से बाहर न रह जाए।

35.2 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, सूक्ष्म आयोजना और पारिवारिक सर्वेक्षण का अभिन्न अंग होना चाहिए। सीडब्ल्यूएसएन में ऐसे बच्चे शामिल हैं जोकि दृष्टि, श्रवण, चलन, अधिगम, प्रमस्तिष्क पक्षाघात जैसी विभिन्न समस्याओं अथवा मानसिक मन्दता से पीड़ित हों।

35.3 अभिज्ञात विकलांग बच्चों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

35.4 सर्वेक्षण के दौरान अभिज्ञात सभी विकलांग बच्चों के मामले में 1200 प्रति बच्चे के हिसाब से राशि लागू होगी।

35.5 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को नकद रूप में कोई राशि नहीं दी जाएगी। एसएसए अधिकारियों को स्कूलों, ईजीएस स्कूलों तथा एआईई केन्द्रों में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 1200 रुपये प्रतिवर्ष प्रति बच्चे के हिसाब से खर्च करने चाहिए।

35.6 आईईडी से सम्बन्धित सभी क्रियाकलाप अर्थात् विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शीघ्र पहचान, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान, कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांकन, शैक्षिक स्थानन, सहायक सामग्री और उपकरण तथा भौतिक सुलभता, विशेष उपकरण, पठन सामग्री, विशेष शैक्षिक तकनीक, उपचारात्मक शिक्षण, पाठ्यचर्या अनुकूलन अथवा अनुकूलित शिक्षण कार्यनीतियों, अध्यापकों को प्रशिक्षण, संसाधन अध्यापकों की नियुक्ति करके संसाधन सहयोग, स्कूलों में वास्तुशिल्पीय बाधाओं की समाप्ति, अनुसंधान, मानीटरन तथा मूल्यांकन जैसी समर्थनकारी सेवाएं प्रतिवर्ष प्रति बच्चे के लिए 1200 रुपये की ऊपरी सीमा के भीतर शामिल होनी चाहिए।

35.7 जहां तक संभव हो विशेष आवश्यकताओं वाले प्रत्येक बच्चे को अपेक्षित समर्थनकारी सेवाओं सहित नियमित स्कूलों में डाला जाना चाहिए। यह विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के लिए बहुविध दृष्टिकोणों, विकल्पों और कार्यनीतियों का समर्थन भी करेगा। इसमें मुक्त अधिगम प्रणाली तथा मुक्त स्कूलों, गैर-औपचारिक और वैकल्पिक स्कूली व्यवस्था, दूरस्थ शिक्षा और अधिगम, जहां कहीं आवश्यक हो वहां विशेष स्कूलों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, गृह आधारित शिक्षा, भ्रमणशील अध्यापक माडल, उपचारात्मक शिक्षण, अंशकालिक कक्षाएं, समुदाय आधारित पुनर्वास और व्यावसायिक शिक्षा तथा सहकारी कार्यक्रम शामिल होंगे।

35.8 सभी विकलांग बच्चों को शिक्षा की मौजूदा मुख्यधारा का अंग बनाया जाना चाहिए और जहां तक संभव हो विकलांग बच्चों के लिए कोई अलग स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। तथापि जो सीडब्ल्यूएसएन अपनी विकलांगता के कारण नियमित स्कूलों में समाकलित नहीं किए जा सकते उन्हें विशेष स्कूलों में भेजा जा सकता है।

35.9 सहज प्रवेश के लिए स्कूलों में सभी वास्तुशिल्पीय बाधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों में विकलांग-अनुकूल सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समर्थनकारी वातावरण उपलब्ध कराने के निमित्त स्कूलों के नवाचारी डिजाइन तैयार करना भी कार्यक्रम का एक अंग होना चाहिए।

35.10 ऐसे सभी बच्चों को, जिन्हें सहायतापरक उपकरणों की जरूरत है जहां तक संभव हो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राज्य कल्याण विभाग, राष्ट्रीय संस्थानों अथवा एनजीओ के अभिसरण से प्राप्त सहायक सामग्री और उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यदि सीडब्ल्यूएसएन को अभिसरण के जरिए सहायता सामग्री और उपकरण उपलब्ध कराना संभव

नहीं है तो उसे एसएसए के अधीन प्रत्येक बच्चे के लिए 1200 रुपये प्रतिवर्ष की दर पर उपलब्ध राशि में से खरीदा जाना चाहिए।

35.11 आईईडी के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति प्रबन्ध लागत के अधीन शामिल है।

35.12 विकलांग बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

35.13 प्रति विकलांग बच्चे के मामले में खर्च की ऊपरी सीमा जिला स्तर पर लागू होगी।

36. अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण और मोनीटरन

36.1 प्रत्येक स्कूल के लिए प्रतिवर्ष 1500 रुपये में से 100 रुपये और 1400 रुपये प्रतिवर्ष क्रमशः राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर खर्च किए जाएंगे। विभिन्न स्तरों पर राज्य से स्कूल को अपने हिस्से के वितरण की बाबत राज्य निर्णय लेगा।

36.2 स्कूलों की मौजूदा संख्या सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

36.3 सरकारी, सरकारी सहायताप्राप्त स्कूल, छावनी/नगर निगम स्कूल और राज्य मदरसा बोर्ड के साथ सम्बद्ध मदरसे इस शीर्ष के अधीन सहायता पाने के पात्र हैं।

36.4 स्कूल अनुदान के लिए सहायताप्राप्त स्कूलों की पात्रता के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए।

36.5 ईजीएस/एआईई/सेतु पाठ्यक्रम के मामले में अनुसंधान अनुदान अनुमत्य नहीं है।

36.6 निधियों का प्रयोग निम्न क्रियाकलाप करने के लिए किया जाएगाः

(क) प्रभावी क्षेत्र-आधारित मानीटरन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला, उप-जिला स्तर पर संसाधन व्यक्तियों का एक पूल तैयार करना,

(ख) संसाधन व्यक्तियों को मानीटरन के लिए यात्रा अनुदान और बहुत ही सन्तुलित मानदेय (राज्य विशिष्ट मानदण्ड के अनुसार),

(ग) समुदाय आधारित आंकड़ों के नियमित आधार पर सृजन की व्यवस्था करना,

(घ) उपलब्धि परीक्षण, मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करना,

(ड.) अनुसंधान क्रियाकलाप करना,

(च) न्यून महिला साक्षरता जिलों के लिए तथा बालिकाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के विशेष मानीटरन के लिए विशेष कार्यबल स्थापित करना,

(छ) शिक्षा प्रबन्ध सूचना प्रणाली पर व्यय करना,

(ज) दृश्य मानीटरन प्रणालियों के लिए चार्टों, पोस्टरों, स्केच पेन, ओएचपी पेन आदि जैसे आकस्मिक खर्च करना,

(झ) निर्धारण और मूल्यांकन दल तथा उनके क्षेत्रीय क्रियाकलाप,

(ञ) उपजिला/जिला/राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों का विश्लेषण करना,

(ट) पाठ्यचर्या नवीकरण,

(ठ) संसाधन दलों के साथ प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करना,

(ड) कार्यान्वयन की प्रगति का संस्थानगत मानीटरन, तथा

(ढ) ऐसी अन्य मदें जोकि परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जाएं।

36.7 इस हस्तक्षेपणीय उपाय में मानदण्डों में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के अलावा एमआईएस निर्माण और इएमआईएस, डीआईएसई, कोहार्ट अध्ययन, बच्चे की स्थिति का पता रखने के क्रियाकलाप भी शामिल होंगे।

36.8 कार्यक्रम हस्तक्षेपणीय उपायों की पारदर्शिता में सुधार लाने तथा उपलब्धियों का और अधिक मुक्त मूल्यांकन प्रोत्साहित करने के लिए एसएसए में अनुसंधान, मूल्यांकन और मानीटरन संस्थानों/एनजीओ की सहभागिता से किया जाना चाहिए।

36.9 वित्तीय मानीटरन की प्रणाली समुदाय आधारित दृष्टिकोण की रहस्यात्मकता दूर करने के लिए भी, जिसमें सामाजिक लेखापरीक्षा की अनुमति रहती है, महत्वपूर्ण होगी। समूचे वित्तीय मानीटरन को, पूरी पारदर्शिता के साथ सामाजिक मानीटरन की प्रणाली के भीतर काम करना होता है। सार्वजनीन प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति को समझने और उसका महत्व स्वीकार करने के प्रयोजन से लेखापरीक्षकों, सामुदायिक नेताओं, अध्यापकों आदि के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिएं।

36.10 पात्र मौजूदा स्कूलों और खोले गए नए स्कूलों सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिएं।

37. प्रबन्ध लागत

37.1 प्रबन्धन के लिए पद मंजूर करते समय निम्न बातें ध्यान में रखी जानी चाहिएं-

(क) कोई भी नए स्थायी पद न बनाए जाएं;

(ख) नए पदों की आवश्यकता की जांच करते समय, मुख्य धारा के शिक्षा विभाग और डीपीईपी--दोनों के मौजूदा प्रशासनिक तंत्र में उपलब्ध मानव संसाधनों का प्रयोग करने की व्यवहार्यता का सर्वप्रथम पता लगाया जाना चाहिए। नए पदों की भर्ती का आश्रय तभी लेना चाहिए जबकि कोई भी क्रियाकलाप ऐसे हों जिन्हें मौजूदा तंत्र के बल पर कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

(ग) सृजित किए जाने वाले पद केवल संविदा अथवा प्रतिनियुक्ति के जरिए भरे जाने चाहिएं। इन पदों की भर्ती करके समाज अथवा राज्य सरकार पर कोई स्थायी भार नहीं डाला जाना चाहिए।

(घ) प्रतिनुयक्ति के जरिए भरे गए पदों के लिए कोई भी प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमत्य नहीं होगा।

(ङ.) कुल प्रबन्ध लागत प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग और समूचे राज्य के लिए समग्र लागत के 6% से कम रहनी चाहिए।

37.2 खर्च करते समय ऐसी लागतों की संधारणीयता को ध्यान में रखना चाहिए।

37.3 प्रबन्ध लागत में ये शामिल होंगेः आंकड़ों के संग्रह और ईएमआईएस कार्यचालन तथा रखरखाव पर खर्च; संविदा आधार पर नियुक्त सहयोगी स्टाफ के वेतन सहित कार्यालयी खर्च, विभिन्न हस्तक्षेपणीय उपायों के अधीन विशेषज्ञों की सेवाएं लेना, एसपीओ, डीपीओ तथा एमआईएस के लिए कम्प्यूटर और उसके कलपुर्जो सहित उपकरणों का प्रावधान, लेखन सामग्री, टेलीफोन, फैक्स, फोटोकापियर, उपभोज्य सामग्री, पीओएल, डाक व्यय, किराए पर वाहन लेना, कार्मिकों का टीए/डीए, आवर्ती आकस्मिक और विविध लागतें।

37.4 विशिष्ट कार्यों के निमित्त एक सीमित अवधि के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं ताकि एमआईएस, शिक्षाशास्त्र, अध्यापक प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन, समुदाय अभिप्रेरण, लैंगिक संवेदीकरण, सिविल कार्य, वैकल्पिक स्कूली शिक्षा, वित्त प्रबन्ध, अधिप्राप्ति, आयोजना आदि जैसे क्षेत्रों में मुख्यधारा के शैक्षिक प्रबन्ध तंत्र में सहयोग प्रदान किया जा सके।

37.5 विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने से पहले जिलों/राज्यों के लिए मौजूदा क्षमता का जायजा लेना जरूरी है।

37.6 नीति के तौर पर वाहन जरूरत के अनुसार केवल भाड़े पर लिए जाने चाहिएं जब तक कि किसी विशेक्ष क्षेत्र में वाहन भाड़े पर लेना व्यवहार्य न हो। जिन मामलों में परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा वाहन खरीदने की अनुमति दे दी जाए उनमें भी ड्राइवर का कोई नया पद नहीं बनाया जाना चाहिए। वाहनों की ऐसी खरीद केवल निकम्मा घोषित किए गए वाहनों के प्रतिस्थापन के रूप में होगी तथा वाहनों की खरीद के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।

37.7 राज्यों/जिलों द्वारा प्रबन्ध लागत के अधीन सूचनापत्र प्रकाशित किए जा सकते हैं।

37.8 प्रबन्ध लागत के अधीन मीडिया क्रियाकलापों का भी प्रावधान किया जा सकता है।

37.9 वित्तीय प्रबन्ध कार्मिकों सहित कार्यक्रम प्रबन्ध स्टाफ के लिए प्रशिक्षण और दिशाअनुकूलन कार्यक्रम 6% प्रबन्ध लागत परिव्यय के अधीन अनुमत्य होगा।

38. बालिका शिक्षा, ईसीसीई के लिए नवाचारी क्रियाकलाप तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों, कम्प्यूटर शिक्षा के लिए हस्तक्षेपणीय उपाय

38.1 बालिका शिक्षा, प्रारम्भिक बाल देखभाल और शिक्षा के लिए नवाचारी क्रियाकलाप, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के बच्चों के लिए हस्तक्षेपणीय उपाय तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कम्प्यूटर शिक्षा और साथ ही छात्रों और अध्यापकों का प्रशिक्षण, प्रत्येक नवाचारी क्रियाकलाप के लिए 15 लाख रुपये के नवाचारी अनुदान के अधीन शामिल होगा किन्तु शर्त यह होगी कि प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष अधिकतम ऊपरी सीमा 50 लाख रुपये होगी।

38.2 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक नवाचारी क्रियाकलाप के अधीन वर्ष के दौरान प्रस्तावित विशिष्ट क्रियाकलाप जिला योजनाओं में निर्दिष्ट किए जाते हैं।

38.3 बालिका शिक्षा तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बच्चों की शिक्षा के लिए नवाचारी कार्यक्रमों में सामान्यतः निम्न शामिल होंगेः

(क) नामांकन और बच्चों को शिक्षा में बनाए रखने के अभियान।

(ख) विशेष शिविर और सेतु पाठ्यक्रम।

(ग) वैकल्पिक स्कूलों के विशेष माडलों की स्थापना।

(घ) लड़कियों को औपचारिक शिक्षा के लिए मदरसों और मकतबों का सुदृढ़ीकरण।

(ड.) नए कार्यकारी समूहों की स्थापना और मौजूदा कार्यकारी समूहों के साथ कार्य करने सहित सामुदायिक अभिप्रेरण।

(च) उपस्थिति मानीटरन।

(छ) उपचारात्मक/कोचिंग कक्षाएं।

(ज) स्कूल के भीतर तथा बाहर एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना।

38.4 ईसीसीई के लिए नवाचारी कार्यक्रमों को एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के अधीन पहले से उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए।

38.5 जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना को आईसीडीएस के अधीन पहले से निर्मित सुविधाओं की सूची अवश्य तैयार करनी चाहिए। ईसीसीई के लिए पूरक सहयोग अनिवार्यतः आईसीडीएस के सहयोजन से होगा।

38.6 ईसीसीई को विशिष्ट सहयोग नवाचारी क्रियाकलाप के शीर्ष के अधीन उपलब्ध निधियों में से मौजूदा आईसीडीएस केन्द्रों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

38.7 जो बस्तियां आईसीडीएस में शामिल नहीं हैं और जहां कहीं राज्य सरकार औपचारिक प्राथमिक स्कूल में स्कूल-पूर्व शिक्षा केन्द्र खोलने की इच्छुक है वहां एसएसए से सहयोग नवाचारी क्रियाकलापों के शीर्ष के अधीन उपलब्ध निधियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यदि ऐसी बस्ती में कोई नया आईसीडीएस केन्द्र खुलने जा रहा है तो स्कूल-पूर्व सुविधा अनिवार्यतः आईसीडीएस के सहयोजन में काम करेगी।

38.8 स्कूल-पूर्व अध्यापक के लिए मानदेय, स्कूल-पूर्व शिक्षा के निमित्त आंगनवाड़ी सेविकाओं के प्रशिक्षण, क्रियाकलाप सामग्री, खेल मदों आदि के लिए व्यवस्था ईसीसीई को सहयोग के रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है।

38.9 उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए कम्प्यूटर शिक्षा के निमित्त नवाचारी कार्यक्रम में उच्च प्राथमिक स्कूलों में कम्प्यूटर और उसके कलपुर्जों की व्यवस्था, कम्प्यूटर शिक्षा में अध्यापकों का प्रशिक्षण, कम्प्यूटर लेखन सामग्री सम्बन्धी खर्च शामिल होना चाहिए।

38.10 कोई भी नवाचारी कार्यक्रम 15 लाख रुपये से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये सभी क्रियाकलाप नवाचारी क्रियाकलाप के शीर्ष के अधीन आएंगे।

38.11 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मानदण्डों में निर्धारित की गई ऊपरी सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए।

38.12 प्रत्येक नवाचारी कार्यक्रम में प्रस्तावित क्रियाकलापों के ब्यौरे एडब्ल्यूपी तथा बी में दिए जाने चाहिए।

39. ब्लाक संसाधन केन्द्र/संकुल संसाधन केन्द्र

39.1 यदि उस जिले में जिसमें शहरी क्षेत्र शामिल है कोई सीडी ब्लाक नहीं है तो ऐसे शहरी क्षेत्र में बीआरसी नहीं खोले जा सकते।

39.2 तथापि यदि जिले के अधिकार क्षेत्र के अधीन कोई सीडी ब्लाक हैं तो जिले के भीतर शहरी क्षेत्रों में लघुकृत बीआरसी इस शर्त के साथ खोले जा सकते हैं कि जिले में बीआरसी/सीआरसी पर कुल व्यय, प्रत्येक सीडी ब्लाक के लिए एक बीआरसी की दर से बीआरसी खोलने पर जो खर्च हुआ होता उससे अधिक नहीं होगा।

39.3 शहरी क्षेत्रों में सीआरसी खोलने पर कोई पाबन्दी नहीं है।

39.4 बीआरसी और सीआरसी के लिए फर्नीचर अनुदान एकबारगी अनुदान होता है और यदि किसी मामले में मंजूरी के एक वर्ष के भीतर अनुदान खर्च नहीं किया जाता तो उसे बाद के वर्षों में बांटा जा सकता है।

39.5 बीआरसी और सीआरसी के लिए उपकरणों, कम्प्यूटर आदि सम्बन्धी खर्च फर्नीचर अनुदान में से किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए मानदण्डों में कोई अलग प्रावधान शामिल नहीं है।

39.6 बीआरसी तथा सीआरसी में पुस्तकालय वार्षिक टीएलएम अनुदान के अधीन स्थापित किए जा सकते हैं।

39.7 जिन ब्लाकों में 100 से अधिक स्कूल हैं, उनमें 20 ब्लाक संसाधन व्यक्तियों (बीआरपी) की और छोटे ब्लाकों में बीआरसी तथा सीआरसी के लिए मिलकार 10 बीआरपी की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन बीआरपी को बीआरसी तथा सीआरसी में संसाधन व्यक्तियों के रूप में तैनात किया जा सकता है।

39.8 एसएसए, डीपीईपी के अधीन पहले से स्थापित बीआरसी तथा सीआरसी में बीआरपी के वेतन का खर्च वहन नहीं करेगा। उनके वेतन का खर्च राज्य सरकारों द्वारा उनकी संधारणीयता योजना के अधीन वहन किया जाएगा। डीपीईपी द्वारा पहले से तैनात किए गए बीआरपी से जितने बीआरपी अधिक बैठते हैं, केवल उन्हीं के वेतन का खर्च एसएसए द्वारा वहन किया जाएगा बशर्ते कि ऐसा खर्च ऊपर निर्धारित की गई ऊपरी सीमा के भीतर हो।

39.9 बीआरसी और सीआरसी में संसाधन व्यक्तियों के पद ऐसे मौजूदा वरिष्ठ तथा अनुभवी अध्यापकों को स्थानान्तरित करके भरे जाने चाहिए जिन्होंने इस प्रकार के काम के लिए रुझान का परिचय दिया हो। इस प्रकार के स्थानान्तरण के फलस्वरूप इन स्कूलों में होने वाली रिक्तियां इस सम्बन्ध में राज्य की नीति तथा एनसीटीई के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अध्यधीन प्रशिक्षित प्राथमिक अध्यापकों अथवा उर्दू अध्यापकों द्वारा भरी जाएंगी। नए अध्यापकों अथवा उर्दू अध्यापकों के मामले में लागू न्यूनतम वेतन का खर्च एसएसए द्वारा वहन किया जाएगा।

39.10 बीआरसी/सीआरसी में नियुक्त संसाधन व्यक्तियों के लिए कोई छुट्टी वेतन अथवा पेंशन अंशदान अनुमत्य नहीं होगा।

39.11 सीडी ब्लाक-वार, क्लस्टर-वार तथा ब्लाक-वार स्कूलों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

40. स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए हस्तक्षपेणीय उपाय

40.1 'स्कूल न जा सकने वाले बच्चों' के बीच अत्यधिक विजातीयता है। स्कूल न जा सकने वाले बच्चे दूरस्थ स्कूल-विहीन बस्तियों से सम्बद्ध बच्चे, कामकाजी बच्चे, आवारा बच्चे, शहरी मलिन बस्तियों में सुविधाविहीन बच्चे, बंधुआ बाल श्रमिक, सेक्स वर्कर्स के बच्चे, अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियां, घरेलू कामकाज अथवा छोटे भाई बहनों की देखभाल में प्रवृत्त लड़कियां, पशुओं को चराने आदि में प्रवृत्त बच्चे--इनमें से कोई भी हो सकते हैं। विजातीयता के कारण ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए वैविध्यपूर्ण दृष्टिकोण और कार्यनीतियां जरूरी होती हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रणाली के भीतर लाने में राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों को विशिष्ट कार्यनीतियां अपनानी चाहिए।

40.2 ईजीएस और एआईई को कार्यनीतियों की निम्न तीन प्रमुख कोटियों का समर्थन करना चाहिएः

(क) स्कूल-विहीन बस्तियों (ईजीएस) में स्कूल खोलना

(ख) 'स्कूल न जा सकने वाले बच्चों' को मुख्यधारा में लाने के लिए हस्तक्षेपणीय उपाय जैसेकि सेतु पाठ्यक्रम, वापिस स्कूल चलो शिविर आदि (एआईई)

(ग) ऐसे बच्चों के अत्यन्त विशिष्ट, दुष्कर समूहों के लिए कार्यनीतियां जो मुख्यधारा में शामिल नहीं हो सकते (एआईई)।

40.3 ईजीएस तथा एआईई के अधीन प्रदत्त विकल्पों की श्रेणी में चार प्रमुख ध्यातव्य क्षेत्र हैः

(क) छोटी असेवित बस्तियों के लिए पूर्णकालिक सामुदायिक स्कूल,

(ख) विभिन्न अवधियों के सेतु पाठ्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को मुख्यधारा का अंग बनाना,

(ग) विशेष समूहों जैसेकि बाल श्रमिकों, आवारा बच्चों, किशोर लड़कियों, कतिपय पिछड़े समुदायों से सम्बन्धित लड़कियों, प्रवासी परिवारों के बच्चों आदि के लिए विशिष्ट कार्यनीतियां,

(घ) नवाचारी कार्यक्रम--नवाचार इन क्षेत्रों में हो सकते हैः शिक्षाशास्त्रीय परिपाटियां, पाठ्यचर्या, कार्यक्रम प्रबन्ध, पाठ्यपुस्तकें तथा टीएलएम आदि।

40.4 ईजीएस/इआईई केन्द्र के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक केन्द्र की लागत केन्द्र में दाखिल किए गए छात्रों की संख्या पर निर्भर करेगी। तथापि समूचे जिले के लिए समग्र लागत प्राथमिक स्तर केन्द्रों के मा मले में 845 रुपये प्रति बच्चा प्रतिवर्ष, उच्च प्राथमिक स्तर केन्द्र के मामले में 1200 रुपये प्रति बच्चा प्रतिवर्ष तथा वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा के लिए 3000 रुपये प्रति बच्चा प्रतिवर्ष तक सीमति रखनी होगी।

40.5 ईजीएस और एआईई योजना सम्बन्धी ब्यौरों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 'शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा' नामक पुस्तिका की सहायता ली जा सकती है।

40.6 प्राथमिक स्तर केन्द्र पर बच्चों की संख्या 40 से अधिक हो जाने पर एक अतिरिक्त अध्यापक उपलब्ध कराया जा सकता है।

40.7 ईजीएस/एआईई केन्द्र चलाने के लिए किराया दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। केन्द्र के लिए समुदाय/वीईसी/पंचायत को स्थान मुहैया कराना चाहिए।

40.8 ईजीएस/एआईई योजना के अधीन यह भी निर्णय लिया गया है कि एनजीओ को एसआईएस के जरिए वित्तपोषित किया जाए।

40.9 डीपीईपी में एनजीओ परियोजनाओं का योगदान दर्ज करना संभव होगा जिससे एनजीओ के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना सुकर हो सकेगा। वीईसी, पीटीए, एमटीए, एसएमसी आदि जैसे सामुदायिक संगठनों के माध्यम से एनजीओ की पर्याप्त भागीदारी की कल्पना की जा सकती है।

40.10 अल्पसंख्यकों के जो बच्चे ऐसे मदरसों में पढ़ रहे हैं जिन्हें राज्य के माध्यमिक स्कूल बोर्ड/राज्य मदरसा बोर्ड का सम्बन्धन प्राप्त नहीं है, उनके लिए ऐसे मदरसों में ईजीएस केन्द्र खोले जा सकते हैं जिसके माध्यम से निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, जरूरी होने पर अतिरिक्त अध्यापक तथा राज्य पाठ्यचर्या में अध्यापक को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। इस तरह के हस्तक्षेपणीय उपाय जिले की संदर्श योजना तथा वार्षिक कार्ययोजना और बजट में शामिल किए जा सकते हैं।

40.11 ऐसी वीईसी/एसएमसी जोकि इसके बाद 7+ वर्षों से लेकर 14 वर्ष (सितम्बर 2003 को) तक की आयु के कम से कम 50 प्रतिशत बच्चों को किसी स्थानीय मान्यताप्राप्त स्कूल अथवा

ईजीएस/एआईई केन्द्र में दाखिल करने की स्थिति में है, उन्हें दाखिल किए गए ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए 50 रुपये प्रति बच्चे की दर से सामुदायिक अभिप्रेरण सहायता तथा जब ऐसा कोई बच्चा ऐसे स्कूलों अथवा ईजीएस/एआईई केन्द्र में एक पूरा शैक्षणिक वर्ष पूरा कर लेता है और दूसरे ग्रेड में चला जाता है तो निम्न शर्तों के अध्यधीन मानीटरन और प्रबन्ध सहायता के रूप में 50 रुपये प्रति बच्चे की दर से अलग से उपलब्ध कराए जाएंगेः

(i) इस वित्तीय सहायता पाने की हकदार केवल ऐसी वीईसी/एसएमसी होंगी जिन्होंने 30 सितम्बर 2003 की स्थिति के अनुसार स्कूल न जा सकने वाले बच्चों की एक समुचित सूची बनाए रखी है जिसमें पारिवारिक सर्वेक्षणों के माध्यम से इकट्ठे किए गए उनके नामों तथा उनके माता-पिता के नामों के पूरे ब्यौरे दिए गए हों।

(ii) वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र बनने के लिए वीईसी/एसएमसी के लिए यह जरूरी होगा कि उसने 30 सितम्बर 2003 की स्थिति के अनुसार स्कूल न जा सकने वाले कम से कम 50 प्रतिशत बच्चों को दाखिल किया हो।

(iii) सामुदायिक अभिप्रेरण सहायता केवल ऐसे बच्चों के मामले में दी जाएगी जिनके नाम उक्त सूची में शामिल हों और जो 30 सितम्बर 2003 के बाद दाखिल हुए हों।

(iv) वीईसी/एसएमसी ऊपर दी गई वित्तीय सहायता का प्रयोग गांव में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के निमित्त उपायों के लिए कर सकेंगी जैसेकि सामुदायिक अभिप्रेरण, स्कूल में सुधार और प्रबन्धन को सहायता आदि।

(v) वीईसी/एसएमसी को सामुदायिक अभिप्रेरण, मानीटरन तथा प्रबन्ध सहायता राज्य कार्यान्वयन सोसायटी द्वारा प्रबन्ध लागत के लिए पीएबी द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय सहायता जोकि लागत के 6% से अधिक नहीं होगी में से उपलब्ध कराई जाएगी।

41. सूक्ष्म आयोजना, पारिवारिक सर्वेक्षणों, अध्ययनों, सामुदायिक अभिप्रेरण, स्कूल-आधारित क्रियाकलापों आदि के लिए प्रारम्भिक क्रियाकलाप

41.1 वास्तविक आवश्यकता पर आधारित 50 लाख रुपये तक के प्रारम्भिक क्रियाकलाप एसएसए कार्यतंत्र के पैरा 2.1 के अधीन शामिल हैं।

41.2 बालमेलों, जत्थों, खेलकूदों, मां बेटी सम्मेलनों आदि जैसे 1000 रुपये तक की लागत वाले स्कूल-आधारित क्रियाकलाप हाथ में लिए जा सकते हैं।

41.3 एसएसए, खेलकूद तथा त्योहारों के लिए अभिप्रेरण के निमित्त सांस्कृतिक क्रियाकलाप, वीईसी/स्कूल प्रबन्ध समितियों का गठन, पारिवारिक सर्वेक्षण तथा प्रत्येक परिवार के हिसाब से तीन रुपये तक की आवास योजनाएं तैयार करना भी इन क्रियाकलापों में शामिल किया जाना चाहिए।

41.4 इस मानदण्ड में उल्लिखित क्रियाकलाप नितान्ततः प्रारम्भिक हैं जिन्हें सामान्य वार्षिक कार्ययोजना और बजट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

42. प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल)।

42.1 भारत सरकार ने प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए अतिरिक्त घटक उपलब्ध कराने के प्रयोजन से हाल ही में एसएसए की अतिरिक्त सहायता के रूप में एनपीईजीईएल की

शुरूआत की है। एनपीईजीएईएल के अधीन उपलब्ध कराए गए वित्तीय मानदण्ड **संलग्नक-III** पर प्रस्तुत है।

42.2 यह योजना निम्न क्षेत्रों में लागू होगीः

(क) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र (ईबीबी) जहां ग्रामीण महिलाओं का साक्षरता स्तर राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है और लड़की-लड़के के बीच का अन्तराल राष्ट्रीय औसत से बढ़ कर है।

(ख) जिलों के ऐसे ब्लाक जहां कम से कम 5% आबादी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की है तथा जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 10% से कम है, वे भी इस कार्यक्रम के अधीन शामिल हैं।

(ग) चुनिन्दा शहरी मलिन बस्तियां।

42.3 मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करते समय शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाक 1991 की जनगणना के आधार पर अभिज्ञात किए गए थे। तथापि राज्य, 2001 की जनगणना के प्रकाश में तथा परिभाषा का ध्यान में रखते हुए और भारत सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद ब्लाकों को बदल सकते हैं।

42.4 जिन राज्यों में महिला समाख्या (एमएस) कार्यक्रम सक्रिय है, उनमें एनपीईजीईएल के कार्यान्वयन के लिए एसएसए निधियां एमएस सोसायटी को अन्तरित कर देगा। एमएस सोसायटी, जहां कहीं ऐसी सोसायटी का गठन किया जा चुका है कार्यक्रम को दिशा और सहायता प्रदान करेगी। एमएस सोसायटी यह सुनिश्चित करेगी कि सोसायटी के राज्य संसाधन समूह में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के संगठनों का प्रतिनिधित्व हो।

42.5 कार्यक्रम की कार्यनीति में निम्न शामिल हैंः

(क) बालिकाओं की शिक्षा के लिए समुदाय, अध्यापकों, एनजीओ आदि सहित अभिप्रेरण। यह एक प्रक्रियोन्मुखी कार्यक्रम है जिसमें समुदाय का स्वामित्व तथा घटकों की डाली अनिवार्यतः स्थानीय सहभागिता से उभरनी चाहिए।

(ख) हालांकि योजना में घटकों की एक डाली की व्यवस्था की गई है फिर भी सभी ब्लाक सभी क्रियाकलाप नहीं करेंगे। परियोजनाएं उस ब्लाक की परिस्थितियों पर आधारित होनी चाहिए और उन्हें विशेष रूप से इन समूहों को लक्षित करना चाहिएः स्कूल न जा सकने वाले बच्चे, ऐसी बालिकाएं जिन्होंने शिक्षा बीच में छोड़ दी है, सीमान्त सामाजिक समूहों की बालिकाएं, ऐसी बालिकाएं जिनकी उपस्थिति न्यून है तथा ऐसी बालिकाएं जिनकी उपलब्धि के स्तर निम्न हैं।

(ग) अध्यापन--अधिगम सामग्री, सीडी, फिल्म तथा अन्य सामग्री सहित सामग्री का निर्माण, पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा/निर्माण में सहायता, लैंगिक चिन्ताओं के समावेशन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करना, बालिकाओं के लिए जीवन कौशलों सहित पूरक पठन सामग्री का निर्माण/संकलन जोकि बालिकाओं की शिक्षा के लिए अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराएगी।

42.6 एनपीईजीईएल के उद्देश्य निम्नानुसार हैं

(क) सुलभता प्रदान करने के लिए सुविधाएं निर्मित करना और उन्हें बढ़ावा देना तथा बालिकाओं का शिक्षा में बने रहना सुकर बनाना और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की अपेक्षतया अधिक सहभागिता सुनिश्चित करना।

(ख) विभिन्न हस्तक्षेपणीय उपायों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा बालिकाओं को सामर्थ्यवान बनाने के प्रयोजन से बालिकाओं की शिक्षा की प्रासंगिकता और गुणवत्ता पर बल देना।

42.7 जिला जेंडर यूनिटों तथा मौजूदा कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने और अभिसरण की जिम्मेदारी संकुल स्तर पर कोर समूह की होगी। वे छात्रों, अध्यापकों, स्वयंसेवकों की सहायता से सर्वेक्षण करेंगे तथा ग्राम योजनाएं तैयार करने में मदद करेंगे। साथ ही वे इन योजनाओं के कार्यान्वयन का मानीटरन करेंगे तथा उस पर नजर रखेंगे। गांव में सामुदायिक अभिप्रेरण, नामांकन शिक्षा बीच में छोड़ने वालों की स्थिति, बालिकाओं की उपलब्धि में हुई प्रगति का जायजा लेने, के लिए मानीटरन करने, गांव में इन क्रियाकलापों के निमित्त हस्तक्षेपणीय उपाय तैयार करने, तथा बालिकाओं की शिक्षा के लिए वातावरण निर्मित करने में वीईसी/एमटीए/ग्राम समुदाय की सहायता करने के प्रयोजन से कोर समूह प्रमुख साधन का निर्माण करेंगे।

42.8 एनपीईजीईएल का जिला कार्यान्वयन यूनिट 'बालिका शिक्षा घटक' के लिए एक अलग उपयोजना तैयार करेगा। डीपीईपी की भांति ही राज्य स्तर पर मौजूद संसाधन समूह, इन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर स्थित सेल में भेजने से पूर्व उनकी छानबीन करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की सलाह से इन योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। एसएसए का पीएबी इन उप-योजनाओं का अनुमोदन करेगा।

42.9 एनपीईजीईएल संकतकों का मार्गदर्शन करने और विकसित करने के लिए राज्य को जेंडर के लिए मौजूदा राज्य संसाधन समूह की स्थापना करना होगी अथवा उसका संवर्धन करना होगा (प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 सितम्बर 2003 के पत्र संख्या फा25-1/2003 प्रा.शि.8 के अधीन जारी किए गए एनपीईजीएल मार्ग निर्देश)।

42.10 राज्य एनपीईजीईएल के लिए एक उपयोजना तैयार करेगा जोकि एसएसए जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना का एक अंग होगी लेकिन वह उसका एक स्वतंत्र घटक होगी।

42.11 योजना में एसएसए योजनाओं के लिए जरूरी अनिवार्य आंकड़ों के अलावा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े प्रत्येक ब्लाक के सम्बन्ध में संकुल और ब्लाक स्तर पर ग्रामीण महिला साक्षरता और लड़के-लड़की के अन्तराल सम्बन्धी आंकड़े भी अनिवार्यतः दिए जाने चाहिए। ईबीबी के चयन के लिए आधार अखिल भारतीय आधार पर महिला साक्षरता दर नहीं बल्कि ग्रामीण महिला साक्षरता होनी चाहिए। तथापि लड़के-लड़की के बीच का अन्तर अखिल भारतीय आधार पर पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर के बीच मौजूद अन्तराल होगा।

42.12 योजना में संकुल और ब्लाक स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की आबादी के प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर और साथ ही सामान्य महिला साक्षरता दर सम्बन्धी आंकड़े अवश्य उपलब्ध कराए जाने चाहिएं।

42.13 शहरी मलिन बस्तियों का चयन शहरी विकास और निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बड़े शहरों में अभिज्ञात शहरी मलिन बस्तियों के आधार पर होगा। छोटे मुफस्सिल क्षेत्र, जिनकी साक्षरता दरें स्थानीय ब्लाक आंकड़ों में शामिल हैं, शामिल कर लिए जाएंगे बशर्ते कि ब्लाक एनपीईजीईएल मानदण्ड के अधीन पात्र है। चयनित शहरी मलिन बस्तियों, इसमें रहने वाले लड़कों और लड़कियों--दोनों की संख्या, महिला साक्षरता, लड़के-लड़की के बीच के अन्तराल आदि सम्बन्धी आंकड़े याजना में दर्शाए जाने चाहिएं।

42.14 प्रस्तावित प्रत्येक हस्तक्षेपणीय उपाय के ब्यौरे योजना में स्पष्टतः दर्शाए जाने चाहिएं।

43. **प्रगति सिंहावलोकनः** क्योंकि एडब्ल्यूपीतथाबी प्रस्ताव एक अविच्छिन्न कार्यक्रम के अंग हैं, इसलिए वे की गई प्रगति तथा अधूरे पड़े लक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए। इसलिए प्रत्येक हस्तक्षेपणयी उपाय का प्रगति सिंहावलोकन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रगति सिंहावलोकन में पिछले वर्ष में की गई प्रगति शामिल है जोकि जिले के लिए अपनी कार्यनीतियों, सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझने का एक साधन है जिसके बल पर जिला आने वाले वर्ष के लिए बेहतर योजना बना सकेगा। वर्ष के अन्त में वर्ष के दौरान अव्ययित परिव्यय 'बचाया गया परिव्यय' के रूप में निकाला जाएगा और दर्शाया जाएगा।

44. **शेष बच रहे क्रियाकलापः** यदि किसी वर्ष विशेष में कोई अनुमोदित परिव्यय पूरी तरह खर्च नहीं किया जाता तो वह बचत किया गया परिव्यय बन जाता है। सामान्यतः अनावर्ती शीर्षों के अधीन बचाया गया परिव्यय आने वाले वर्ष के लिए शेष बच रहे क्रियाकलापों के रूप में लिया जाता है। शेष बच रहे क्रियाकलापों के कारण जिले को सिविल निर्माण कार्यों, टीएलई के एकबारगी अनुदान, बीआरसी, सीआरसी आदि के लिए फर्नीचर अनुदान जैसी अनावर्ती प्रकृति के क्रियाकलापों को जोकि वर्ष के दौरान पूरे नहीं किए जा सके थे जारी रखने की अनुमति प्रदान करता है। प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष एडब्ल्यूपीतथाबी के साथ-साथ शेष बच रहे क्रियाकलापों की योजना भी तैयार करनी चाहिए।

45. प्रगति सिंहावलोकन और शेष बच रहे क्रियाकलापों की योजना का प्रपत्र **संलग्नक-IV** पर दिया गया है।

46. योजनाओं का मूल्यांकन

46.1 जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना के एक बार तैयार कर लिए जाने के बाद इसे राज्य परियोजना कार्यालय को भेजा जाता है। इसके बाद ये जिला योजनाएं और राज्य घटक योजना राज्य कार्यान्वयन सोसायटी द्वारा मूल्यांकन के लिए ईई ब्यूरो को भेजे जाते हैं। एसएसए के अधीन आयोजना और मूल्यांकन के लिए एक व्यापक नियम पुस्तिका तैयार की गई है और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ उसका आदान-प्रदान किया गया है।

46.2 प्रस्तुत नियम पुस्तिका को निम्न के साथ पढ़ा जाना चाहिएः (i) कार्यान्वयन के लिए एसएसए का कार्यतंत्र; (ii) एसएसए के अधीन आयोजना और मूल्यांकन के लिए नियम पुस्तिका; (iii) विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए समय-समय पर निकाली गई नियम पुस्तिकाएं; तथा (iv) परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठकों में समय-समय पर लिए गए नीतिगत निर्णय।

46.3 मूल्यांकन के उद्देश्यः एसएसए में मूल्यांकन, योजना में प्रस्तावित हस्तक्षेपणीय उपायों, वित्तीय, कार्यक्रम संबंधी, प्रबंधकीय तथा तकनीकी व्यवहार्यता की जांच और विश्लेषण करता है। यह प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए एक कार्यक्रम के रूप में एसएसए पर बल देते हुए

तथा निम्न विशिष्ट उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए एक गुणवत्तात्मक और परिमाणात्मक कार्रवाई है:-

(क) राज्य और जिला योजनाओं में एसएसए कार्यक्रम के सभी पक्षों और घटकों की गहन समीक्षा करना;

(ख) राज्य और जिला योजनाओं के बीच पारस्परिक घटकों और शिक्षा के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों के बीच अंतःसंबंधों का जायजा लेने के लिए राज्य और जिला योजनाओं की समीक्षा करना;

(ग) तकनीकी, प्रबंधकीय और वित्तीय व्यवहार्यता की दृष्टि से अलग-अलग घटकों का जायजा लेना;

(घ) राज्य और जिला योजनाओं की शक्तियों और दुबर्लताओं का एक समग्र मूल्यांकन करना; तथा

(ड.) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में राज्य और जिलों की तत्परता का जायजा लेना।

46.4 मूल्यांकन मिशनः निम्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों वाला एक मूल्यांकन मिशन राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों और जिलों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का मूल्यांकन करता हैः

(क) स्कूल न जा सकने वाले बच्चों की शिक्षा (ईजीएस तथा एआईई);

(ख) विशेष ध्यातव्य समूह (बालिकाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे आदि);

(ग) गुणवत्ता विषयक मुद्दे (पाठ्यचर्या तथा टीएलएम, अध्यापक शिक्षा/प्रशिक्षण, अध्यापन-अधिगम प्रक्रियाएं, अनुसंधान और मूल्यांकन आदि);

(घ) अपेक्षित जानकारी/आंकड़े;

(ड.) सिविल निर्माण कार्य;

(च) प्रबंध और एमआईएस;

(छ) मानीटरन और मूल्यांकन; तथा

(ज) बजट और लागत निर्धारणज

46.5 मूल्यांकन मिशन में एक संयोजक होगा जोकि मूल्यांकन प्रक्रिया और रिपोर्ट तैयार करने के काम का समन्वय करेगा। यह संयोजक सदस्यों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र के अनुसार दायित्वों का आबंटन करेगा। मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए पहल करना और उसे समय पर तैयार करने की जिम्मेदारी सभी सदस्यों की होगी।

46.6 मूल्यांकन की प्रविधिः ईई ब्यूरो शुरू में मूल्यांकन मिशन को संक्षेप में अवगत कराएगा तथा मिशन को विचारार्थ विषय उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उसके काम को सुकर बनाया जा सके। इस मौके पर यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या योजना का मूल्यांकन डेस्क पर किया जाएगा या क्षेत्र दौरा आवश्यक है। यदि क्षेत्र दौरा जरूरी है तो मिशन राज्य, कुछेक जिलों और बीआरसी, सीआरसी, स्कूलों आदि जैसे अन्य उपजिला निकायों का दौरा करेगा। क्षेत्र दौरे के समय मिशन समुदाय के सदस्यों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान करेगा और उनकी समस्याओं को समझेगा। इसके बाद राज्य स्तर पर इसके निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए मिशन की एक

समापन बैठक आयोजित की जाएगी। दौरे के बाद मिशन एक मूल्यांकन रिपोर्ट करेगा तथा उसे इई ब्यूरो को भेजेगा।

46.7 मूल्यांकन मिशन को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य सरकारें, प्रारम्भिक शिक्षा में उसी स्तर का निवेश बनाए रखेंगी जैसाकि 1999-2000 में था। एसएसए के लिए राज्यों का योगदान इस सीमा से बढ़कर होगा।

46.8 जबकि शुरू के वर्षों में भारत सरकार द्वारा गठित मिशन द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा ऐसी आशा की जाती है कि एक बार समुचित क्षमता का निर्माण कर लिए जाने के बाद यह कार्रवाई राज्य स्तर पर की जा सकेगी जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मात्र एक यादृच्छिक नमूना मूल्यांकन किया जाएगा।

47. परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा योजनाओं का अनुमोदन

47.1 मूल्यांकन मिशन द्वारा जिन योजनाओं का उनकी लागत निर्धारण सहित इस प्रकार मूल्यांकन किया जाएगा एक परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा उनकी समीक्षा की जाएगी। इस परियोजना अनुमोदन बोर्ड का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्रारम्भिक शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में किया जाएगा जिसके सदस्यों में ये लोग शामिल होंगेः योजना आयोग, एकीकृत वित्त प्रभाग, श्रम मंत्रालय, महिला और बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय मंत्रालय तथा जनजातीय मामला मंत्रालय, एनसीईआरटी, नीपा, एनसीटीई के प्रतिनिधि, संयुक्त सचिव (ईई), इई ब्यूरो के निदेशक/उपसचिव, राज्यों के प्रतिनिधि, मूल्यांकन मिशन के सदस्य आदि। योजनाओं पर विचार करते समय पीएबी, एसएसए के कार्यतंत्र में परिकल्पित वित्तीय मानदंडों का अनुपालन, एसएसए कार्यक्रम के समग्र उद्देश्यों के प्रति संगति, प्रस्तावित हस्तक्षेपणीय उपायों की लागत प्रभाविता का अनुपालन सुनिश्चित करता है जिसमें सिविल निर्माण कार्यों, प्रशिक्षण, अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण, मानीटरन के लिए सुस्थापित मानकों का अनुपालन और साथ ही विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम हस्तक्षेपणीय उपायों और नवाचारों को सहयोग देने और उनकी देखभाल करने के लिए निर्मित क्षमताएं शामिल हैं। समीक्षा के आधार पर पीएबी संशोधनों सहित या उनके बिना योजना मंजूर करने का निर्णय लेगा तथा विभिन्न हस्तक्षेपणीय उपायों के लिए वार्षिक बजट परिव्यय की मात्रा तय करेगा।

48. बजट कैलेंडर

48.1 वार्षिक कार्ययोजना और बजट तैयार करने के लिए निम्न समय-सूची का पालन किया जाना चाहिएः-

(क)	परिकल्पना प्रक्रिया तथा क्रियाकलापों की योजना और जिला स्तर पर निधियों की आवश्यकता	1 जनवरी
(ख)	राज्य और जिले के लिए सहभागितापूर्ण आयोजना प्रक्रिया के माध्यम से एडब्ल्यूपीतथाबी का निर्माण तथा विकास	10 जनवरी
(ग)	जिला योजनाओं का राज्य परियोजना कार्यालय को अंतरण	1 फरवरी
(घ)	राज्य सरकार के साथ परामर्श और राज्य सरकार के विचार प्राप्त करना	15 फरवरी

(ड.)	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों के आधार पर जिला योजनाओं का संशोधन यदि कोई हो तो	28 फरवरी
(च)	एडब्ल्यूपीतथाबी को अंतिम रूप देना और राज्य सोसायटी की कार्यकारी समिति द्वारा उसका अनुमोदन	5 मार्च
(छ)	इई ब्यूरो को योजनाओं का अंतरण	15 मार्च
(ज)	मूल्यांकन मिशन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं का मूल्यांकन	1 अप्रैल
(झ)	परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा योजनाओं की मंजूरी	15 अप्रैल
(ञ)	पीएबी के कार्यवृत्त का राज्य/जिले में परिचालन	25 अप्रैल

अध्याय-IV
लेखांकन

49. मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों-दोनों स्तरों पर राज्य कार्यान्वयन सोसायटी के मौद्रिक लेनदेन सम्बन्धी पूरे लेखे उसी तरह से रखे जाएं जैसेकि राज्य सरकार कार्यालय में रखे जाने होते हैं। एसएसए के अधीन **'व्यापारिक प्रणाली पर आधारित दोहरी प्रविष्टि विधि'** का भी पालन किया जाएगा।

50. सोसायटी द्वारा निम्न बहियां, खाते और रजिस्टर रखे जाएंगेः

(क) रोकड़ बही

(ख) खाता

(ग) रोजनामचा

(घ) जर्नल/पत्रिकाओं/समाचारपत्रों के लिए रजिस्टर

(ड.) अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर

(च) प्राप्त हुए मनीआर्डरों और बैंक ड्राफ्टों का रजिस्टर

(छ) बैंक में किए गए धन-प्रेषणों का रजिस्टर

(ज) बैंक पासबुक

(झ) भेजे गए मनीआर्डरों, पोस्टलआर्डरों और बैंक ड्राफ्टों का रजिस्टर

(ञ) बिल रजिस्टर

(ट) स्थापना रजिस्टर

(ठ) स्टाक रजिस्टर

(ड) पूंजीगत माल

  (i) अनुपभोज्य पदार्थ

  (ii) उपभोज्य पदार्थ

  (iii) निर्माण कार्यों का रजिस्टर

(ढ़) अभिप्रेरण एजेंसियों/एनजीओ/स्वैच्छिक एजेंसियों को अग्रिमों की मंजूरी का रजिस्टर

(ण) स्थिर परिसम्पत्ति रजिस्टर

(त) निवेशों का रजिस्टर

(थ) परियोजना के वर्गीकरण खाते

(द) प्राप्तियों और भुगतान का मासिक रजिस्टर

(ध) अस्थायी अग्रिम रजिस्टर

  (i) स्टाफ

  (ii) ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/वीईसी

(iii) टीए/डीए अग्रिम

(न) प्रेषण रजिस्टर

(प) फाइल रजिस्टर

51. सोसायटी के रोजमर्रा के कामकाज की दृष्टि से जो अन्य बहियां और लेखे रखे जाने जरूरी समझे जाएं, राज्य परियोजना निदेशक के अनुमोदन से वे सभी रखे जाएंगे।

52. लेखों की बहियां और प्रपत्र उन्हीं प्रपत्रों में रखे जाएंगे जिनमें वे राज्य सरकार के कार्यालय में रखे जाते हैं। यदि कोई रजिस्टर और प्रपत्र राज्य सरकार के कार्यालय में प्रयोग में नहीं हैं तो राज्य सोसायटी द्वारा राज्य परियोजना निदेशक के अनुमोदन से अपनाए गए प्रपत्रों का पालन किया जाएगा।

53. जिला-वार लेखे तैयार करने के लिए रोकड़ बही में प्रत्येक प्रविष्टि के सामने जिले का नाम निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

54. महीने के अन्त में, प्रत्येक जिले के सम्बन्ध में किए गए मासिक व्यय को दर्शाने वाला जिला-वार सार तैयार किया जाना चाहिए।

55. प्रत्येक जिले के सम्बन्ध में माह-दर-माह प्रगामी खर्च को दर्शाने वाला एक समेकित रजिस्टर भी रखा जाएगा।

56. प्रत्येक हस्तक्षेपणीय उपाय के अधीन आबंटन और व्यय दर्शाने वाला एक तिमाही व्यय विवरण भी तैयार किया जाएगा और राज्य परियोजना निदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा जोकि एक समेकित तिमाही व्यय विवरण तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार और भारत सरकार के सम्बन्धित विभाग (ईईब्यूरो, प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, एमएचआरडी) को भेजेगा।

57. प्रत्येक तिमाही के अन्त में उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक लेखा शीर्ष के अधीन अथशेष और अन्तशेष सहित कुल प्राप्तियां तथा भुगतान दर्शाते हुए एक समेकित लेखा तैयार किया जाएगा और राज्य सरकार और भारत सरकार के सम्बन्धित विभाग (ईई ब्यूरो, प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, एमएचआरडी) को भेजा जाएगा।

58. खाते और प्राप्तियां/बीजक व्यय के सभी स्तरों पर रखे जाने चाहिए।

59. जहां कहीं वीईसी तथा अन्य ग्रामीण संगठन निधियां प्राप्त कर रहे हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं, वहां भी जिला स्तर पर अभिलेख रखे जाने चाहिए।

60. ये अभिलेख तथा प्राप्तियां/बीजक लेखापरीक्षकों, राज्य कार्यान्वयन सोसायटी, राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा जांच किए जाने के लिए सुलभ रहेंगे।

61. जिला और राज्य स्तरों पर प्राप्तियों और व्यय के समेकित अभिलेख रखे जाएंगे।

62. सोसायटी को भारत सरकार के अनुदानों में से पूर्णतः अथवा अधिकांशतः अभिगृहीत परिसम्पत्तियों की बाबत **संलग्नक V** पर दिए गए प्रपत्र में परिसम्पत्तियों का एक रजिस्टर रखना होगा तथा पूंजीगत माल, उपभोज्य और अनुपभोज्य पदार्थों क लिए अलग से रजिस्टर रखना होगा तथा वर्ष में कम से कम एक बार उसके वास्तविक सत्यापन की व्यवस्था करनी होगी। इस तरह के रजिस्टर स्थितिअनुसार स्कूल, सीआरसी, बीआरसी, डीपीओ तथा एसपीओ स्तरों पर रखे जाएंगे। सोसायटी द्वारा भारत सरकार को भेजे जाने वाले लेखाओं के वार्षिक विवरण के

साथ परिसम्पत्तियों के रजिस्टर का संगत सार संलग्न करना चाहिए। परिसम्पत्तियों के रजिस्टर में भण्डार और मूल्य--दोनों से सम्बन्धित प्रगामी राशियां दर्शायी जाएंगी।

63. कार्यक्रम के लेखाओं का रखरखाव इस सिद्धान्त से शासित होना चाहिए कि सोसायटी द्वारा ऐसा कोई खर्च न किया जाए जोकि कार्यक्रम के लक्ष्य के प्रतिकूल हो और जो भी खर्च किया गया है उसकी प्रत्येक मद वित्तीय औचित्य की निर्धारित क्रियाविधियों तथा सिद्धान्तों के अनुरूप है।

64. वित्तीय औचित्य के इन सिद्धान्तों के अनुसरण में एसआईएस के प्रत्येक कार्मिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे किः

(i) सरकारी निधि में से खर्च के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसी तरह की सतर्कता का प्रयोग करेगा जोकि एक सामान्य दूरदर्शिता वाला व्यक्ति स्वयं अपना पैसा खर्च करते समय करता है;

(ii) प्रथमदृष्ट्या खर्च अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए;

(iii) खर्च की मंजूरी देने के निमित्त आदेश पारित करने के लिए कोई भी प्राधिकारी अधिकारों का ऐसा प्रयोग नहीं करेगा जोकि सीधे अथवा परोक्षतः उसके अपने हित में हो;

(iv) सरकारी निधि का प्रयोग किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग के लाभ के लिए तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि

(क) राशि के लिए दावा किसी न्यायालय में किया जा सकता हो; अथवा

(ख) खर्च किसी मान्यताप्राप्त नीति अथवा रिवाज के अनुसरण में हो।

(v) किसी विशेष प्रकार के खर्च की पूर्ति के लिए मंजूर की गई छूटों की राशि इस प्रकार विनियमित की जानी चाहिए कि ये छूटें समग्र रूप में प्राप्तकर्ताओं के लिए लाभ का स्रोत न बन जाए।

65. इन लेखांकन सिद्धान्तों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सोसायटी के लेखा स्कन्ध की होगी।

66. साथ ही प्रत्येक सोसायटी के लिए यह जरूरी होगा कि वह आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों के समुचित और सन्तोषपूर्ण निष्पादन की व्यवस्था करे।

67. भारत सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी सोसायटी को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए दिया गया अनुदान अथवा उसका कोई अंश मंजूरी प्राधिकारी द्वारा जिस प्रयोजन के लिए वह मूलतः मंजूर किया गया था, उससे इतर प्रयोजन के लिए मंजूरी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना विनियोजित नहीं किया जाएगा।

68. भारत सरकार द्वारा राज्य सोसायटियों को दिया गया अनुदान, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक में खोले गए संयुक्त हस्ताक्षरों वाले बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

69. अन्य स्रोतों से, जिनमें अनुदान में राज्य सरकार का हिस्सा शामिल है होने वाली प्राप्तियां भी उसी संयुक्त हस्ताक्षरों वाले बैंक खाते में जमा की जाएंगी और उनका समुचित हिसाब-किताब रखा जाएगा।

70. राज्य सोसायटी की कार्यकारी समिति इन बातों के लिए अधिकारप्राप्त हैः किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक में संयुक्त हस्ताक्षरों वाला बैंक खाता खोलना, लेखाओं के संचालन के लिए किसी आहरण तथा संवितरण अधिकारी को अधिकृत करना और राज्य, जिला, ब्लाक, ग्राम तथा स्कूल स्तरों पर वित्तीय कार्य प्रायोजित करना।

71. राज्य सोसायटियों द्वारा जिलों को दिए जाने वाली निधियों की बाबत जिला स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा अनुसूचित बैंक में तथा ब्लाक और ग्राम स्तर पर ऐसे किसी बैंक अथवा डाकघरों में संयुक्त हस्ताक्षरों वाले बैंक खाते खोले जाएंगे।

72. अग्रिम

72.1 जिला और उपजिला स्तरों पर प्रदत्त निधियों को शुरू में अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और लेखाबहियों में भी उन्हें उसी रूप में दर्शाया जाता है। इन अग्रिमों को निधियों के खर्च हो जाने के बाद राज्य कार्यान्वयन सोसायटी में प्राप्त व्यय विवरणों/उपयोगिता प्रमाणपत्रों के आधार पर समायोजित किया जाएगा। ऐसे अग्रिम जो ऐसे मदों पर वस्तुतः खर्च नहीं किए गए हैं जिनके लेखाओं का निपटान नहीं हुआ है व्यय के रूप में नहीं बल्कि अग्रिमों के रूप में दिखलाए जाएं। जिला और उपजिला स्तर पर प्रदान की जाने वाली निधियों के सन्दर्भ में भी ऐसी ही क्रियाविधि अपनाई जाएगी।

73. अग्रिमों को विनियमित करने के लिए मानदण्ड

73.1 अग्रिमों को विनियमित करने के लिए निम्न मानदण्डों का पालन किया जाना चाहिए, जिन्हें केवल उसी स्थिति में व्यय समझा जाएगा जबकि उनके समर्थन में उपयोगिता प्रमाणपत्र/व्यय विवरण उपलब्ध होंः

उपजिला स्तर

क्रम संख्या	**क्रियाकलाप**	**राशि प्रदान किए जाने की आवधिकता**	**निम्न द्वारा किया गया व्यय**	**प्रमाणक दस्तावेज**	**दस्तावेज प्रस्तुति की समय सीमा**
1.	स्कूल अनुदान	वार्षिक	स्कूल प्रबन्ध समिति	उपयोगिता प्रमाणपत्र	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक महीने के भीतर
2.	अध्यापक अनुदान	वार्षिक	अध्यापक	उपयोगिता प्रमाणपत्र	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक महीने को भीतर
3.	टीएलई	एकबारगी	स्कूल प्रबन्ध समिति	व्यय विवरण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक महीने के भीतर
4.	स्कूल भवन की मरम्मतऔर रखरखाव	वार्षिक	स्कूल प्रबन्ध समिति	उपयोगिता प्रमाणपत्र	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक महीने के भीतर
5.	समुदाय द्वारा सिविल निर्माण कार्य	दो किश्तें	वीईसी/एसएमसी	पर्यवेक्षी इंजीनियर का प्रमाणपत्र (दूसरी किश्त	कार्य की पूर्ति के तीन महीने के भीतर

				तथा अन्तिम अदायगी के लिए) तथा व्यय विवरण	
6.	स्थानीय रूप से नियुक्त अध्यापकों का वेतन	तिमाही	वीईसी/एसएमसी	व्यय विवरण	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक महीने के भीतर
7.	ईजीएस/एआईई (क) वेतन (ख) सामग्री	 तिमाही वार्षिक	 वीईसी/एसएमसी/ एनजीओ वीईसी/एसएमसी/ एनजीओ	 व्यय विवरण व्यय विवरण	 प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक महीने के भीतर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक महीने के भीतर
8.	अध्यापक प्रशिक्षण	दो किश्तें	बीआरसी/ सीआरसी	व्यय विवरण	प्रशिक्षण की समाप्ति के एक महीने के भीतर
9.	बीआरसी/सीआरसी को आकस्मिकता अनुदान	वार्षिक	बीआरसी/ सीआरसी	व्यय विवरण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक महीने के भीतर

जिला स्तर

क्रम संख्या	**क्रियाकलाप**	**राशि प्रदान किए जाने की आवधिकता**	**निम्न द्वारा किया गया व्यय**	**प्रमाणक दस्तावेज**	**दस्तावेज प्रस्तुति की समय सीमा**
1.	अध्यापक का वेतन	तिमाही	डीपीओ	व्यय विवरण	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद एक महीने के भीतर

राज्य स्तर

क्रम संख्या	**क्रियाकलाप**	**राशि प्रदान किए जाने की आवधिकता**	**निम्न द्वारा किया गया व्यय**	**प्रमाणक दस्तावेज**	**प्रलेखन प्रस्तुति की समय सीमा**
1.	अध्यापक का वेतन	तिमाही	एसपीओ	व्यय विवरण	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद एक महीने के भीतर

73.2 निर्माण कार्यों/आपूर्ति सम्बन्धी करारों के अनुसरण में ठेकेदारों/आपूर्तिकताओं को दिए गए अग्रिम व्यय के रूप में समझे जाएंगे। यह किए गए कार्य/की गई आपूर्ति दर्शाने वाले विस्तृत लेखाओं की प्रस्तुति के अध्यधीन होगा। तथापि सरकारी विभागों को दिए गए अग्रिमों को तब तक व्यय के रूप में नहीं समझा जाएगा जब तक कि व्यय विवरण प्राप्त नहीं हो जाता।

73.3 उपयोगिता प्रमाणपत्र/व्यय विवरण उपर्युक्त निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के अग्रिम के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र/व्यय विवरण का प्रपत्र, जिसमें प्रदान की गई राशि, क्रियाकलाप-वार किया गया खर्च और की गई प्रगति दर्शायी गई होगी राज्य कार्यान्वयन समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा और उसे सोसायटी की वित्तीय नियमावली तथा विनियमों में शामिल कर दिया जाएगा। यदि वह निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो और आगे अग्रिम नहीं दिया जाएगा।

73.4 **रिपोर्ट प्रस्तुत करने** के प्रयोजन से उक्त अग्रिमों को व्यय समझा जाएगा तथा उनके उपयोगिता प्रमाणपत्र, राज्य कार्यान्वयन सोसायटी के वित्तीय विनियमों द्वारा यथानिर्धारित स्तरों तक रखे जाएंगे (देखे **संलग्नक X**)।

74. अग्रिम रजिस्टर

74.1 सभी अग्रिम, **संलग्नक VI** में दिए गए नमूने के अनुसार अग्रिम रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे।

74.2 अग्रिमों का समायोजन भी शीघ्रतापूर्वक रजिस्टर में दर्ज कराया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्तिगत अग्रिम एक महीने से अधिक तक बकाया न रहे। यदि व्यक्तिगत अग्रिमों के सम्बन्ध में समायोजन दावे समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो ब्याज प्रभारित करने सहित दाण्डिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

74.3 पैरा 73.1 में निर्दिष्ट अन्य सभी अग्रिम उपयोगिता प्रमाणपत्र/व्यय विवरण की प्राप्ति पर समायोजित किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन अग्रिमों सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाणपत्र/व्यय विवरण निर्धारित अवधि पूरी हो जाने के तत्काल बाद प्राप्त कर लिए जाते हैं।

75. अग्रिमों का मानीटरन

75.1 अग्रिम प्रदान करने वाले प्राधिकारी का निकटतम उच्चतर प्राधिकारी अग्रिमों के समायोजन की प्रगति पर कड़ी निगाह रखेगा तथा उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर अग्रिमों के शीघ्र समायोजन के लिए अपेक्षित उपचारात्मक उपाय करगा।

75.2 सभी कार्मिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखांकन में मानक खर्चों को नहीं बल्कि वास्तविक खर्च को ही खर्च समझा जाए।

76. लेखा शीर्ष

76.1 लेखा शीर्ष और लेखा कोड बजट शीर्ष और बजट कोड जैसा होना चाहिए। ये हस्तक्षेपणीय उपायों और एसएसए कार्यतंत्र में निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप होने चाहिए। यदि कोई उपशीर्ष या उपकोड जरूरी प्रतीत होता है तो उसे तदनुसार संचालित किया जाएगा। लेखाओं का एक नमूने का चार्ट **संलग्नक VII** पर प्रस्तुत है।

77. रोकड़ बही

77.1 रोकड़ बही प्रतिदिन होने वाले सभी मौद्रिक लेन-देन का प्रमुख अभिलेख है तथा बाकी सभी रजिस्टर उसके गौण हैं।

77.2 रोकड़ बही दोहरी प्रविष्टि पद्धति के अनुसार रखी जानी चाहिए।

77.3 इसमें दो खाने होते हैं 'प्राप्तियां' और 'भुगतान'। प्रत्येक खाने में राशि के खाने को 'नकदी' तथा 'बैंक' के रूप में उपविभाजित कर दिया जाता है।

77.4 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अलग रोकड़ बही रखी जानी चाहिए।

77.5 प्राप्ति तथा व्यय की प्रत्येक प्रविष्टि वर्णनात्मक किन्तु प्रकृति से संक्षिप्त होनी चाहिए।

77.6 प्रत्येक वाउचर को एक क्रम संख्या तथा लेजर फोलियो संख्या दी जानी चाहिए जिसे रोकड़ बही में प्रत्येक प्रविष्टि के सामने निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

77.7 रोकड़ बही में प्रत्येक प्रविष्टि कार्यालय अध्यक्ष/आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए।

77.8 रोकड़ बही रोज बन्द की जानी चाहिए तथा कुल रोकड़ बाकी निकाली जानी चाहिए तथा योगों के सत्यापन के बाद कार्यालय अध्यक्ष/डीडीओ द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए।

77.9 प्राप्त हुई सभी नकदी/चेक/डिमांड ड्राफ्ट जहां तक संभव हो सके उसी दिन अथवा हर सूरत में अगले दिन बैंक में जमा करा दिए जाने चाहिए ताकि नकदी लम्बे समय तक मार्गस्थ न रहे। यदि कोई नकदी रोक ली जाती है तो उसका कार्यालय अध्यक्ष/डीडीओ द्वारा वस्तुतः सत्यापन किया जाना चाहिए और रोकड़ बही में रिकार्ड किया जाना चाहिए और हाथ में रोकड़ को अगले दिन ही बैंक में जमा कर दिया जाना चाहिए।

77.10 जब नकदी/चेक/डीडी बैंक में जमा करा दिया जाता है तो कार्यालय अध्यक्ष/डीडीओ द्वारा जमा करने की पर्ची के अधपन्ने की रोकड़ बही के साथ तसदीक की जानी चाहिए।

77.11 लिखे हुए के ऊपर लिखने से बचा जाना चाहिए और संशोधन, यदि कोई हों तो कार्यालय अध्यक्ष/डीडीओ द्वारा तारीख सहित उसके आद्यक्षरों द्वारा सत्यापित किए जाने चाहिए।

77.12 तीसरे पक्षकारों/कम्पनियों आदि को केवल रेखित आदाता को देय चेक जारी किए जाने चाहिए।

77.13 जहां तक हो सके धारक चेक जारी नहीं किए जाने चाहिए।

77.14 यदि दिन में कोई लेन-देन नहीं हुआ है तो उस दिन/उन दिनों में रोकड़ बही में 'कोई लेन-देन नहीं' प्रविष्टि की जानी चाहिए और बकाया को अगले दिन अग्रेनीत किया जाना चाहिए तथा कार्यालय अध्यक्ष/डीडीओ द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

77.15 जब भुगतान चेक के जरिए किया जाता है तो दुतरफा पड़ताल के लिए चेक की संख्या अनिवार्यतः रोकड़ बही में निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

77.16 कार्यालय अध्यक्ष/डीडीओ की अनुपस्थिति में रोकड़ बही में प्रविष्टियों को सत्यापित करने की जिम्मेदारी किसी अधीनस्थ अधिकारी को सौंपी जा सकती है, किन्तु कार्यालय अध्यक्ष/डीडीओ को लौट आने पर उसे इस सम्बन्ध में अपनी तसल्ली करनी चाहिए कि कोई अनियमितता नहीं हुई है और इस जांच के प्रमाणस्वरूप उसे वापिस आने के तत्काल बाद रोकड़ बही पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

78. रोकड़ शेष का सत्यापन

78.1 कार्यालय अध्यक्ष/डीडीओ अथवा सर्वाधिक वरिष्ठतम प्रभारी अधिकारी द्वारा एक महीने में कम से कम एक बार तिजोरी/नकदी बक्से में रखी हुई राशि गिनी जानी चाहिए और उस राशि का रोकड़ बही के रोकड़ शेष के साथ मिलान किया जाना चाहिए।

78.2 सत्यापन का परिणाम हर दफा रोकड़ बही में निम्न ढंग से अभिलेखबद्ध किया जाना चाहिए

'मैंने आज रोकड़ शेष का सत्यापन किया और वस्तुतः गणना करने पर रु.................... (अंकों में) (रुपये....................... (शब्दों में) रोकड़ शेष पाया।

हस्ताक्षर

अधिकारी का पदनाम

78.3 यदि रोकड़ शेष, रोकड़ बही के अनुसार नहीं पाया जाता है तो रोकड़ बही में इस तथ्य का उल्लेख किया जाना चाहिए और यदि वह गलती तत्काल दुरुस्त नहीं की जा सकती है तो इसकी रिपोर्ट अगले उच्चतर अधिकारी को दी जानी चाहिए।

78.4 कमी या बढ़ोतरी को आवश्यक प्राप्ति अथवा भुगतान प्रविष्टि करके 'अधिक पाए गए रोकड़' को विविध राजस्व के रूप में तथा 'कम पाए गए रोकड़' को हानि के रूप में दिखाकर दुरुस्त किया जाना चाहिए।

79. त्रुटियों का सुधार

79.1 यदि प्राप्तियों या चेक की किसी शीर्ष से सम्बन्धित मद गलती से अन्य शीर्ष के अधीन वर्गीकृत कर दी गई है तो इस त्रुटि का सुधार निम्न तरीके से किया जाएगाः

(क) यदि दिन के खाते बन्द करने से पहले त्रुटि का पता चल जाता है तो दिन के खाते बन्द करने से पूर्व मूल प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए।

(ख) यदि दिन के खाते बन्द करने के बाद किन्तु 31 मार्च से पूर्व त्रुटि का पता चलता है तो रोकड़ बही में संशोधन एक नई प्रविष्टि के रूप में किया जाना चाहिए।

टिप्पणीः केवल वर्गीकरण अर्थात् रोकड़ बही के एक खाने में प्राप्ति अथवा भुगतान को प्रभावित करने वाली किन्तु मौद्रिक मूल्य में कोई बदलाव न लाने वाली त्रुटियां उपर्युक्त (क) में बताए अनुसार विधि से संशोधित की जा सकती है, यदि इस तरह की त्रुटि महीने के खाते बन्द किए जाने से पूर्व पकड़ में आ जाती है।

(ग) यदि मार्च का खाता बन्द किए जाने के बाद त्रुटि का पता चलता है तो त्रुटि एक खाता प्रविष्टि के जरिए दुरुस्त की जानी चाहिए।

(घ) ऐसे सभी मामलों में संशोधनकारी प्रविष्टि, कार्यालय अध्यक्ष के अनुमोदन से अन्तरण प्रविष्टि ज्ञापन से समर्थित होनी चाहिए और संशोधन के बारे में एक टिप्पणी लाल स्याही में मूल प्रविष्टि के सामने दर्ज की जाने चाहिए।

80. रोजनामचा

80.1 रोजनामचा एक महत्वपूर्ण लेखाबही होती है। इसका प्रयोग नकद लेन-देन से इतर केवल समायोजन प्रविष्टियों तक सीमित होता है। रोजनामचे के जरिए पारित प्रत्येक समायोजन प्रविष्टि

को वाउचरों का समर्थन प्राप्त होगा। वाउचर में प्रत्येक प्रविष्टि का एक संक्षिप्त वर्णन होगा और इस पर कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। लेखाकार रोजनामचों की प्रत्येक प्रविष्टि की वाउचरों के साथ जांच करेगा और जांची गई प्रविष्टियों के सामने तारीख सहित आद्यक्षर करेगा।

81. खाता बही

81.1 खाता बही एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें रोकड़ बही अथवा रोजनामचे में दर्ज सभी लेन-देनों को लेखों के विभिन्न शीर्षों अथवा व्यय के विषयों अथवा उसके किसी उप-यूनिट के रूप में वगीकृत किया जाता है।

81.2 खाता बही निर्धारित प्रपत्र में रखी जानी चाहिए। व्यय की प्रत्येक मद के लिए अलग पृष्ठ खोले जाने चाहिए।

81.3 खाता बही के लेखा इस ढंग से रखे और समूहबद्ध किए जाएंगे कि वांछित सूचना तत्काल प्राप्त हो सके।

81.4 विभिन्न विस्तृत शीर्षों के अधीन संयुक्त खाताबही लेखे रखे जा सकते हैं। आकस्मिक रजिस्टर ऐसे ढंग से रखा जाना चाहिए कि इसका प्रयोग विविध मदों के अधीन व्यय दर्ज करने के लिए किया जा सके।

81.5 खाता-बही का प्रत्येक लेखा दो खानों में बंटा होता है, बाएं खाने को 'नामे पक्ष' तथा दाएं खाने को 'जमा पक्ष' कहा जाता है।

81.6 रोकड़ बही और रोजनामचे के 'नामे' तथा 'जमा' की सभी मदें सम्बन्धित खाताबही लेखे में उसी दिन दर्ज की जानी चाहिए।

81.7 दैनिक योग अनिवार्यतः दिए जाने चाहिए और जहां कहीं जरूरी हो प्रगामी योग दर्शाया जाना चाहिए।

81.8 जारी किए गए चेकों और बैंक चालानों/धन प्रेषणों के दैनिक योगों की बैंक खाते में प्रविष्टि की जानी चाहिए।

81.9 नकदी तथा समायोजन मदों के बारे में खाताबही लेखे लिखे जाने और पूरा कर लिए जाने के बाद प्रत्येक खाताबही लेखे का दैनिक योग उपयुक्त वर्गीकृत लेखे में ले जाया जाना चाहिए और इसके बाद वर्गीकृत लेखे का योग किया जाना चाहिए और सकल योग में से समायोजन राशि घटा दी जानी चाहिए ताकि रोकड़ बही के अनुसार प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध योग प्राप्त किया जा सके।

81.10 सभी खाताबही लेखे महीने के अन्त में बन्द कर दिए जाने चाहिए। वर्गीकृत लेखे में भी योग निकाले जाएंगे।

81.11 इसके बाद विभिन्न खाताबही लेखों के योगों का वर्गीकृत सार के योगों के साथ मिलान किया जाएगा और यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो उसे संशोधित किया जाएगा तथा उसका समाधान किया जाएगा।

81.12 महीने के लेखे बन्द करने के तत्काल बाद प्राप्तियों और भुगतान का मासिक लेखा तैयार किया जाएगा।

82. बैंक समाधान

82.1 मासिक बैंक समाधान नियमित रूप से किया जाना चाहिए।

82.2 महीने में जमा और नामे की प्रविष्टियां अद्यतन किए जाने के लिए बैंक की पास बुक हर महीने बैंक में भेजी जानी चाहिए।

82.3 यदि बैंक पास बुक जारी न की गई हो तो बैंक से मासिक बैंक विवरण नियमित रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए।

82.4 पास बुक/बैंक विवरण में निर्दिष्ट प्रविष्टियों का रोकड़ बही में प्रविष्टियों के साथ मासिक मिलान किया जाएगा।

82.5 कोई भी विसंगति सुधारी जाएगी और अन्तर को नीचे बताई गई विधि से बैंक समाधान खाते में स्पष्ट किया जाएगा

रोकड़ बही के अनुसार बकाया	....
जोड़ें	
(i) जारी किए गए किन्तु भुनाए न गए चेक	....
(ii) बैंक में की गई किन्तु रोकड़ बही में न दर्शायी गई जमा प्रविष्टियां	....
योग	
घटाए	
(i) बैंक को भेजी गई किन्तु बैंक खाते में जमा न हुई राशि	....
(ii) बैंक खाते में नामे डाले गए लेकिन रोकड़ बही में न चढ़ाए गए बैंक प्रभार	....
योग	....
पास बुक/बैंक विवरण के अनुसार बकाया	....

83. स्टाफ की तैनाती का ढांचा

83.1 वित्त और लेखा तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा का राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर स्टाफ की तैनाती का एक निर्देशात्मक ढांचा नीचे प्रस्तुत है

पदनाम	राज्य स्तर (एसपीओ) पर पदों की संख्या	जिला स्तर (डीपीओ) पर पदों की संख्या	अर्हता और अनुभव
वित्त और लेखा			
नियंत्रक वित्त	1	-	अधिमानतः पर्याप्त लेखांकन पृष्ठभूमि सहित वित्त और लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर। यदि प्रतिनियुक्ति आधार पर उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो कम से कम पांच वर्षों के अनुभव सहित सनदी लेखाकार को संविदा आधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है।

वित्त और लेखा अधिकारी	1	1	अधिमानतः पर्याप्त लेखांकन पृष्ठभूमि सहित वित्त और लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर। यदि प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता तो योग्य और अनुभवी अभ्यर्थियों को संविदा आधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है।
वरिष्ठ लेखाकार कनिष्ठ लेखाकार उपलेखाकार वरिष्ठ लेखा लिपिक	3	2	
रोकड़िया	1	1	अधिमानतः पर्याप्त लेखांकन पृष्ठभूमि और रोकड़ देखभाल के ज्ञान सहित वित्त और लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर। यदि प्रतिनियुक्ति आधार पर उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो योग्य और अनुभवी अभ्यर्थियों को संविदा आधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है।
आन्तरिक लेखापरीक्षा			
लेखापरीक्षा अधिकारी	1	-	अधिमानतः पर्याप्त लेखापरीक्षा पृष्ठभूमि सहित लेखापरीक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर। यदि प्रतिनियुक्ति पर कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो योग्य और अनुभवी अभ्यर्थियों को संविदा आधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है।
वरिष्ठ लेखापरीक्षक	2	-	

83.2 हालांकि स्टाफ की तैनाती का उपर्युक्त ढांचा निर्देशात्मक है, छोटे राज्यों और जिलों में स्टाफ की आवश्यकता जरूरत के अनुसार घटाई जा सकती है। बड़े राज्यों में यदि स्टाफ की तैनाती का उपर्युक्त ढांचा अपर्याप्त है तो कार्यकारी समिति वित्त तथा लेखांकन और आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति करेगी। तथापि जिला और राज्य--दोनों स्तरों पर प्रबन्ध लागत वार्षिक परिव्यय की 6% की ऊपरी सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

84. लेखा और लेखापरीक्षा स्टाफ का क्षमता निर्माण

84.1 समस्त लेखा और लेखापरीक्षा स्टाफ को नियतकालिक आधार पर एसएसए के आयोजना, बजट निर्माण, लेखांकन, अधिप्राप्ति, आन्तरिक लेखापरीक्षा आदि पक्षों में दिशा-अनुकूलन प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि सौंपे गए रोजमर्रा के कार्यों के सुचारु और प्रभावी संचालन के निमित्त उन्हें उनके कार्यक्षेत्र के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्रदान किया जा सके।

85. व्यय का नियंत्रण

85.1 व्यय करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कदम पर वित्तीय व्यवस्था और कठोर किफायत लागू की जाए और यह ध्यान रखा जाए कि सभी संगत वित्तीय नियमों, आदेशों, निदेशों और अनुदेशों का पालन किया जाता है।

85.2 इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि केवल यही नहीं कि समग्र व्यय बजट व्यवस्था की सीमाओं के भीतर रखा जाए बल्कि यह भी कि आंबटित/अन्तरित निधियां कार्यक्रम के हित और सेवा में तथा उन विषयों पर खर्च की जाए जिनके लिए प्रावधान किए गए हैं।

85.3 उन्हें यह भी देखना होगा कि व्यय की मदें निश्चित रूप से जरूरी है और वे वाजिब तथा उपयुक्त दरों पर उपलब्ध हैं, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है और यह कि गणना सही है।

85.4 समुचित नियंत्रण लागू करने के प्रयोजन से उन्हें अपने आपको प्राप्तियों/व्यय, प्रतिबद्धताओं और देयताओं जिनका भुगतान नहीं किया गया है कि प्रगति से गहराई से अवगत रखना होगा।

86. निधियों का पुनर्विनियोजन

86.1 सोसायटी की निधियां ऐसे किसी व्यय के लिए अंतरित अथवा पुनर्विनियोजित नहीं की जाएंगी जिसकी सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है।

86.2 निधियां किसी ऐसी मद पर व्यय के लिए अंतरित अथवा पुनर्विनियोजित नहीं की जाएंगी जिनके सम्बन्ध में स्वीकृत बजट अनुमानों में कोई प्रावधान अथवा परिकल्पना नहीं की गई है।

86.3 निधियों का किसी एक हस्तक्षेपणीय उपाय से किसी अन्य हस्तक्षेपणीय उपाय को पुनर्विनियोजन करने की अनुमति नहीं है। तथापि परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा स्वीकृत क्रियाकलापों के लिए निधियां राज्य कार्यकारी समिति के अनुमोदन से निम्न मामलों में पुनर्विनियोजित की जा सकती हैः

(i) ईजीएस द्वारा कवर किए जाने वाले बच्चों की निधियां इस निषेध के साथ एआईई द्वारा कवर किए जाने वाले बच्चों के लिए पुनर्विनियोजित की जा सकती हैं कि जिले में प्रस्तावित समग्र वित्तीय परिव्यय में इस तरह के पुनर्विनियोजन के कारण कोई वृद्धि नहीं होगी तथा कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।

(ii) नियमित अध्यापकों और अर्द्ध-अध्यापकों के बीच पुनर्विनियोजन, यदि इनके लिए अलग मंजूरी दी गई है किन्तु शर्त यह है कि दोनों शीर्षों के अधीन स्वीकृत अध्यापकों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी तथा कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।

(iii) एक उपशीर्ष के नवाचारों से दूसरे उपशीर्ष के नवाचारों बीच पुनर्विनियोजन बशर्ते कि प्रत्येक हस्तक्षेपणीय उपाय के लिए 15 लाख रुपये की ऊपरी सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाता तथा जिले के लिए समग्र वार्षिक परिव्यय 50 लाख रुपये की अधिकतम सीमा से नहीं बढ़ जाता और कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।

(iv) कार्यकारी समिति के अनुमोदन से प्रबन्ध लागतों के अधीन वर्गीकृत मदों के बीच पुनर्विनियोजन किया जा सकता है बशर्ते कि वह उस वर्ष के लिए स्वीकृत समग्र प्रबन्ध लागत के भीतर हो और इस तरह का पुनर्विनियोजन लेखे के उसी शीर्ष के भीतर हो अर्थात एक राजस्व शीर्ष से दूसरे राजस्व शीर्ष को और एक पूंजी शीर्ष के दूसरे पूंजी शीर्ष को/राजस्व शीर्ष से पूंजी शीर्ष को तथा इसी प्रकार पूंजी शीर्ष से राजस्व शीर्ष को पुनर्विनियोजन की अनुमति नहीं है।

(v) इन नियमों के अधीन किए गए सभी पुनर्विनियोजन परियोजना अनुमोदन बोर्ड को अगले वर्ष के लिए एडब्ल्यूपी तथा बी प्रस्तुत करते समय उसकी जानकारी के लिए उसे रिपोर्ट किए जाएंगे।

86.4 निधियों का पुनर्विनियोजन केवल तभी किया जाएगा जबकि यह पता हो अथवा इस बात की संभावना हो कि एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष को अन्तरित की जाने वाली निधियां पूरी तरह खर्च नहीं की जाएंगी और लेखे के उस उपशीर्ष के अधीन बचत के उपलब्ध होने की संभावना है। ऐसे मामलों में पुनर्विनियोजन केवल राज्य कार्यकारी समिति के अनुमोदन से किया जाएगा।

अध्याय V
निधि प्रवाह व्यवस्था

87. राज्य कार्यान्वयन सोसायटी की निधियां

87.1 राज्य कार्यान्वयन सोसायटी की निधियों में मुख्यतः निम्न शामिल होंगेः

(i) एसएसए के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदान;

(ii) राज्य कार्यान्वयन सोसायटी की परिसम्पत्तियों से आय जिसमें ब्याज शामिल हैं;

(iii) अन्य स्रोत।

87.2 नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एसएसए कार्यक्रम के अधीन वित्तीय सहायता भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच 85:15 की साझेदारी में, दसवीं योजना के दौरान 75:25 की साझेदारी में और तदनन्तर 50:50 की साझेदारी में रही है। एनपीईजीईएल के अधीन वित्तपोषण व्यवस्था भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच दसवीं योजना के दौरान 75:25 की साझेदारी में और उसके बाद 50:50 की साझेदारी में रही है। भारत सरकार का हिस्सा, जिसमें विदेशी सहायता शामिल होगी प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग की वार्षिक योजना के बजट में दर्शाया जाएगा। राज्य सरकार के हिस्से का प्रावधान सम्बन्धित राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग की वार्षिक योजना में किया जाएगा।

88. निधियां जारी करने की क्रियाविधि

88.1 भारत सरकार वर्ष में दो किश्तों में, एक बार अप्रैल में तथा दोबारा सितम्बर में राज्य कार्यान्वयन सोसायटी को सीधे ही निधियां जारी करेगी। इस तरह प्रदान की गई निधियां राज्य कार्यान्वयन सोसायटी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। सोसायटी को और आगे किश्तें तभी प्रदान की जाएंगी जबकि राज्य सरकार ने बराबर की निधियां सोसायटी को अन्तरित कर दी हों और अन्तरित की गई निधियों (केन्द्र और राज्य) में से कम से कम 50% निधियां खर्च कर ली गई हो। इसके पीछे प्रयोजन यह है कि राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा के लिए आबंटन का पूरा प्रयोग करने की छूट दी जाए। दूसरी किश्त व्यय में प्रगति और कार्यान्वयन के स्तर के आधार पर जारी की जाएगी। तथापि उपयोगिता प्रमाणपत्र केवल एक किश्त के प्रदान किए जाने के एक वर्ष बाद देय होगा और आगे निधियां प्रदान करने पर रोक लगा दी जाएगी यदि उपयोगिता प्रमाणपत्र समय के अनुसार प्रस्तुत नहीं किए जाते।

88.2 राज्य सरकारें/संघशासित क्षेत्रों को प्रारम्भिक शिक्षा पर खर्च का वही स्तर बनाए रखना होगा जोकि 1999-2000 में रहा था। एसएसए के लिए राज्य विशेष में 1999-2000 के स्तर पर किए जा रहे खर्च के अतिरिक्त रूप में होगा। सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राज्य के वित्तपोषण का स्थान नहीं लेगा। सच तो यह है कि इससे, केन्द्रीय सरकार की तरफ से उच्चतर आबंटन के साथ-साथ राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा में निवेश करने को बढ़ावा मिलेगा। एसएसए की राज्य स्तरीय कार्यान्वयन सोसायटी यह प्रमाणित करेगी कि केन्द्रीय सरकार से संसाधनों के और आगे आबंटन की मांग करते समय राज्य में निवेश के स्तर कायम रखे जा रहे हैं। राष्ट्रीय

मिशन प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय का मानीटरन भी करेगा। प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय का मानीटरन करने में नीपा व्यावसायिक सहायता प्रदान करेगा।

89. निधियों का प्रवाह

89.1 **भारत सरकार से सोसायटियों को:** भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियां राज्य कार्यान्वयन सोसायटी द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक में खोले गए संयुक्त हस्ताक्षरों वाले खाते में जमा की जाएंगी। एनपीईजीईएल की निधियां संचालित करने के लिए राज्य सोसायटी को एक अलग संयुक्त हस्ताक्षरों वाला बचत बैंक खाता खोलना होगा। क्योंकि निधियां राज्य कार्यान्वयन सोसायटी के खाते में जमा कराई जाती हैं इसलिए वित्तीय वर्ष के अन्त में अव्ययित बकाया निधियां भारत सरकार को वापिस करने की जरूरत नहीं है और उन्हें समुचित मंजूरी के बाद अगले वर्ष में प्रयोग किए जाने के लिए अग्रेनीत किया जाएगा। सिद्धान्ततः कोई ऐसा राज्य या जिला जो उच्च स्तरीय कार्यान्वयन के जरिए अग्रिम का पूरा इस्तेमाल कर रहा है, वह परिलक्षित क्रियाकलापों के अनुरूप समुचित दूसरा अग्रिम प्राप्त कर सकता है। अनुमोदित कार्ययोजनाओं के सन्तोषपूर्ण कार्यान्वयन की समीक्षा के आधार पर भारत सरकार द्वार दिए जाने वाले दूसरे अग्रिम के बल पर सोसायटी अगले वर्ष मई तक कार्यक्रम जारी रख सकेगी और उस समय तक अगले वर्ष के लिए पहले अग्रिम की राशि सोसायटी को सुलभ हो जाएगी।

89.2 राज्य सरकार से सोसायटियों को: कार्यक्रम के वित्तीय मानदण्डों में ऐसी परिकल्पना की गई है कि अनुमोदित भागीदारी व्यवस्था के अनुसार सहभागी राज्य केन्द्रीय अंशदान की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर कार्यक्रम लागत का सहमत अनुपात जमा करा देगा। अतः यह जरूरी होगा कि राज्य के बजट में उपयुक्त प्रावधान किया जाए ताकि राज्य कार्यान्वयन सोसायटी को कार्यक्रम लागत का इसका हिस्सा जारी करने का काम सुकर बन सके। राज्य सरकार के बजट में किए गए प्रावधान में से जो निधियां राज्य सरकार द्वारा सोसायटी को प्रदान की जाएंगी, वे भी सोसायटी के उसी संयुक्त हस्ताक्षरों वाले बैंक खाते में जमा कराई जाएंगी जिसमें एसएसए और एनपीईजीईएल के अधीन भारत सरकार की निधियां जमा कराई जाती हैं। निधियों में राज्य सरकार के हिस्से की कोई भी अव्ययित बकाया राशि सोसायटी द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से अगले वित्तीय वर्ष में प्रयोग के लिए अग्रेनीत की जाएगी।

89.3 सोसायटी से जिलों, ब्लाकों, गांवों, स्कूलों को: प्रत्येक निकाय जिला स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक में तथा ब्लाक और गांव के स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक या डाकघर में एक संयुक्त हस्ताक्षरों वाला बैंक खाता खोलेगा। राज्य सोसायटी भारत सरकार और राज्य सरकार निधियां प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जिलों को निधियां प्रदान करेगी। स्कूलों के स्तरोन्नयन, रखरखाव, मरम्मत तथा अध्यापन-अधिगम उपकरण और स्थानीय प्रबन्ध के लिए खर्च की जाने वाली सारी निधियां वीईसी/स्कूल प्रबन्ध समिति/ग्राम पंचायत/अथवा उस राज्य संघशासित क्षेत्र विशेष द्वारा अपनाए गए विकेन्द्रीकरण के लिए किसी अन्य ग्राम/स्कूल स्तरीय व्यवस्था को अनिवार्यतः अन्तरित की जानी चाहिए। जिले, राज्य सोसायटी से निधियां प्राप्त हो जाने के 15 दिन के भीतर वार्षिक कार्ययोजनाओं और परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर यथाअनुमोदित लक्ष्यों के आधार पर अग्रिम प्रदान करेंगे। निधियां वर्ष में दो किश्तों में अग्रिम के तौर पर प्रदान की जाएंगी, पहली किश्त वित्तीय वर्ष के आरम्भ में और दूसरी किश्त यह सुनिश्चित करने के बाद कि पहली किश्त का सन्तोषजनक रूप

से इस्तेमाल कर लिया गया है। दूसरी किश्त का प्रदान किया जाना पहले से प्रदान की गई निधियों में से कम से कम 50% निधियों के सम्बन्ध में व्यय विवरण प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर आधारित होगा। जिलों को निधियां बैंकिंग चैनल के माध्यम से जिला स्तरीय बैंक को तथा ब्लाक और ग्राम स्तर के एसएसए संस्थानों को भी बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्रदान की जाएंगी।

89.4 सर्व शिक्षा अभियान/एनपीईजीईएल कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त निधियों पर उपचित ब्याज सभी स्तरों पर वित्तीय लेखाओं के लिए हिसाब में लिया जाएगा। इसका प्रयोग सर्व शिक्षा अभियान की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना और बजट के अंग से इतर किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा। वर्ष में इस प्रकार उपचित ब्याज को अगले वित्तीय वर्ष में क्रमशः भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त राशि के हिस्से के संदर्भ में हिसाब में लिया जाएगा।

अध्याय VI
वित्तीय रिपोर्टों की प्रस्तुति

90. क्योंकि एसएसए एक दीर्घकालीन और दूरगामी लक्ष्यों को लेकर चलने वाला कार्यक्रम है, इसलिए कार्यक्रम के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन के लिए नियमित तथा नियतकालिक मानीटरन जरूरी है। क्योंकि वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और प्रगति सिंहावलोकन पर रिपोर्टें वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद प्राप्त होती है इसलिए भौतिक तथा वित्तीय––दोनों दृष्टियों से कार्यान्वयन की प्रगति का मानीटरन करने के लिए कुछ अन्तरिम रिपोर्टें आवश्यक हैं। सतत मानीटरन के लिए वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों का प्रयोग करना अन्यायपूर्ण है क्योंकि जब तक जानकारी प्राप्त होती है, उसकी उपयोगिता कभी की समाप्त हो चुकी होती है। कार्यक्रम प्रबन्ध को इस योग्य बनाने के लिए कि वह अनुमोदित बजट आबंटन के सन्दर्भ में वर्ष के दौरान कार्यक्रम और निधियों के प्रयोग में हुई प्रगति की परिकल्पना कर सके, निम्न तिमाही वित्तीय रिपोर्टें निर्धारित की जाती है। ये तिमाही रिपोर्टें जिला और उपजिला स्तर को निधियों के त्वरित और प्रभावी प्रवाह के मार्ग में आने वाली बाधाओं को, यदि कोई हों तो दूर करने में सहायक होंगी।

(क) तिमाही निधि प्रवाह और नकदी पूर्वानुमान विवरण

(ख) तिमाही प्रगति विवरण

(ग) जिलों को निधियां जारी करना

(घ) जिला–वार व्यय विवरण

91. तिमाही निधि प्रवाह और नकदी पूर्वानुमान विवरण

91.1 क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार, राज्य कार्यान्वयन सोसायटी को सीधे ही निधियां प्रदान करती हैं और राज्य कार्यान्वयन सोसायटी जिलों तथा उपजिला स्तरीय संस्थानों को निधियां प्रदान करती है इसलिए **संलग्नक VIII** में दिया गया तिमाही निधि प्रवाह विवरण का प्रपत्र निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोगों के रूप में वही सूचना दर्शाएगा। अथशेष, तिमाही के शुरू में राज्य परियोजना कार्यालय में उपलब्ध शेष राशि है। 'स्रोतों' का आशय एसआईएस द्वारा विभिन्न स्रोतों जैसेकि भारत सरकार, राज्य सरकार, अन्य (यदि कोई हों तो) से प्राप्त निधियों से है। 'अनुप्रयोगों' का आशय समूचे राज्य के लिए विभिन्न हस्तक्षेपणीय उपायों पर किए गए खर्च से है।

91.2 इस विवरण में अगले दो सप्ताहों के लिए नकदी पूर्वानुमान भी दर्शाया जाएगा। तदनुसार इस विवरण में तिमाही I तथा तिमाही II के लिए नकदी पूर्वानुमान दिया जाना चाहिए।

91.3 इसी प्रकार जिले और उपजिला स्तर के संस्थान उनके मामले में लागू संशोधित प्रपत्र में एसआइएस को तिमाही निधि प्रवाह विवरण भेजेंगे। एसआईएस को प्रत्येक तिमाही के अन्त में अर्थात तिमाही की समाप्ति के बाद आने वाले महीने की 15वीं तारीख तक यह विवरण ईई ब्यूरो को भेज देना चाहिए।

92. तिमाही प्रगति विवरण

92.1 राज्य कार्यान्वयन सोसायटी को प्रत्येक तिमाही के अन्त में अर्थात तिमाही की समाप्ति के बाद आने वाले महीने की 15वीं तारीख तक इस विवरण को संलग्नक IX में दिए गए प्रपत्र में ईई ब्यूरो को भेज देना चाहिए। किसी विशेष क्रियाकलाप के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भी कोई भी स्पष्टीकरण अभ्युक्ति वाले खाने में दिया जाना चाहिए। यह विवरण पीएबी द्वारा स्वीकृत परिव्यय के सन्दर्भ में विभिन्न क्रियाकलापों के अधीन क्रियाकलाप-वार तिमाही तथा वार्षिक आधार पर भौतिक और आर्थिक प्रगति तथा कार्यक्रम की शुरूआत से लेकर तिमाही के समाप्त होने तक के संचयी व्यय सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत करता है।

93. अग्रिमों को व्यय के रूप में समझना

93.1 विवरण में उल्लिखित व्यय प्रदान किए गए अग्रिमों को छोड़कर, जिला और उपजिला स्तरों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्रों/व्यय विवरणों के आधार पर किए गए वास्तविक खर्च से सम्बन्धित है। इस भुगतान के जिन अग्रिमों का उल्लेख पैरा 73.1 में किया गया है रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रयोजन से व्यय समझा जाए बशर्ते कि ऐसे अग्रिमों के ब्यौरे **संलग्नक X** में दिए गए प्रपत्र में रखे गए हों। तथापि लेखाबहियों में ये अग्रिम तब तक अग्रिम बने रहेंगे जब तक कि उपयोगिता प्रमाणपत्र/व्यय विवरण प्राप्त नहीं हो जाते तथा लेखा बहियों में समायोजित नहीं कर दिए जाते।

94. जिलों को निधियां प्रदान करना

94.1 **संलग्नक XI** में दिए गए प्रपत्र में यह विवरण इस सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करता हैः तिमाही के आरम्भ में अथशेष, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधियां जिनके संदर्भ में एसआईएस से जिलों को निधियां प्रदान की गई हैं और साथ ही एसआईएस के पास उपलब्ध अंतशेष। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिलों को प्रदान की जाने वाले निधि प्रत्येक जिले को अन्तिम तिमाही के अन्त तक जिले द्वारा की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए मंजूर किए गए समग्र परिव्यय के अनुपात में हो।

95. जिला-वार व्यय विवरण

95.1 **संलग्नक XII** में दिए गए प्रपत्र में यह विवरण प्राप्त हुई निधियों, प्रदान की गई निधियों, किए गए खर्च और प्रत्येक तिमाही के अन्त में सुलभ शेष राशि के बारे में जिला-वार जानकारी उपलब्ध कराता है। यह जानकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन में निधियों के प्रयोग की दिशा में प्रत्येक जिले की प्रभाविता का विश्लेषण करने में सहायक होगी। जिले, एसआईएस से प्राप्त हुई निधियों में से उप जिला स्तरीय संस्थानों को निधियां प्रदान करते हैं। क्योंकि प्रदान की गई सभी निधियों को, इस नियम पुस्तिका के पैरा 73.1 में उल्लिखित अग्रिमों को छोड़कर व्यय के रूप में नहीं समझा जाना है इसलिए व्यय सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक अलग खाना है।

अध्याय VII
आन्तरिक नियंत्रण और आन्तरिक लेखापरीक्षा

96. आन्तरिक नियंत्रण

96.1 एसएसए में आन्तरिक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जोकि कार्यान्वयन एजेंसियों तथा अन्य कार्मिकों के प्रबन्ध के फलस्वरूप उभरी है और जो इस सम्बन्ध में समुचित आश्वासन सुलभ कराने के लिए तैयार की गई है कि (क) प्रचालनों की प्रभाविता औ कुशलता, (ख) वित्तीय और प्रचालनात्मक रिपोर्टों की प्रस्तुति की विश्वसनीयता तथा (ग) एसएसए कार्यतंत्र और समय-समय पर जारी किए गए अन्य आदेशों के पालन के क्षेत्रों में कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति की जा रही है। आन्तरिक नियंत्रण में कार्यक्रम का मानीटरन तथा पर्यवेक्षण और आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रमुख नियंत्रण है।

97. पर्यवेक्षण और मानीटरन

97.1 कार्यक्रम कार्यान्वयन और उपलब्धि संकेतकों--दोनों पक्षों को लेकर जिनका नियमित आधार पर मानीटरन किया जाना होता है, मानीटरन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। एसएसए में मानीटरन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः

- (क) भारत सरकार, राज्य सरकार तथा विदेशी वित्तपोषी एजेंसियों, यदि कोई हों तो द्वारा संयुक्त पुनरीक्षा।
- (ख) पूरी पारदर्शिता सहित समुदाय आधारित मानीटरन।
- (ग) संसाधन व्यक्तियों द्वारा क्षेत्र के सतत दौरे और सुधार के लिए सुझाव।
- (घ) पर्यवेक्षण, मानीटरन, मूल्यांकन तथा अनुसंधान के लिए अनुसंधान और संसाधन संस्थानों को राज्य विशिष्ट दायित्व।
- (ङ.) वार्ड/गांव/स्कूल स्तरीय कार्यान्वयन के लिए सामुदायिक स्वामित्व।
- (च) प्रत्येक स्कूल में व्यय विवरण एक सार्वजनिक दस्तावेज (सामाजिक लेखापरीक्षा) होगा।
- (छ) वीईसी द्वारा कई क्रियाकलापों का अनिवार्य कार्यान्वयन।
- (ज) बस्ती-आधारित आयोजना।

97.2 कार्यक्रम के अधीन मानीटरन की परिकल्पना त्रिस्तरीय रूप में की गई हैः (i) स्थानीय सामुदायिक स्तर पर (ii) राज्य स्तर तथा (iii) राष्ट्रीय स्तर पर मानीटरन। समुदाय आधारित मानीटरन कार्यक्रम की एक शक्ति है जोकि सही ढंग से कार्यान्वित न किए जाने पर एक बड़ी कमजोरी बन सकती है। शैक्षिक प्रबन्ध सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) इस आशय के प्रावधान शामिल करेगी कि स्कूल स्तरीय आंकड़ों का मिलान सूक्ष्म आयोजना और सर्वेक्षणों से प्राप्त समुदाय आधारित सूचना के साथ किया जाए। इसके अलावा, प्रत्येक स्कूल में एक ऐसा नोटिस बोर्ड होना चाहिए जिसमें स्कूल द्वारा प्राप्त सभी अनुदान और तत्सम्बन्धी ब्यौरे दर्शाए गए हों। दाखिले, उपस्थिति, प्रोत्साहन आदि के सम्बन्ध में ब्लाक और जिला स्तर को भेजी गई सभी रिपोर्टें स्कूल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। रिपोर्टें प्रस्तुत करने के प्रपत्र सरल बनाए जाएंगे ताकि परिणामों की रहस्यमयता दूर कर दी जाए और कोई भी आदमी आंकड़े

समझ सके। स्कूल के लिए यह जरूरी होगा कि जो जानकारी वह ऊपर भेजता है उसे प्रदर्शित करे ताकि उपस्थिति तथा छात्रों की उपलब्धि सार्वजनिक जानकारी बन सके। इएमआईएस नियतकालिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने की प्रणाली का आधार बनेगी। इसके अलावा क्लासरूम परिपाटियों में बदलाव दर्ज करने के लिए प्रशिक्षक क्लासरूम प्रक्रिया प्रेक्षकों के रूप में काम करेंगे। नियतकालिक मानीटरन दल चुनिंदा स्कूलों के यादृच्छिक दौरे करेंगे और इनके बारे में विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जाएगी। मानीटरन में बुनियादी सिद्धान्त इसका सामुदायिक स्वामित्व और वाह्य दलों द्वारा-क्रियाकलाप से बाहर किन्तु प्रणाली के भीतर नियतकालिक गुणवत्तात्मक जांचें होंगी। कार्यक्रम कार्यान्वयन को लेकर स्वतंत्र फीडबैक को प्रभावित करने के लिए प्रमाणित उत्कृष्टता वाले अनुसंधान और संसाधन संस्थानों को मानीटरन में सभी स्तरों पर सहयोजित किया जाएगा।

97.3 समुदाय को ग्राम शिक्षा समिति (वीईसी) जैसे उसके प्रतिनिधि संस्थानों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का बुनियादी स्तर का काम सौंपा गया है कि स्कूल प्रभावी रूप से काम करें। स्कूल के कार्यकरण के संबंध में अधिकांश गुणवत्तात्मक प्रभावों का केवल स्थानीय स्तर पर ही मानीटरन किया जा सकता है और उनके बारे में राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी प्राप्त करना दुष्कर होता है। राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तात्मक दृष्टि से मानीटरन करने के लिए समुदाय आधारित मानीटरन की प्रभाविता और स्थानीय स्तर के मूल्यांकन पर तथा यह सुनिश्चित करने पर अधिक निर्भर रहना होगा कि यह प्रणाली समुचित ढंग से काम कर रही है। इसक अलावा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मानीटरन, कार्यक्रम के कार्यान्यिन की स्थिति तथा एसएसए लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में की गई प्रगति-इन दोनों के परिमाणात्मक पक्ष पर अधिक बल देगा।

97.4 इन दो लक्ष्यों के संबंध में परिमाणात्मक आंकड़े प्राप्त करने के प्रयोजन से दो प्रकार की सूचना प्रणालियां तैयार की गई हैं। इनमें से एक शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) है जिसके अधीन 30 सितम्बर को रिकार्ड तारीख मानते हुए प्रतिवर्ष स्कूल स्तरीय आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। इन आंकड़ों के बल पर अनेक संकेतकों को मापा जा सकेगा जैसेकि नामांकन, सकल नामांकन अनुपात, शुद्ध नामांकन अनुपात, शिक्षा में बने रहने की दर, शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर, शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की दर, एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ने वालों की दर, अंतरण दर आदि। प्रत्येक राज्य में किए गए पारिवारिक सर्वेक्षण के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों सहित इस तरह के आंकड़ों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्कूल न जा सकने वाले बच्चों आदि पर प्रकाश डालेंगे। दूसरी सूचना प्रणाली का नाम परियोजना प्रबंध सूचना प्रणाली (पीएमआइएस) है जिसमें परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूर की गई संदर्श योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में भौतिक और वित्तीय-दोनों अर्थों में की गई प्रगति को तिमाही आधार पर दर्ज करने पर बल दिया जाएगा। किसी भी मानीटरन प्रणाली को इन दो प्रबंध सूचना प्रणालियों के अधीन भेजे जा रहे आंकड़ों की शुद्धता और तेजी का जायजा लेना होगा।

97.5 जबकि सतत मानीटरन एक बराबर चलने वाली प्रक्रिया होगी इसके पूरक के रूप में राज्यों में प्रतिवर्ष दो पर्यवेक्षण मिशन भेजे जाएंगे। इन पर्यवेक्षण मिशनों में भारत सरकार और वित्तपोषी एजेंसियों (यदि कोई हों तो) के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन पर्यवेक्षण मिशनों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अलग-अलग राज्यों का दौरा करेंगे और राज्य के चुनिंदा जिलों के दौरों के माध्यम से कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रथमशः जांच करेंगे। उनका दृष्टिकोण एक समग्र प्रकृति का

होगा जिसमें कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिमाणात्मक और गुणवत्तात्मक-दोनों तरह के पहलुओं का मूल्यांकन करने पर बल दिया जाएगा। इन मिशनों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे कायक्रम कार्यान्वयन और साथ ही राज्य में सामान्य शैक्षिक परिदृश्य-दोनों के संबंध में चिंता के क्षेत्रों का विशिष्ट उल्लेख करेंगे।

97.6 राज्य कार्यान्वयन सोसायटियां (एसआईएस) भी गहन मानीटरन करेंगी। यूईई के लिए राष्ट्रीय मिशन के प्रतिनिधि और एनसीटीई, नीपा तथा एनसीईआरटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी नियतकालिक मानीटरन करेंगे और प्रणालियों के मूल्यांकन और मानीटरन को सुदृढ़ बनाने के लिए एसआईएस को संसाधन सहायता प्रदान करेंगे। अनुसंधान और मूल्यांकन के लिए राज्य विशिष्ट दायित्वों का निर्वाह करने के इच्छुक स्वायत्त संस्थानों को सहयोजित करने के प्रयास भी किए जाएंगे। उपलब्धि परीक्षाएं आयोजित करने, कार्यक्रम कार्यान्वयन, मूल्यांकन और अनुसंधान अध्ययनों के गुणवत्तात्मक पक्षों का मानीटरन करने के लिए भी कई स्वतंत्र संस्थानों को सहयोजित किया जाएगा।

97.7 क्योंकि सर्वशिक्षा अभियान के अधीन गुणवत्ता एक प्रमुख चिंता का कारण है इसलिए इसका मानीटरन एक प्राथमिकता होगी। गुणवत्ता के मानीटरन के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं को समझना जरूरी होगा। महसूस की गई जरूरतों के अनुसार प्रक्रिया और गुणवत्तात्मक संकेतक तैयार किए जाने होंगे ताकि कार्यक्रम कार्यान्वयन की गुणवत्ता का जायजा लिया जा सके। इस तरह के प्रयासों के लिए संस्थानों, पीआरआई, स्कूल समितियों आदि के साथ साझेदारी बनानी जरूरी होगी। इस प्रयोजन के लिए समुचित मानीटरन प्रपत्र तैयार करने के निमित्त प्रशिक्षण और दिशा-अनुकूलन कार्यक्रम, प्रक्रिया प्रलेखन के माध्यम से गुणवत्तात्मक मानीटरन तथा मुद्दों को गहन रूप से समझने के लिए स्थिति विषयक अध्ययनों की जरूरत होगी। एसएसए के अधीन मानीटरन प्रणाली बहुमुखी होगी ताकि गुणवत्ता के लिए सतत प्रयास किए जाते रहे।

97.8 क्योंकि मानीटरन और पर्यवेक्षण का काम एक बहुत बड़ा काम है जिसमें सतत आधार पर बड़े पैमाने पर प्रयास किए जाने होते हैं अतः इस प्रयोजन के लिए काफी बड़ी संख्या में अर्थात 43 व्यावसायिक संस्थानों का चयन किया गया है। 25 या इससे कम जिलों वाले राज्यों में एक संस्थान रहेगा, 50 जिलों तक 2 संस्थान और 50 से अधिक जिले होने पर 3 संस्थान रहेंगे। जिन राज्यों के साथ 2 से अधिक संस्थान जुड़े हुए हैं उनमें एक संस्थान प्रमुख संस्थान होगा जोकि समूचे राज्य के लिए आंकड़ों का मिलान करने और इस प्रयोजन के लिए विभिन्न संकेतकों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होगा। इन संस्थानों को अलग-अलग राज्य आबंटित कर दिए गए हैं जिनके साथ वे दीर्घकालीन साझेदारी निर्मित करेंगे। ये संस्थान केवल पर्यवेक्षण और मानीटरन का ही काम नहीं करेंगे बल्कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों के भागीदारों के रूप में भी काम करेंगे। चुनिंदा संस्थान तिमाही आधार पर निम्न काम करेंगेः

(क) अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन के बारे में हर तिमाही में रिपोर्टें प्राप्त करना और भारत सरकार/राज्य सरकार को एक समेकित रिपोर्ट भेजना।

(ख) नामांकन, स्कूल न जा सकने वाले बच्चों, सुविधाविहीन बस्तियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता आदि जैसे प्रमुख उपलब्धि संकेतकों की पूर्ति की दिशा में की

गई प्रगति की रिपोर्टें हर तिमाही में प्राप्त करना और भारत सरकार/राज्य सरकार को एक समेकित रिपोर्ट भेजना।

(ग) चुनिंदा जिलों में एक तिमाही दौरा करना और निम्न का मूल्यांकन करनाः

(i) सामुदायिक स्तर मानीटरन की प्रभाविता और ग्राम स्तर पर वीईसी/एसएमसी/पीटीए तथा ब्लाक/संकुल स्तर पर बीएलईसी/बीआरसी/सीआरसी जैसे स्थानीय स्तर के संस्थानों का कार्यकरण।

(ii) नमूना जांचों के जरिए पीएमआईएस तथा ईएमआईएस के अधीन भेजे जाने वाले आंकड़ों की विश्वसनीयता का सत्यापन करना।

(iii) ईएमआईएस का कार्यकरण सुनिश्चित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इएमआईएस आंकड़े 30 सितम्बर की रिकार्ड तारीख के अनुसार इकट्ठे किए जाते हैं और एक महीने के समय के भीतर रिपोर्ट राज्य स्तर को भेज दी जाती है।

(iv) पर्यवेक्षण मिशनों द्वारा वर्णित चिंता के क्षेत्रों के बारे में की गई प्रगति का मानीटरन करना।

(घ) 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के संबंध में तिमाही और पूरे वर्ष के लिए मूल्यांकन किया जाना होगा। जहां तक अन्य तिमाहियों का सवाल है तिमाही रिपोर्ट के साथ-साथ वर्ष के अंत तक का मूल्यांकन उपलब्ध कराया जाना होगा।

(ड.) एसएसए के विशिष्ट मानीटरन संकेतकों जैसेकि जीईआर, एनईआर, स्कूल न जा सकने वाले बच्चों, शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर, शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की दर, अंतरण दर, एक ही कक्षा में दोबारा से पढ़ने वाले बच्चों की दर के बारे में वर्ष के अंत में गणना करना।

(च) जिन राज्यों के साथ दो या उनसे अधिक संस्थान संबद्ध हैं उनमें प्रमुख संस्थान की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राज्य स्तर पर रिपोर्टों का समेकन करे और ऊपर बताए गए सभी प्राचलों के बारे में राज्य की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करे। राज्य के साथ संबद्ध अन्य संस्थान केवल भारत सरकार/राज्य सरकार को ही नहीं बल्कि राज्य के अन्य प्रमुख संस्थानों को भी रिपोर्टें भेजेंगे।

97.9 राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों का समन्वय नीपा और एनसीईआरटी जैसे राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किया जाएगा। राज्यों को उनके बीच बांट दिया जाएगा और संबंधित राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई इन दोनों संस्थानों द्वारा की जाएगी। एक सामान्य राष्ट्रीय स्तर की तसवीर प्राप्त करने के निमित्त राज्यों से प्राप्त आंकड़ों को मिलाने के प्रयोजन से नीपा एक नामित नोडल एजेंसी होगी और वह सभी राज्यों से विवरण प्राप्त करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सम्पर्क बनाए रखेगी।

98. भारत सरकार द्वारा सम्वर्ती वित्तीय समीक्षा और मानीटरन

98.1 सभी स्तरों पर कार्यान्वयन एजेंसियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उन्हें प्राप्त हुई निधियों और इन निधियों में से किए गए खर्च का सही हिसाब-किताब रखेंगी। साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि खर्च उस प्रयोजन के लिए किया जाए जिसके लिए निधि मंजूर की गई थी और वह संगत वित्तीय विनियमों/नियमों के अधीन आता हो। यह सुनिश्चित करने के

लिए कि हिसाब-किताब सही ढंग से रखा जाए और निधियां उस प्रयोजन के लिए खर्च की जाए जिसके लिए मंजूर की गई थी भारत सरकार द्वारा नियतकालिक अंतरालों पर एक समवर्ती वित्तीय समीक्षा और मानीटरन किया जाएगा।

98.2 राज्य कार्यान्वयन सोसायटी के लेखे भारत सरकार/राज्य सरकार तथा उनके द्वारा भेजे गए लेखा परीक्षा दल द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेंगे।

98.3 भारत सरकार ने हाल ही में सर्वशिक्षा अभियान से संबंधित वित्तीय रिपोर्टों विशेष रूप से राज्य सोसायटियों को प्रदान की गई निधियों के उपयोग और राज्य, जिला तथा उपजिला स्तर पर विभिन्न क्रियाकलापों के वित्तपोषण से संबंधित वित्तीय पक्षों का मानीटरन करने के निमित्त एक मार्गदर्शी अध्ययन करने के लिए भारतीय लोक लेखापरीक्षक संस्थान आफ इंडिया की सेवाएं प्राप्त की हैं। भारतीय लोक लेखापरीक्षक संस्थान ने कुछ राज्यों में मार्गदर्शी अध्ययन किया है और अध्ययन के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। वित्तीय प्रबंध तथा नमूने के राज्यों की वर्ष दर वर्ष आधार पर अधिप्राप्ति का समवर्ती मानीटरन करने का काम पुनः उसी संस्थान को सौंपा गया है और भारत सरकार इस तरह की समवर्ती समीक्षा और मानीटरन के लिए समय-समय पर अन्य छोटे संगठनों को नियुक्त कर सकती है।

98.4 राज्य उनके लेखों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए इसी प्रकार के विश्वसनीय संस्थानों अथवा सनदी लेखाकारों की कम्पनियों को नियुक्त करने पर भी विचार कर सकता है। इस तरह की आंतरिक लेखापरीक्षा के विचारार्थ विषय **संलग्नक XIII** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार होंगे।

99. भारत सरकार द्वारा वित्तीय प्रबंध जांचों के संकेतक

99.1 भारत सरकार एसएसए राज्यों के वित्तीय प्रबंध मुद्दों का तिमाही आधार पर मानीटरन करेगी। जिन सूचकों का मानीटरन किया जाएगा वे **संलग्नक-XIV** में दर्शाए गए हैं और वे क्षमता निर्माण तथा संबंधित राज्यों को भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता का निर्धारण करेंगे। तकनीकी अनुसमर्थन समूह का सुदृढ़ीकृत वित्तीय मानीटरन यूनिट इस प्रयोजन के लिए ईई ब्यूरो की सहायता करेगा। समीक्षा में एसपीओ तथा विशेष रूप से राज्य कार्यान्वयन सोसायटी का वित्त कार्यालय शामिल होगा।

99.2 **व्ययः** अनुमोदित एडब्लयूपीतथाबी में से किए गए खर्च का मानीटरन तिमाही आधार पर किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए **संलग्नक-IX** में मांगी गई जानकारी प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के तत्काल बाद तिमाही आधार पर भारत सरकार को भेजी जानी चाहिए।

99.3 **निधि प्रवाहः** विभिन्न स्रोतों से निधियों की प्राप्ति और तदनन्तर जिला स्तर और उपजिला स्तर पर निधियां प्रदान करने की प्रक्रिया का छमाही आधार पर मानीटरन किया जाएगा। **संलग्नक-XIV** में दिए गए विवरण में जानकारी प्रत्येक छमाही की समाप्ति के तत्काल बाद भारत सरकार को भेजी जानी चाहिए।

99.4 **अग्रिमः** डीपीओ स्तर और उपजिला स्तर सहित जिला स्तर पर 12 महीने से अधिक समय से अव्ययित पड़े रहे एक लाख रुपये से अधिक की अग्रिमों के ब्यौरों का छमाही आधार पर मानीटरन किया जाएगा। **संलग्नक-XIV** में दिए अनुसार इन अग्रिमों के ब्यौरे प्रत्येक छमाही की समाप्ति के तत्काल बाद भारत सरकार को भेजे जाएंगे।

99.5 **वित्तीय प्रबंध के लिए स्टाफः** राज्य और जिला स्तर पर वित्तीय प्रबंध स्टाफ की तैनाती का छमाही आधार पर मानीटरन किया जाएगा। **संलग्नक-XIV** में दिए गए विवरण में स्टाफ की स्थिति प्रत्येक छमाही की समाप्ति के तत्काल बाद भारत सरकार को भेजी जानी चाहिए।

99.6 **वित्तीय प्रबंध स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमः** एसएसए के अधीन आयोजना, बजट निर्माण, लेखांकन, अधिप्राप्ति, आंतरिक लेखापरीक्षा आदि जैसे विषयों को समाहित करने वाले वित्तीय प्रबंध के संबंध में प्रारम्भिक प्रशिक्षण और दिशा-अनुकूलन प्रशिक्षण सभी वित्तीय प्रबंध स्टाफ को नियतकालिक अंतरालों पर दिया जाना चाहिए। स्थिति का मानीटरन करने के लिए **संलग्नक-XIV** में दी गई जानकारी प्रत्येक छमाही की समाप्ति के तत्काल बाद छमाही आधार पर भारत सरकार को भेजी जानी चाहिए।

99.7 **वाह्य लेखापरीक्षाः** सोसायटियों के लेखों की वार्षिक आधार पर वाह्य लेखापरीक्षा की जानी जरूरी है। लेखापरीक्षा की प्रगति का मानीटरन करने के लिए **संलग्नक-XIV** में दी गई जानकारी प्रत्येक छमाही की समाप्ति के तत्काल बाद छमाही आधार पर भारत सरकार को भेजी जानी चाहिए।

100. आंतरिक लेखापरीक्षा

100.1 आंतरिक लेखापरीक्षा एक ऐसा नियंत्रण है जोकि संगठन के भीतर अन्य नियंत्रणों कि पर्याप्तता और प्रभाविता की जांच और मूल्यांकन करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा के क्रियाकलापों में सभी भुगतान लेखापरीक्षा और साथ ही कार्यक्रम के वित्तीय, प्रचालनात्मक तथा नियंत्रण क्रियाकलापों का स्वतंत्र मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। आंतरिक लेखापरीक्षा की जिम्मेदारियों में इन बातों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल होना चाहिएः आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, लेन-देनों की शुद्धता और औचित्य, वह सीमा जिस तक परिसम्पत्तियों का हिसाब रखा गया है और उनकी सुरक्षा की गई है तथा एसएसए वित्तीय मानदंडों और राज्य सरकार की क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर।

100.2 रहस्यमुक्त समुदाय आधारित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जोकि सामाजिक लेखापरीक्षा की अनुमति देते हैं वित्तीय मानीटरन की प्रणाली भी महत्वपूर्ण है। सभी वित्तीय मानीटरन को पूरी पारदर्शिता के साथ सामाजिक मानीटरन की प्रणाली के भीतर काम करना होगा। लेखापरीक्षकों, सामुदायिक नेताओं, अध्यापकों आदि के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम जिससे कि वे सर्वशिक्षा अभियान के अधीन सर्वसुलभ प्रारम्भिक परीक्षा की स्थिति समझ सके और उसका महत्व स्वीकार कर सके।

100.3 राज्य कार्यान्वयन सोसायटी को समुचित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली लागू करनी चाहिए और एडब्ल्यूपीतथाबी में स्वीकृत निधियों का समुचित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक जांचों और कार्यालयी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए।

100.4 ऐसे राज्यों में जिनमें कार्यालयी आंतरिक लेखापरीक्षा दल मौजूद नहीं हैं उनमें **संलग्नक-XIII** में दिए गए विचारार्थ विषयों के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए भी अर्हताप्राप्त सनदी लेखाकारों की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

100.5 प्रतिशतता आधार पर चुने गए जिला परियोजना कार्यालयों और उपजिला इकाइयों की लेखापरीक्षा इस तरह की जानी चाहिए कि एक बार सभी जिलों और उपजिला यूनिटों को तीन वर्ष में कम से कम एक बार कवर किया जा सके। आंतरिक लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किया

जाना चाहिए कि नियमित बैंक समाधान सहित निर्धारित लेखांकन प्रणाली का कड़ाई से पालन किया जाता है।

100.6 जिलों द्वारा प्रस्तुत मासिक व्यय विवरण जिसमें अनुमोदित बजट प्रावधान और महीने के दौरान किया गया खर्च, वर्ष के दौरान क्रियाकलाप/उप-क्रियाकलाप पर किया गया संचयी खर्च दर्शाया जाता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।

100.7 सिविल निर्माण कार्यों, माल और परामर्शी सेवाओं के लिए अपनायी गई अधिप्राप्ति क्रियाविधि की आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक अधिप्राप्ति के लिए सही क्रियाविधि अपनाई गई है।

100.8 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी अधिप्राप्तियों, करारों, कार्य/खरीद आदेशों, बीजकों, प्राप्तियों, स्टाक रजिस्टरों आदि से संबंधित रिकार्ड समुचित रूप से रखे जाते हैं, सही ढंग से संबद्ध किए जाए और बनाए रखे जाते हैं।

100.9 आंतरिक लेखापरीक्षा में देखी गई विषमताएं आवश्यक उपचारी उपाय करने के लिए राज्य परियोजना निदेशक को सूचित की जानी चाहिए। सभी आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के रिकार्ड आंतरिक लेखापरीक्षा यूनिट में रखे जाने चाहिए और उन पर अंतिम रूप दिए जाने तक कार्रवाई की जानी चाहिए।

100.10 आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट भी कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

अध्याय-VIII
लेखापरीक्षा करना

101. सनदी लेखाकारों की कम्पनी द्वारा लेखापरीक्षा

101.1 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत राज्य कार्यान्वयन सोसायटी समुचित लेखे तथा अन्य संगत रिकार्ड रखने और साथ ही उक्त अधिनियम के अधीन लागू नियमों के अनुसार सोसायटी के पंजीयक द्वारा यथानिर्धारित शैली में प्राप्तियों और भुगतान लेखों सहित वार्षिक लेखों और देयताओं का विवरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। तदनुसार यह जरूरी है कि इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सनदी लेखाकार, सोसायटी के लेखों की वार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा करे और एक वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

101.2 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत राज्य कार्यान्वयन सोसायटी समुचित लेखे तथा अन्य संगत रिकार्ड रखने और साथ ही उक्त अधिनियम के अधीन लागू नियमों के अनुसार सोसायटी के पंजीयक द्वारा यथानिर्धारित शैली में प्राप्तियों और भुगतान लेखों सहित वार्षिक लेखों और देयताओं का विवरण तैयार करने के लिए इस शर्त के अधीन जिम्मेदार होगी कि केन्द्रीय सरकार से अनुदानों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार के निदेशों का पालन किया जाएगा।

101.3 राज्य परियोजना निदेशक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तत्काल बाद सोसायटी के वार्षिक लेखे तैयार कराएगा और सोसायटी की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद राज्य के मामले में लागू सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए कार्यकारी समिति के अनुमोदन से नियुक्त सनदी लेखाकार की कम्पनी द्वारा हर साल **अप्रैल** मास तक वार्षिक आधार पर लेखों की लेखापरीक्षा कराएगा।

101.4 लेखापरीक्षा कम्पनियों का चयन **संलग्नक-XV** में दिए गए प्रपत्र में सनदी लेखाकारों की कम्पनियों द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण के संदर्भ में किया जाएगा। सीए कम्पनी के पास लेखापरीक्षा करने के लिए समुचित स्टाफ सहित **पांच वर्ष का अनुभव** होना चाहिए। रुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति के बाद छंटाई करके आमंत्रण पत्र जारी करने के लिए तीन से छः तक योग्य और अनुभवी सीए कम्पनियों की सूची बनाई जाएगी।

101.5 **संलग्नक-XVI** में दिए गए प्रपत्र में विचारार्थ विषय (पीओआर) जिनमें ये शामिल होंगे (क) कार्यक्रम पृष्ठभूमि, (ख) कार्यक्रम लक्ष्य, (ग) लेखापरीक्षा की सीमा, (घ) वित्तीय विवरण, (ड.) व्यय का विवरण, (च) लेखापरीक्षा मत, (छ) प्रबंध का पत्र, (ज) प्रमुख व्यक्तियों की अर्हता और अनुभव तथा (झ) एसपीडी द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट तैयार किए जाएंगे और आमंत्रण पत्र सहित भावी सनदी लेखाकार कम्पनी को भेजे जाएंगे।

101.6 एसआईएस के प्रमुख वित्त अधिकारी सहित तीन सदस्यों की एक समुचित रूप से गठित चयन समिति सीए कम्पनियों से प्राप्त तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी और उनके अंतिम चयन तथा अनुमोदन के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसायटी की कार्यकारी समिति के समक्ष अपनी सिफारिशें रखेगी।

101.7 चयनित सीए कम्पनी शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त की जाएगी। उपयुक्त पाए जाने पर सीए कम्पनी की सेवाओं का कार्यकाल वार्षिक आधार पर अधिक से अधिक अगले दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। सीए कम्पनी को किसी भी स्थिति में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए वाह्य लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जानी चाहिए। उपयुक्त न पाए जाने पर पैरा 101.6 में दी गई चयन प्रक्रिया का पालन करके एक नई सीए कम्पनी का चयन किया जाएगा।

101.8 लेखों की लेखापरीक्षा में राज्य सोसायटी कार्यालय, सभी जिला परियोजना कार्यालय तथा यादृच्छिक आधार पर चयनित उपजिला यूनिट शामिल होंगे जोकि जिले की प्रतिनिधि प्रकृति के परिचायक हों। सनदी लेखाकार कम्पनी को प्रतिवर्ष 31 अगस्त तक लेखापरीक्षा पूरी कर लेनी चाहिए। प्रारम्भिक लेखापरीक्षा आपत्ति, यदि कोई हो तो, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जवाब के लिए भेज दी जानी चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसी को लेखापरीक्षा आपत्तियों की प्राप्ति के तत्काल बाद उत्तर भेजने चाहिए। यदि उत्तर संतोषजनक पाए जाएं तो ऐसा मान लिया जाएगा कि लेखापरीक्षा आपत्तियों का समाधान कर लिया गया है अन्यथा उन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

101.9 सीए कम्पनी की इस आशय की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट कि उन्होंने इस संबंध में **अपनी तसल्ली कर ली है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार लेखे सही और निष्पक्ष हैं** प्रतिवर्ष **30 सितम्बर** तक उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

101.10 लेखापरीक्षित लेखे सोसायटी की कार्यकारी समिति को भेजे जाएंगे जोकि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर उस रिपोर्ट की एक प्रति सहित अपने अभिमत राज्य सरकार को भेज देगी।

101.11 राज्य सरकार कार्यान्यवन एजेंसी से प्राप्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां देगी और उसे स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पास भेजेगी।

101.12 राज्य सरकारें इन दस्तावेजों को राज्य विधान सभाओं में प्रस्तुत करने की दिशा में भी कार्रवाई करेंगी।

101.13 वित्तीय वर्ष के अंत में सोसायटी द्वारा धारित स्थिर परिसम्पत्तियों की सूची दर्शाने वाला एक विवरण निर्धारित प्रपत्र में लेखों के वार्षिक विवरण सहित भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

101.14 सोसायटी को लेखों के वार्षिक विवरण सहित **संलग्नक-XVII** में दिए गए प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाणपत्र भी भारत सरकार (प्रारम्भिक शिक्षा विभाग) को भेजना चाहिए।

101.15 उपयोगिता प्रमाणपत्र अनिवार्यतः प्राप्ति और भुगतान लेखे तथा प्राप्ति और भुगतान लेखे-दोनों में अथशेष और अंतशेष के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

101.16 अनुदान (आवर्ती और अनावर्ती दोनों तरह का) जिस प्रयोजन के लिए मंजूर किया गया था उसी प्रयोजन के लिए वास्तविक प्रयोग किए जाने संबंधी प्रमाणपत्र राज्य सोसायटी द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर केन्द्रीय/राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

102. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा

102.1 सोसायटी के लेखे समय-समय पर यथा संशोधित भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अध्ययधीन भी होंगे।

102.2 अधिनियम में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा सोसायटियों की विशेष लेखापरीक्षा/निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रावधान है जो आवश्यक होने पर पूरा किया जाएगा।

103. वार्षिक रिपोर्ट

103.1 सोसायटी के कार्यकरण और उसके द्वारा वर्ष के दौरान किए गए कार्यों से संबंधित एक वार्षिक रिपोर्ट, **संलग्नक-XVIII** में दिए गए प्रपत्र में समेकित वार्षिक वित्तीय विवरण, **संलग्नक-XIX** में तुलन-पत्र, **संलग्नक-XX** में आय और व्यय लेखे, **संलग्नक-XXI** में प्राप्ति और भुगतान तथा लेखापरीक्षित लेखों सहित कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी और भारत सरकार तथा राज्य सरकार और सोसायटी के सदस्यों को भेजी जाएगी।

103.2 सोसायटी के लेखापरीक्षित लेखों और उनके संबंध में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति शासी निकाय की वार्षिक साधारण बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

103.3 सोसायटी के लेखापरीक्षित लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के भीतर संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए भारत सरकार को भेजी जाएगी।

104. वाह्य लेखापरीक्षा कैलेंडर

104.1 वाह्य लेखापरीक्षा व्यवस्था के लिए निम्नलिखित समय-सारणी निर्धारित की गई है जिसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

1.	लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए ईसी के अनुमोदन की तारीख	प्रतिवर्ष जनवरी और मार्च के बीच
2.	सीए कम्पनी नियुक्त करने की तारीख	शुरू में प्रतिवर्ष अप्रैल के आरंभ में
3.	लेखापरीक्षा कार्य में प्रगति	प्रतिवर्ष जून तक
4.	एसपीओ को लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रस्तुति	प्रतिवर्ष सितम्बर तक वांछनीय
5.	वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखों का अनुमोदन	प्रतिवर्ष नवम्बर तक वांछनीय
6.	भारत सरकार को भेजे जाने की तारीख	प्रतिवर्ष 1 दिसम्बर

105. लेखापरीक्षा आपत्तियों का समाधान

105.1 लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल लेखापरीक्षा आपत्तियों के समाधान पर निगाह रखने के लिए राज्य सोसायटी का लेखा स्कंध/लेखापरीक्षा सेल **संलग्नक-XXII** में दिए गए प्रपत्र में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक डीडीओ के लिए अलग-अलग फोलियो दिए गए होंगे।

105.2 बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों के समाधान की दिशा में की गई प्रगति की एसपीडी द्वारा मासिक आधार पर समीक्षा की जाएगी और उनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए आगे की उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

105.3 संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा अगली लेखापरीक्षा के समय लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में डीडीओ द्वारा कथित अनुपालन का सत्यापन किया जाएगा।

105.4 उठाई गई आपत्तियों के समाधान के सत्यापन के निमित्त लेखापरीक्षक के समक्ष रजिस्टर भी प्रस्तुत किया जाएगा।

105.5 लेखापरीक्षा अनुपालन के संबंध में राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियमित आधार पर भारत सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

अध्याय-IX
अधिप्राप्ति क्रियाविधि

106. एसएसए में अधिप्राप्ति

106.1 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पाठ्यपुस्तकों, अध्यापन अधिगम उपकरण, उध्यापन अधिगम सामग्री, फर्नीचर, स्कूल उपकरण, अध्यापक प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित सामग्री, कार्यालय उपस्कर, कम्प्यूटर और उनके कलपुर्जों की अधिप्राप्ति, स्कूल सुविधाओं में सुधार, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल भवनों, अतिरिक्त क्लासरूमों, टायलेटों, पेयजल सुविधाओं, चारदीवारी, विभाजक दीवारों का निर्माण, विद्युतीकरण, बीआरसी/सीआरसी का निर्माण, स्कूल भवनों का रखरखाव और मरम्मत, एसआईईएमएटी का निर्माण, विशिष्ट कार्यों के लिए विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करना आदि शामिल है। जहां स्कूलों के स्तरोन्नयन, मरम्मत और रखरखाव तथा अध्यापन अधिगम उपकरण सम्बन्धी अधिप्राप्ति के सर्वोत्तम तरीके की बाबत ग्राम/स्कूल आधारित ढांचे निर्णय लेंगे, एसएसए कार्यतंत्र ने स्कूल, सीआरसी, बीआरसी, जिला और राज्य स्तर पर अधिप्राप्ति के लिए विधियां निर्दिष्ट नहीं की हैं। ईई ब्यूरो द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एसएसए के अधीन अधिप्राप्ति सम्बन्धित राज्य सरकार की क्रियाविधि/नियमों के अनुसार की जाए। तथापि यदि राज्य कर्यान्वयन सोसायटी डीपीईपी के अधीन किसी क्रियाविधि का पहले से ही पालन कर रही है, उसे एसएसए के अधीन अधिप्राप्ति के लिए भी वही क्रियावधि अपना लेनी चाहिए। राज्य मार्गदर्शी सिद्धान्त या मौजूदा डीपीईपी क्रियाविधियां--इनमें से अधिप्राप्त की कौनसी क्रियाविधि अपनाई जानी चाहिए, इसकी बाबत राज्य कार्यान्वयन सोसायटी की कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। कार्यकारी समिति द्वारा इस तरह का निर्णय सोसायटी द्वारा की जाने वाली समूची अधिप्राप्ति के लिए अथवा प्रत्येक मामले के आधार पर प्रत्येक मद के लिए अलग से लिया जा सकता है।

106.2 एसएसए के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों पर होती है और इस कारण एसएसए के अधीन ठेके प्रदान करने और उनका संचालन इन्हीं कार्यान्वयन एजेंसियों पर रहता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एसएसए निधियां उन्हीं प्रयोजनों के लिए खर्च की जाएं जिनके लिए वे मंजूर की गई थी और ऐसा करते समय राजनीतिक अथवा अन्य गैर-आर्थिक प्रभावों अथवा तत्वों की ओर ध्यान दिए बिना किफायत और प्रभाविता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

106.3 एसएसए के अधीन अधिप्राप्ति की दिशा में कार्रवाई करते समय कार्यक्रम कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा निम्न बातें ध्यान में रखी जानी चाहिएः

(क) खर्च की पूर्ति के लिए उस वित्तीय वर्ष में, जिसमें खर्च किया जाना है विशिष्ट बजट प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए।

(ख) राज्य सोसायटी कार्यालय तथा जिला स्तरीय कार्यालय के लिए भण्डार की बड़े पैमाने पर जरूरत का वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ही जायजा ले लिया जाना चाहिए और एसएसए के अधीन लागू क्रय क्रियाविधि के अनुसार उसकी अधिप्राप्ति की कार्रवाई शुरू कर दी जानी

चाहिए। कार्यालय उपस्कर तथा फर्नीचर की खरीद वार्षिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किफायती मात्राओं में की जानी चाहिए।

(ग) भण्डार की ऐसे विविधि मदें जोकि बड़े पैमाने पर खरीद में शामिल नहीं होती वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न समय बिन्दुओं पर वास्तविक आवश्यकता के अनुसार खरीदी जा सकती है बशर्ते कि इस तरह खरीदे जाने वाले भण्डार का मूल्य मामूली हो और तत्सम्बन्धी खर्च स्वीकृत बजट में से किया गया हो।

(घ) खरीदारी प्रतियोगी मूल्यों की तुलना के बाद कार्यक्रम के सर्वाधिक हित में की जानी चाहिए।

107. अधिप्राप्ति के स्तर

107.1 एसएसए में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित माल, निर्माण कार्य और सेवाओं की अधिप्राप्ति (क) स्कूल/समुदाय स्तर, (ख) सीआरसी/बीआरसी स्तर, (ग) जिला स्तर, और (घ) राज्य स्तर पर की जाएगी। एसएसए में सिविल निर्माण कार्यों, माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए सामान्यतः प्रत्येक स्तर पर लागू राज्य सरकार नियमावली अथवा पंचायती राज संस्थान नियमावली में यथानिर्धारित अधिप्राप्ति क्रियाविधियों का पालन किया जाएगा। बीआरसी तथा एसआईईएमएटी के निर्माण को छोड़कर सभी सिविल निर्माण कार्य समुदाय के माध्यम से किए जाएंगे। राज्य कार्यान्वयन सोसायटी वित्तीय अधिकारों की सीमाएं और खरीदी जाने वाली मदों का उल्लेख करते हुए अधिप्राप्ति के अधिकार जिलों और उपजिलों को प्रत्यायोजित कर देगी।

107.2 विभिन्न स्तर और जिन मदों की अधिप्राप्ति अक्सर की जाती है, उनका वर्णन नीचे किया गया है। प्रत्येक स्तर के सामने उल्लिखित मदें निर्देशात्मक है और कार्यान्वयन एजेंसियां एसएसए/एनपीईजीईएल के अधीन निर्धारित वित्तीय मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए किसी भी मद की खरीदारी कर सकती हैं।

107.2.1 स्कूल/समुदाय स्तर

(क) स्कूलों के स्तरोन्नयन, मरम्मत और रखरखाव स्कूल अनुदान, अध्यापन अधिगम उपकरण और स्थानीय प्रबन्ध के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सारी निधियां वीईसी/स्कूल प्रबन्ध समितियों/ग्राम पंचायत को या उस राज्य/संघशासित क्षेत्र विशेष द्वारा अपनाए गए विकेन्द्रीकरण के लिए किसी अन्य ग्राम/स्कूल स्तरीय व्यवस्था को अन्तरित कर दी जानी चाहिए। अधिप्राप्ति के सर्वोत्तम तरीके की बाबत ग्राम/स्कूल आधारित निकाय एक संकल्प पारित कर सकता है। अधिप्राप्ति प्रक्रिया में समुदाय को शामिल करने से केवल यही नहीं कि पणधारियों के बीच स्वामित्व का एहसास उत्पन्न होता है बल्कि अधिप्राप्ति में पारदर्शिता भी दिखाई पड़ती है।

(ख) वीईसी/एसएमसी/जीपी के लिए अधिप्राप्ति नियम या तो पीआरआई संस्थानों के वित्तीय नियमों के अनुसार होंगे अथवा राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों द्वारा अन्यथा निर्धारित, इनमें से जो भी लागू हों, होंगे।

107.2.2 अधिप्राप्त की जाने वाली स्कूल संबंधी मदें

(i) बीआरसी और एसआईईएमएटी को छोड़कर सभी सिविल निर्माण कार्य।

(ii) प्रत्येक अध्यापक को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले पांच सौ रुपये के अध्यापक अनुदान में से अध्यापन अधिगम सामग्री।

(iii) प्रत्येक स्कूल के लिए 2000 रुपए वार्षिक के स्कूल अनुदान में से स्कूल उपकरण तथा स्कूलों में सुधार के लिए अन्य मदें।

(iv) प्रत्येक स्कूल के लिए 5000 रुपए वार्षिक के अनुदान में से स्कूलों की मरम्मत और रखरखाव।

(v) 10000 रुपए प्रति स्कूल के अनुदान में से नए प्राथमिक स्कूलों के निमित्त अध्यापन और अधिगम उपकरण। प्राथमिक स्कूल के लिए टीएलई स्थानीय स्थितियों और आवश्यकता के अनुसार तथा अध्यापकों और माता-पिता को सहयोजित करके तैयार की जाएगी।

(vi) 50000 रुपए प्रति स्कूल के अनुदान में से उच्च प्राथमिक स्कूलों (नए, स्तरोन्नत और ऐसे मौजूदा स्कूल जो यूपीएस में शामिल नहीं है) के लिए अध्यापन अधिगम उपकरण। इस तरह के उपकरण अध्यापकों/स्कूल समिति द्वारा निर्धारित स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार होंगे। स्कूल समिति अध्यापकों के साथ परामर्श करके अधिप्राप्ति के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में निर्णय लेगी। स्कूल समिति जिला स्तरीय अधिप्राप्ति की सिफारिश कर सकती है, यदि मात्रा की दृष्टि से ऐसा करना लाभकारी हो।

(vii) प्रत्येक स्कूल के लिए 1500 रुपए वार्षिक के अनुदान में से अनुसंधान और मूल्यांकन के लिए अपेक्षित सामग्री।

107.2.3 ईजीएस/एआईई संबंधी मदें

(i) ईजीएस/एआईई केन्द्र चलाने के लिए आवश्यक छात्रों और शैक्षिक स्वयंसेवकों के लिए टीएलएम, आकस्मिकता आदि।

107.2.4 सीआरसी/बीआरसी स्तर

(क) विभिन्न राज्यों में डीपीईपी तथा अन्य इसी प्रकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अनुभव से यह पता चलता है कि इन स्तरों पर व्यय का अधिकांश हिस्सा विकेन्द्रीयकृत प्रणाली में होता है। इसलिए वित्तीय और अधिप्राप्ति क्रियाविधि को विनियमित करने के लिए नियम बनाए जाने की जरूरत है। असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि जैसे राज्यों में क्रियाविधियां पहले ही तैयार और प्रकाशित की जा चुकी हैं। बीआरसी/सीआरसी के कार्यचालन के लिए अन्य राज्यों को इसी तरह की कार्रवाई करनी है।

(ख) अधिप्राप्त की जाने वाली मदें

(i) बीआरसी तथा सीआरसी के लिए क्रमशः 1,00,000/- रुपए तथा 10,000/- रुपए के फर्नीचर अनुदान में से फर्नीचर/उपकरण/कम्प्यूटर आदि।

(ii) बीआरसी और सीआरसी के लिए क्रमशः 12,500/- रुपए और 2,500/- रुपए वार्षिक अनुदान में से कार्यालय आकस्मिकताएं।

(iii) बीआरसी और सीआरसी के लिए क्रमशः 5,000/- रुपए और 1,000/- रुपए वार्षिक के अनुदान में से अध्यापन अधिगम सामग्री। इस अनुदान का प्रयोग बीआरसी और सीआरसी के लिए पुस्तकालय पुस्तकें खरीदने के लिए भी किया जा सकता है।

(iv) प्रत्येक अध्यापक के लिए 70 रुपए प्रतिदिन की राशि में से अध्यापक प्रशिक्षण तथा अन्य कार्यशालाएं।

(v) प्रत्येक सामुदायिक नेता के लिए 30 रुपए प्रतिदिन की राशि में से समुदाय प्रशिक्षण।

(vi) बीआरसी/सीआरसी के निर्माण के लिए सिविल निर्माण कार्य।

(vii) छपाई का काम।

(viii) प्रत्येक स्कूल के लिए 1,500/- रुपए (जिसमें राज्य का हिस्सा 1,400/- रुपए है) के वार्षिक अनुदान में से अनुसंधान और मूल्यांकन के लिए अपेक्षित सामग्री।

107.2.5 जिला स्तर

(क) अधिप्राप्त की जाने वाली मदें

(i) डीपीओ के लिए कार्यालय उपस्कर।

(ii) डीपीओ के लिए कार्यालय फर्नीचर।

(iii) पाठ्यपुस्तकें/अन्य पुस्तकें/पूरक सामग्री।

(iv) कम्प्यूटर तथा कलपुर्जे।

(v) प्रत्येक विकलांग बच्चे के लिए 1,200/- रुपए वार्षिक की राशि में से विकलांग बच्चों के लिए सहायक सामग्री तथा उपकरण और अन्य जरूरतें।

(vi) उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए टीएलई, यदि स्कूल समिति द्वारा इस तरह की सिफारिश की गई हो।

(vii) कार्यालय आकस्मिकताएं।

(viii) भाड़े पर वाहन लेना।

(ix) उपस्करों और वाहनों का रखरखाव।

(x) जिला स्तरीय प्रशिक्षण और कार्यशालाएं।

(xi) छपाई का काम।

(xii) प्रत्येक स्कूल के लिए 1,500/- रुपए (जिसमें राज्य का हिस्सा 1,400/- रुपए है) के वार्षिक अनुदान में से अनुसंधान और मूल्यांकन के लिए अपेक्षित सामग्री।

(xiii) नवाचारी क्रियाकलाप के अधीन ईसीसीई किट।

(xiv) नवाचारी क्रियाकलापों के अधीन लड़कियों के लिए शैक्षिक किट।

(ख) एसआईएस द्वारा यथानिर्धारित अधिप्राप्ति नियम और वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन का संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी करेंगे।

107.2.6 राज्य स्तर

(क) अधिप्राप्त की जाने वाली मदें

(i) पाठ्यपुस्तकें।

(ii) कम्प्यूटर और उसके कलपुर्जे।

(iii) एसपीओ के लिए कार्यालय उपस्कर।

(iv) एसपीओ के लिए कार्यालय फर्नीचर।

(v) प्रबंध लागत में से दूरस्थ शिक्षा के लिए उपस्कर।

(vi) प्रत्येक विकलांग बच्चे के लिए 1,200/- रुपए वार्षिक की राशि में से विकलांग बच्चों के लिए सहायक सामग्री तथा उपकरण और अन्य जरूरतें।

(vii) कार्यालय आकस्मिकताएं।

(viii) भाड़े पर वाहन लेना।

(ix) उपस्करों और वाहनों का रखरखाव।

(x) राज्य स्तरीय प्रशिक्षण और कार्यशालाएं।

(xi) छपाई का काम।

(xii) परामर्शी कम्पनियों (सेवा संविदा) की नियुक्ति।

(xiii) वाह्य और आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति।

(xiv) विशेषज्ञों/संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति।

(xv) एनजीओ की नियुक्ति।

(xvi) प्रत्येक स्कूल के लिए 1,500/- रुपए (जिसमें राज्य का हिस्सा 1,400/- रुपए है) के वार्षिक अनुदान में से अनुसंधान और मूल्यांकन के लिए अपेक्षित सामग्री।

(ख) राज्य स्तरीय खरीदों के लिए एसआईएस द्वारा यथानिर्धारित अधिप्राप्ति क्रियाविधि और वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन का संचालन किया जाएगा।

107.2.7 राष्ट्रीय स्तर

(क) अधिप्राप्त की जाने वाली मदें

(i) राष्ट्रीय शीर्षस्थ स्तर के संस्थानों से प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता।

(ii) परामर्शदाताओं, एनजीओ, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक विज्ञान संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता।

(iii) अनुसंधान अध्ययनों और मूल्यांकनों के लिए सहायक सेवाएं।

(iv) सनदी लेखाकार तथा अन्य विशेषज्ञ कंपनियों के माध्यम से विशेष लेखापरीक्षा।

(v) वित्तीय प्रबंध और अधिप्राप्ति के लिए सहायक सेवाएं।

(vi) आयोजना, मानीटरन, मूल्यांकन और पर्यवेक्षण के लिए सहायक सेवाएं।

(vii) सिविल निर्माण कार्यों, शिक्षा शास्त्र, वैकल्पिक स्कूली शिक्षा, लिंग, आईईडी, जागरुकता सृजन, मीडिया, प्रलेखन और उत्तम परिपाटियों के प्रसार के लिए सहायक सेवाएं।

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर अधिप्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा यथानिर्धारित अधिप्राप्ति क्रियाविधियों का पालन किया जाएगा।

107.3 ऊपर बताई गई अधिप्राप्ति क्रियाविधियां राज्य क्रियाविधि के अनुसार प्रत्येक राज्य में अलग-अलग तरह की हो सकती हैं।

108. अधिप्राप्ति योजना

(क) अधिप्राप्ति योजना तैयार करना एक अनिवार्य अपेक्षा है।

(ख) सिविल निर्माण कार्यों, उपस्कर, माल, वाहनों और परामर्शी सेवाओं तथा संसाधन सहायता को समाहित करते हुए अधिप्राप्ति योजना कार्यक्रम के पहले वर्ष के लिए ठोस आधार पर और बाद के वर्षों के लिए अनंतिम आधार पर तैयार की जाएगी।

(ग) समुचित मानीटरन और कार्यान्वयन के लिए अधिप्राप्ति योजना प्रतिवर्ष तैयार की जाएगी।

(घ) अधिप्राप्ति समय-सूची प्रतिवर्ष एडब्ल्यूपीतथाबी सहित ईई ब्यूरो तथा भारत सरकार को भेजी जाएगी।

(ड.) अधिप्राप्ति समय-सूची संविदा-वार तैयार की जाएगी।

(च) अधिप्राप्ति की विधि संविदा के मूल्य पर आधारित होगी।

(छ) किसी विशिष्ट अधिप्राप्ति क्रियाविधि के मामले में लागू सीमा का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(ज) यदि अधिप्राप्ति क्रियाकलाप योजना के अनुसार किसी वर्ष में पूरा नहीं किया जा सका और उसे अगले वर्ष के लिए ले जाया जाना है तो वर्ष विशेष में इन मदों की अधिप्राप्ति न करने के कारण बताते हुए इस संबंध में एक संदर्भ ईई ब्यूरो, भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए। ब्यूरो को इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि अधिप्राप्ति को अग्रेनीत किए जाने को छोड़कर अन्य सभी क्रियाविधियां पूर्ववत बनी हुई हैं।

(झ) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिप्राप्ति वास्तविक जरूरतों पर आधारित हो।

109. एसएसए के अधीन अनुशंसित अधिप्राप्ति की विधियां इस प्रकार हैंः

109.1 एसएसए में सामान्यतः पालन की जाने वाली अधिप्राप्ति की विधियां निम्नानुसार हैंः

(क) खुली निविदाएं,

(ख) सीमित निविदाएं,

(ग) एकल निविदाएं,

(घ) निविदाओं के बिना अधिप्राप्ति, तथा

(ड.) सामुदायिक सहभागिता द्वारा सिविल निर्माण कार्य।

110. खुली निविदाएं

110.1 बीआरसी तथा एसआईईएमएटी के निर्माण के लिए निर्माण कार्य और साथ ही माल की अधिप्राप्ति मुक्त निविदाओं के अधीन निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार संविदाओं के अधीन की जा सकती है।

110.2 मुक्त निविदा देश के भीतर सरकारी अधिप्राप्ति के लिए सामान्यतः प्रयुक्त प्रतियोगात्मक बोली पद्धति है तथा माल और निर्माण कार्यों की प्रकृति और क्षेत्र की दृष्टि से उनकी अधिप्राप्ति के लिए सर्वाधिक प्रभावी और किफायती तरीका है। इन क्रियाविधियों के फलस्वरूप पर्याप्त प्रतियोगिता देखने में आएगी जिससे कि समुचित मूल्य सुनिश्चित किए जा सकें तथा निविदाओं के मूल्यांकन और ठेका प्रदान करने के लिए प्रयुक्त विधियों के बारे में सभी बोली दाताओं को अवगत कराया जाएगा और उन्हें मनमाने ढंग से लागू नहीं किया जाएगा।

110.3 कार्रवाईयांः खुली निविदा क्रियाविधि के अधीन अधिप्राप्ति में की जाने वाली विभिन्न कार्रवाईयां निम्नानुसार हैंः

(क) अधिसूचना/विज्ञापन,

(ख) निविदा दस्तावेज जारी करना,

(ग) निविदा दस्तावेज जमा कराना,

(घ) निविदाएं सार्वजनिक रूप से खोलना,

(ड.) मूल्यांकन,

(च) पश्च योग्यता पर आधारित न्यूनतम मूल्यांकित जवाबी निविदा का चयन,

(छ) एल-I के साथ बातचीत (यदि आवश्यक हो),

(ज) संविदा प्रदान करना तथा

(झ) संविदा निष्पादन।

110.4 अधिसूचना/विज्ञापनः प्रतियोगी बोली पद्धति में बोली लगाने के अवसरों की समय पर अधिसूचना जारी करना अनिवार्य हैः

(क) बोली लगाने का आमंत्रण समाचारपत्रों में और कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेजी समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, यदि मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक हो।

(ख) यदि निविदा के लिए आमंत्रण में यह उल्लेख किया गया हो कि आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार द्वारा बयाने की राशि जमा करानी होगी तो आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार की इस शर्त को पूरा न करने वाली बोली नामंजूर कर दी जाएगी। बयाने की राशि जमा किए जाने के मामले में राज्य की मौजूदा क्रियाविधि का पालन किया जा सकता है। तथापि यह वांछनीय है कि इस संबंध में सभी के लिए बराबर के अवसर सुलभ कराए जाएं।

(ग) एक पैकेज में बयाने की राशि सभी मदों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट की जाती है जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता। एक बार यह निर्णय लेने के बाद की संविदा एक पैकेज के लिए है तो उस पैकेज के लिए बयाने की राशि निर्दिष्ट की जानी होगी और उसे प्रत्येक मद के अनुसार बदला नहीं जा सकेगा।

(घ) निविदा की प्राप्ति की अंतिम तारीख निविदा दस्तावेजों की बिक्री समाप्त होने की तारीख से अगले दिन की तारीख होगी।

(ड.) निविदा जमा करने की अवधि सामान्यतः निविदा दस्तावेजों की बिक्री शुरू करने की तारीख से 30 दिन से कम नहीं होगी।

110.5 निविदा दस्तावेजः राज्य सरकार के मानक निविदा दस्तावेजों का प्रयोग किया जाना चाहिए। निविदा दस्तावेजों की बिक्री समाचारपत्र में निविदा के लिए अधिसूचना के प्रकाशन के बाद ही शुरू होनी चाहिए। निविदा दस्तावेजों में ऐसी सभी जानकारी प्रस्तुत की जाएगी जोकि उपलब्ध कराए जाने वाले माल तथा निर्माण कार्यों के लिए टेंडर तैयार करने के काम में भावी बोलीदाता के लिए जरूरी हो। निविदा मूल्यांकन और न्यूनतम मूल्यांकित निविदा के चयन का आधार निविदाओं संबंधी अनुदेशों तथा/अथवा विशिष्टियों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा। निविदा दस्तावेज उन सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए जो उनकी मांग करते हों भले ही उनके पंजीकरण की स्थिति कुछ भी हो और उन्हें बोली लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

110.6 तकनीकी विशिष्टियांः तकनीकी विशिष्टियां, मात्राओं का बिल और सिविल नक्शे निविदा मंगाने से पहले तैयार कर लिए जाने चाहिए। अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुओं के लिए विशिष्टियां प्रत्येक मामले में स्पष्टतः तैयार की जानी चाहिए। निविदाएं खोलने के बाद विशिष्टियों में किसी तरह के फेरबदल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

110.7 निविदा की वैधताः बोलीदाताओं से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित अवधि के लिए वैध निविदा जमा कराएं। सामान्यतः बोली की वैधता अवधि 90 दिन से अधिक नहीं होगी।

110.8 बयाना राशिः सामान्यतः अनुमानित लागत के 2 प्रतिशत की बयाना राशि समुचित होगी जिसे एक नियत राशि के रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। बयाने की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक से डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर के चेक/बैंक गारंटी के रूप में होगी जोकि निविदा की वैधता अवधि के बाद कम से कम 45 दिन तक के लिए वैध होगी। असफल बोलीदाताओं की बयाने की राशि निविदाओं की अंतिम स्वीकृति के शीघ्र बाद लौटा दी जाएगी। एक बार प्रस्तुत की गई निविदा को वापिस लेने अथवा जो सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक करार निष्पादित करने में असफल रहता है उसकी बयाने की राशि जब्त कर ली जाएगी।

110.9 निविदा दस्तावेजों की स्पष्टताः निविदा दस्तावेजों में किए जाने वाले कार्य, कार्यस्थल, आपूर्ति किए जाने वाले माल, आपूर्ति अथवा स्थापना के स्थान, आपूर्ति अथवा पूर्ति की समय-सूची, न्यूनतम निष्पादन अपेक्षाओं तथा वारंटी और अनुरक्षण अपेक्षाओं तथा मूल्यांकन की विधि का स्पष्ट और सही-सही उल्लेख किया जाएगा।

110.10 बोली-पूर्व सम्मेलनः एक बोली-पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया जा सकता है जहां संभावित बोलीदाता स्पष्टीकरण मांगने के लिए कार्यान्वयन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। बोली-पूर्व सम्मेलन के कार्यवृत्त की एक प्रति उन बोलीदाताओं को जिन्होंने पहले ही बोली दस्तावेज खरीद लिए हैं और उन पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिन्होंने बोली-पूर्व सम्मेलन के बाद दस्तावेज खरीदे हैं।

110.11 मानक और तकनीकी विशिष्टियांः जहां तक संभव हो सके कार्यान्वयन एजेंसी तकनीकी विशिष्टियों के सामान्यतः स्वीकृत मानक निर्दिष्ट करेगी। पूर्वाग्रहरहित तकनीकी विशिष्टियां तैयार की जाएंगी जिनमें किसी मार्के का नाम तथा कैटालाग संख्याओं का कोई उल्लेख नहीं होगा।

110.12 निविदा दस्तावेजों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि क्या बोली मूल्य स्थिर होंगे अथवा संविदा के प्रमुख लागत घटकों में किसी प्रकार के बदलाव परिलक्षित करने के लिए मूल्य समायोजित किए जाएंगे।

110.13 भुगतान की शर्तेंः भुगतान की शर्तें विशिष्ट माल और निर्माण कार्यों के मामले में लागू परिपाटियों के अनुसार होंगी। निविदा दस्तावेजों में भुगतान की विधि और शर्तों का सुस्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

110.14 संविदा की शर्तेंः संविदा दस्तावेजों में किए जाने वाले कार्य, आपूर्ति किए जाने वाले माल के क्षेत्र, कार्यान्वयन एजेंसी तथा आपूर्तिकर्ता अथवा ठेकेदार के अधिकारों और दायित्वों का तथा इंजीनियर, वास्तुशिल्पकार, अथवा निर्माण प्रबंधक यदि कार्यान्वयन एजेंसी ने संविदा के पर्यवेक्षण तथा प्रशासन ने ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त कर रखा हो के कार्यों और अधिकार का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

110.15 जमानती जमाः निर्माण कार्यों और माल सम्बन्धी निविदा दस्तावेजों के साथ जमानत के रूप में इतनी राशि जरूरी होगी जोकि ठेकेदार द्वारा संविदा भंग किए जाने की स्थिति में कार्यान्वयन एजेंसी के हितों का बचाव करने के लिए काफी हो। यह जमानती जमा बैंक गारंटी अथवा किसी अन्य प्रपत्र में और निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट राशि की होगी। निष्पादन गारंटी की राशि सामान्यतः संविदा मूल्य के 5% तक की होगी (दोष दायित्व अवधि के बीत जाने की तारीख से कम से कम 30 दिन तक वैध)।

110.16 जमानती जमा सामान्यतः माल की आपूर्ति/निर्माण कार्य की पूर्ति के एक महीने के भीतर वापिस कर दी जाएगी। तथापि यह जमानती जमा गारंटी/वारंटी/अनुरक्षण अवधि के पूरा हो जाने के बाद, जहां कहीं ऐसी गारंटी/वारंटी/अनुरक्षण की शर्त हो लौटाई जाएगी।

110.17 यदि संविदा की कोई शर्तें तथा अनुबंधों का उल्लंघन होता है या बोलीदाता पूरी आपूर्ति संतोषजनक ढंग से पूरी नहीं कर पाता या निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाता तो जमानती जमा जब्त कर ली जाएगी।

110.18 प्रतिधारण राशिः निर्माण कार्यों संबंधी संविदाओं में सामान्यतः संविदा मूल्य का पांच प्रतिशत हिस्सा प्रतिधारण राशि के रूप में वसूला जाएगा और इस तरह की प्रतिधारण राशि में से 50 प्रतिशत राशि निर्माण कार्य के पूरा होने तक अपने पास रखी जाएगी और 50 प्रतिशत दोष दायित्व अथवा अनुरक्षण अवधि के अंत तक रखी जाएगी।

110.19 निर्णीत हर्जानाः माल की आपूर्ति, निर्माण कार्य की पूर्ति में देरी हो जाने अथवा माल अथवा निर्माण कार्यों के निष्पादन अपेक्षाओं की पूर्ति करने में असफल हो जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त लागत लगेगी अथवा घाटा होगा अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के अन्य लाभों को क्षति पहुंचेगी-इन स्थितियों से निपटने के लिए निर्णीत हर्जाना के लिए प्रावधान संविदा की शर्तों में शामिल कर लिए जाएंगे।

110.20 निविदाएं खोलनाः निविदाएं खोलने का समय निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तारीख अथवा उसके तत्काल बाद की तारीख होनी चाहिए।

110.21 निविदाएं सार्वजनिक रूप से खोली जाएंगी अर्थात बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने की छूट दी जाएगी।

110.22 प्राप्त हुई सभी निविदाएं खोली जाएंगी और बोलीदाता का नाम और प्रत्येक बोली की समग्र राशि बोली खोलते समय पढ़कर सुनाई जाएगी।

110.23 बोली खोलते समय निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त हुई निविदाओं को छोड़कर, जोकि बिना खोले बोलीदाता को वापिस कर दी जाएगी, कोई भी बोली नामंजूर नहीं की जाएगी।

110.24 बोली खोलने का कार्यवृत्त अवश्य तैयार किया जाना चाहिए।

110.25 गोपनीयताः निविदाओं को सार्वजनिक रूप से खोलने के बाद निविदाओं की जांच, स्पष्टीकरण और मूल्यांकन तथा काम आबंटित करने संबंधी सिफारिशों से जुड़ी जानकारी सफल बोलीदाता को कार्य आबंटन अधिसूचित किए जाने तक बोलीदाताओं अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जोकि इस प्रक्रिया के साथ औपचारिक रूप से नहीं जुड़े हैं।

110.26 निविदाओं की जांच

(क) कार्यान्वयन एजेंसी इस बात की जांच करेगी कि क्या निविदाएं

- (i) निर्दिष्ट पात्रता शर्तों की पूर्ति करती हैं,
- (ii) उन पर सही ढंग से हस्ताक्षर किए गए हैं,
- (iii) क्या उनके साथ आवश्यक जमानत राशि जमा कराई गई है और क्या वे निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट तारीख तक वैध है,
- (iv) निविदा दस्तावेज के प्रति पर्याप्त रूप से सुग्राही है तथा
- (v) अन्यथा सामान्यतः सही हैं।

(ख) यदि कोई बोली पर्याप्त रूप से सुग्राही नहीं है अर्थात उसमें निविदा दस्तावेजों में दी गई शर्तों, उपबंधों और विशिष्टियों को लेकर पर्याप्त विचलन अथवा अपवाद हैं तो इस पर और आगे विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता को निविदाओं के एक बार खोल दिए जाने के बाद भारी विचलनों अथवा अपवादों को संशोधित करने या वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

110.27 निविदा मूल्यांकन और तुलना

(क) निविदा मूल्यांकन का प्रयोजन प्रत्येक निविदा के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी की लागत का इस ढंग से निर्धारण करना है जिससे कि इसकी मूल्यांकित लागत के आधार पर तुलना की जा सके। कार्य आबंटन के लिए न्यूनतम मूल्यांकित लागत वाली निविदा जो जरूरी नहीं है कि न्यूनतम प्रस्तुत मूल्य हो चुनी जाएगी।

(ख) मूल्यांकन के प्रयोजन से बोली खोलते समय जो बोली मूल्य पढ़कर सुनाया गया है उसे जमा जोड़ संबंधी गलतियों को ठीक करने के लिए समायोजित किया जाएगा।

(ग) वाणिज्यिक और तकनीकी पक्ष सुनिश्चित करने के लिए निविदाओं का मूल्यांकन निविदा दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

(घ) बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किसी **सशर्त छूट** को मूल्यांकन के लिए ध्यान में नहीं लिया जाएगा।

(ड.) कार्यान्वयन एजेंसी निविदाओं के मूल्यांकन और तुलना पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें ऐसे विशिष्ट कारण दिए गए होंगे जिन पर ठेके दिए जाने संबंधी सिफारिश आधारित है।

110.28 **निविदाओं के बाद बातचीत आमतौर पर हतोत्साहित की जानी चाहिए।** तथापि राज्य की अधिप्राप्ति कार्यविधि के अनुसार न्यूनतम मूल्यांकित सुग्राही बोलीदाता (एल-I) के साथ इस तरह की बातचीत की जा सकती है।

110.29 स्वीकृति अधिकारी को बातचीत करने के पूरे अधिकार प्राप्त होंगे। बातचीत करने के विस्तृत कारण और परिणाम कार्रवाई में दर्ज किए जाएंगे।

110.30 न्यूनतम मूल्यांकित सुग्राही बोलीदाता को स्वीकृति अधिकारी के समक्ष निर्धारित समय पर बातचीत की कार्रवाई में उपस्थित होने के लिए लिखित सूचना भेजी जाएगी। बातचीत के लिए तारीख निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बातचीत में भाग लेने के लिए बोलीदाता के पास पर्याप्त समय उपलब्ध रहे।

110.31 इस कार्यविधि का प्रयोग केवल अपवादात्मक मामलों में किया जाएगा। यदि बातचीत के बाद भी दरें बहुत ऊंची हैं तो नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए।

110.32 निविदाओं की वैधता का विस्तारः बोली की वैधता के विस्तार के लिए, यदि ऐसा करना असाधारण परिस्थितियों के कारण उचित हो तो सभी बोलीदाताओं द्वारा (केवल वैध निविदाओं के) अंतिम तारीख से पूर्व स्वीकृति अधिकारी के पूर्वानुमोदन से अनुरोध किया जाएगा। बोलीदाताओं को यह अधिकार होगा कि वे अपनी बयाने की राशि के जब्त किए बिना इस तरह के विस्तार को मंजूर करने से मना कर दे लेकिन जो बोलीदाता अपनी बोली की वैधता का विस्तार कराने के इच्छुक हैं उन्हें बयाने की राशि के समुचित विस्तार की व्यवस्था करनी होगी।

110.33 बोलीदाताओं की कार्योत्तर योग्यताः यदि बोलीदाताओं की पूर्व योग्यता निर्धारित नहीं की गई है तो कार्यान्यवन एजेंसी यह निर्णय लेगी कि क्या उस बोलीदाता के पास जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित लागत पेश करने वाली बोली निर्धारित की गई है, बोली में यथाप्रस्तावित संविदा को प्रभावी रूप से पूरा करने की क्षमता और संसाधन उपलब्ध हैं। इस संबंध में जिन मानदण्डों की पूर्ति की जानी है उनका उल्लेख निविदा दस्तावेजों में किया जाएगा और यदि बोलीदाता उन मानदण्डों की पूर्ति नहीं कर पाता है तो बोली नामंजूर कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में कार्यान्वयन एजेंसी अगले न्यूनतम मूल्यांकित बोलीदाता के बारे में इसी प्रकार के निर्धारण की कार्रवाई करेगी।

110.34 संविदा प्रदान करनाः

(क) कार्यान्वयन एजेंसी निविदाओं की वैधता अवधि के भीतर ऐसे बोलीदाता को संविदा प्रदान करेगी जोकि क्षमताओं और संसाधनों के समुचित मानकों की पूर्ति करता हो और जिसकी बोली (i) निविदा दस्तावेज के प्रति पर्याप्त रूप से सुग्राही तथा (ii) न्यूनतम मूल्यांकित लागत पेश करने वाली बोली के रूप में निर्धारित की गई हो।

(ख) मुक्त निविदाओं के उत्तर में प्राप्त एकल प्रस्तावों पर भी निविदा प्रदान करने की दृष्टि से विचार किया जाएगा यदि ऐसा मान लिया जाता है कि प्रचार पर्याप्त था, बोली विशिष्टताएं/शर्तें प्रतिबंधित अथवा अस्पष्ट नहीं थी और बोली के मूल्य वाजिब समझे जाएं।

111. पुनरादेश

111.1 **मुक्त निविदा** पद्धति के अधीन खरीदारी की मात्रा मौजूदा राज्य क्रियाविधि के अनुसार मूलतः आर्डर की गई मात्रा से पुनरादेशों के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है लेकिन ऐसा करने से पूर्व कारण दर्ज किए जाने होंगे किन्तु शर्त यह है कि इस तरह के आदेश पिछली आपूर्ति पूरी किए जाने की तारीख के एक महीने के भीतर दिए जाने चाहिए और साथ ही इस शर्त पर दिए जाने चाहिए कि उनके मूल्य घटे नहीं हैं और यह कि खरीदारी तात्कालिक आधार पर नहीं की गई है।

112. सभी निविदाओं की अस्वीकृति

(क) निविदा दस्तावेजों में आमतौर पर ऐसी व्यवस्था रहती है कि कार्यान्वयन एजेंसी सभी निविदाएं अस्वीकार कर सकती है। सभी निविदाओं की अस्वीकृति तभी उचित है जबकि प्रभावी प्रतियोगिता की कमी हो अथवा जब निविदाएं पर्याप्त रूप से सुग्राही न हों। तथापि प्रतियोगिता की कमी का निर्धारण केवल बोलीदाताओं की संख्या के आधार पर नहीं किया जाएगा। यदि सभी निविदाएं अस्वीकार कर दी जाती हैं तो कार्यान्वयन एजेंसी नई निविदाएं आमंत्रित करने से पूर्व इस तरह अस्वीकार किए जाने के कारणों के औचित्य की समीक्षा करेगी और संविदा, डिजाइन तथा विशिष्टयों, संविदा के कार्य क्षेत्र अथवा इन सबके योग में संशोधन पर विचार करेगी।

(ख) यदि सभी निविदाओं की अस्वीकृति का कारण प्रतियोगिता की कमी है तो और अधिक प्रचार करने पर विचार किया जा सकता है। यदि अस्वीकार करने का कारण यह है कि अधिकांश अथवा सभी निविदाएं अ-सुग्राही हैं तो नई निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं।

(ग) सभी निविदाओं की अस्वीकृति और नई निविदाओं का पुनः आमंत्रण चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो **अनुमोदन के लिए सक्षम अधिकारी को भेजा जाएगा।**

113. सीमित निविदा

(क) पुस्तकों, अध्यापन अधिगम सामग्री, स्कूल उपस्कर सहित वस्तुओं, वाहनों को भाड़े पर लेना तथा उपकरणों के प्रचालन और अनुरक्षण जिसकी अनुमानित लागत राज्यों में मौजूदा वित्तीय सीमा के भीतर अथवा प्रत्येक संविदा से कम है तो इन सबकी अधिप्राप्ति सीमित निविदा प्रणाली के अधीन प्रदत्त संविदाओं के माध्यम से की जाती है।

(ख) सीमित निविदा एक ऐसी अधिप्राप्ति विधि है जोकि विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से जिनकी संख्या आमतौर पर कम से कम तीन होगी जिससे कि प्रतियोगी मूल्य सुनिश्चित हो सके मूल्य भावों की तुलना करने पर आधारित है। **सीमित निविदा पूछताछ केवल उन कम्पनियों को भेजी जाएगी जोकि अनुमोदित ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं की सूची में शामिल हैं।**

(ग) भावों के लिए अनुरोध करते समय विवरण, विशिष्टियां, वस्तुओं की मात्रा और साथ ही वांछित आपूर्ति समय और स्थान का निर्देश किया जाना होगा। टेलेक्स अथवा फैसीमाइल द्वारा भी भाव प्राप्त किए जा सकेंगे। मूल्यांकन के लिए ठोस सरकारी अथवा निजी क्षेत्र परिपाटियों का पालन किया जाएगा। स्वीकृत प्रस्ताव की शर्तें क्रय आदेश में शामिल की जाएगी।

113.1 सीमित निविदा अवधि के लिए पालन किए जाने वाले उपाय

(क) क्रय के लिए मदें अभिज्ञात करना,

(ख) अभिज्ञात मदों के लिए विशिष्टियां निर्धारित करना,

(ग) अनुमानित यूनिट लागतों के आधार पर अभिज्ञात मदों की कुल संख्या और लागत का अनुमान लगाना,

(घ) ऐसी संभावित एजेंसियों की पहचान करना जिनसे भाव मंगाए जा सकते हैं (कम से कम तीन लेकिन आठ-दस एजेंसियों के होने पर और अधिक प्रतियोगी दर सुनिश्चित की जा सकेगी),

(ड.) विशिष्टियों, अनुमानित लागत और जिन एजेंसियों से भाव मंगाए जाएंगे उन एजेंसियों सहित खरीदी जाने वाली मदों के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करना।

(च) मंजूरी के आधार पर भाव आमंत्रित करने के पत्र जारी करना,

(छ) प्राप्त हुए भावों पर कार्रवाई करना, आपूर्ति के लिए आर्डर देने के निमित्त सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करना,

(ज) आपूर्ति के लिए आर्डर देने संबंधी पत्र जारी करना जिसमें आपूर्ति पूरी करने की अवधि निर्दिष्ट की गई हो,

(झ) उपयुक्त गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उत्पादन स्थल (आपूर्ति से पहले) पर मदों का निरीक्षण सुनिश्चित करना। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि इस तरह का निरीक्षण कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा गठित एक समूह द्वारा किया जाएगा।

(ञ) मदों की सामयिक आपूर्ति सुनिश्चित करना, तथा

(ट) संतोषजनक स्थिति में आपूर्ति के बाद भुगतान करना।

114. एकल निविदा

(क) एकल निविदा प्रणाली ऐसी वस्तुओं के मामले में अपनाई जाती है जोकि विशिष्ट रूप से स्वामित्व प्रकृति के रूप में प्रमाणित है अथवा ऐसे मामलों में जिनमें मांगी गई वस्तुओं का निर्माण करने वाली कम्पनी एक विशिष्ट कम्पनी है। पुस्तकों, अध्यापन सामग्री, स्कूल सुविधा सुधार, वाहनों को भाड़े पर लेना और उपकरणों के प्रचालन और अनुरक्षण आदि सहित वस्तुएं एकल निविदा पद्धति के अधीन प्रदत्त संविदाओं के माध्यम से खरीदी जा सकती हैं।

(ख) बिना प्रतियोगिता वाली एकल निविदा पद्धति निम्न स्थितियों में एक उपयुक्त विधि होगीः

(i) निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार प्रदत्त तथा आर्थिक आधार पर उचित वस्तुओं की मौजूदा संविदाओं का विस्तार,

(ii) उपकरण अथवा कलपुर्जों को मौजूदा उपकरण के अनुकूल बनाए जाने के निमित्त मानकीकरण के कारण मूल आपूर्तिकर्ता से अतिरिक्त खरीद करना उचित हो सकता है,

(iii) आवश्यक मद स्वामित्व वाली है और केवल एक स्रोत से प्राप्त की जा सकती है,

(iv) खर्चीली देरियों से बचने के लिए शीघ्र आपूर्ति की जरूरत तथा

(v) अपवादात्मक मामलों में जैसेकि प्राकृतिक आपदाओं के समय जवाबी कार्रवाई के रूप में।

(ग) एकल निविदा पद्धति के अधीन आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (डीजीएस एंड डी) तथा राज्य सरकारों की दर संविदाएं भी उचित विधि होंगी।

115. निविदा के बिना अधिप्राप्ति

115.1 जिन वस्तुओं अथवा वस्तुओं के समूह की खरीदारी का मूल्य प्रत्येक मौके पर राज्य में मौजूदा वित्तीय सीमा से कम है उनकी खरीदारी निविदाएं/भाव मंगाए बिना की जा सकती है बशर्ते कि ऐसा करने में खरीदारी को बांटना नहीं पड़ता।

116. समुदायों के माध्यम से अधिप्राप्ति

116.1 एसएसए में बीआरसी और एसआईईएमएटी को छोड़कर सभी निर्माण कार्य सामुदायिक सह भागिता से पूरे किए जाने जरूरी हैं। जिन स्थानों पर समुदाय बीआरसी का निर्माण कर देने में सक्षम है उनमें इस तरह का काम समुदाय को सौंप दिया जाएगा। स्कूल प्रबंध समिति/ग्राम शिक्षा समिति/शिक्षा संबंधी ग्राम पंचायत समिति लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से सिविल निर्माण कार्य करेगी। राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी उन समितियों के बारे में निर्णय लेगी जिन्हें सिविल निर्माण कार्य सौंपे जाने हैं।

116.2 समिति या तो सीधे ही निर्माण कार्य कर सकती है अथवा समुदाय से श्रम के रूप में योगदान जुटा सकती है; अथवा

116.3 स्थानीय कुशल कामगारों की सहायता से मूल्य दर/यूनिट दर प्रणाली के अधीन कार्य पूरा कराया जा सकता है,

116.4 जहां कहीं व्यवहार्य और उपलब्ध हो वहां सामग्री की खरीद सामग्री के साथ बेहतर हो आईएसआई प्रमाणन चिन्ह के साथ की जाए।

116.5 सामग्री की खरीद के लिए एसपीडी इन समितियों को सामान्य अधिप्राप्ति मार्गदर्शी सिद्धान्त उपलब्ध करा सकता है।

116.6 क्योंकि समुदाय का सहयोजन बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए जो समिति इलाके में स्थानीय रूप से काम कर रही है उसी को अभिज्ञात किया जाना चाहिए। गांवों और छोटे स्थानों पर सोसायटी द्वारा निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए केवल एक समिति अभिज्ञात किए जाने की जरूरत हैः

(क) कि आयोजना और कार्यान्वयन में समुदाय को सक्रिय रूप से सहयोजित किया जाना चाहिए,

(ख) उस व्यक्ति की पहचान जोकि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री अथवा माल की खरीदारी करेगा,

(ग) वस्तुएं/निर्माण कार्य अनुमोदित योजनाओं और विशिष्टियों के अनुसार निष्पादित किए जाएंगे,

(घ) उस इंजीनियर का नाम और पदनाम जोकि निर्माण कार्य के दौरान तकनीकी पर्यवेक्षण और प्रमाणन करेगा,

(ड.) अवस्थागत भुगतान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं जिसमें पर्यवेक्षीय इंजीनियर द्वारा इस बात की पुष्टि करते हुए कि उस अवस्था तक का कार्य अनुमोदित योजनाओं और तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप पूरा कर लिया गया है प्रत्येक अवस्था पर जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र शामिल है।

निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित अग्रिम भुगतान

अग्रिम (कार्य की शुरूआत और लिंटल स्तर तक पहुंचने तक के लिए अभिप्रेपरण अग्रिम)	:	कुल लागत का 75%
प्लास्टर करना और कार्यपूर्ति	:	कुल लागत का 25%
स्कूल टायलेट तथा अन्य मरम्मत कार्य		
अग्रिम (कार्य शुरू करने पर अभिप्रेरण अग्रिम)	:	कुल लागत का 75%
प्लास्टर करना और कार्यपूर्ति	:	कुल लागत का 25%

117. एसएसए के अधीन प्रमुख मदों के लिए प्रयुक्त अधिप्राप्ति की विधि

117.1 पाठ्यपुस्तकें

(क) राज्य पाठ्यपुस्तक निगम, एनसीईआरटी आदि से एकल निविदा प्रणाली पद्धति (सीधे संविदा निष्पादित करना) अथवा

(ख) राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण अथवा खरीद के लिए मुक्त निविदा प्रणाली।

117.2 कम्प्यूटर (हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा कलपुर्जे)

(क) अधिकांश राज्यों ने कम्प्यूटर प्रणाली की अधिप्राप्ति और अनुरक्षण के लिए नीतियां तैयार कर ली हैं। राज्य कार्यान्यवन सोसायटी को कम्प्यूटरों और इसके कलपुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए इन क्रियाविधियों का पालन करना चाहिए। अधिप्राप्ति की क्रियाविधि निम्न में से कोई एक हो सकती हैः

(i) सीमति निविदा प्रणाली--निविदाएं राज्य अनुमोदित सूची में शामिल विक्रेताओं से प्राप्त की जाती हैं।

(ii) राज्य इलेक्ट्रोनिक निगमों/आई टी विभाग/अन्य राज्य एजेंसियों के माध्यम से अधिप्राप्ति बशर्ते कि वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि का पालन करते हों।

(iii) मुक्त निविदा प्रणाली

(ख) तकनीकी विशिष्टताएं बाजार में उपलब्ध अद्यतन प्रौद्योगिकी के सन्दर्भ में बहुत स्पष्ट होनी चाहिए।

(ग) एक क्रय समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें राज्य में आईटी विभाग का एक विशेषज्ञ सदस्य के रूप में होना चाहिए।

(घ) एक मूल्यांकन समिति को एक समुचित तकनीकी और वाणिज्यिक मूल्यांकन करना चाहिए और इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।

117.3 छपाई का काम

(क) छपाई के काम में मुख्यतः प्रश्नपत्रों, अध्यापक निर्देशिका, सूचनापत्रों, बुकलेटों, पोस्टरों, प्रशिक्षण माड्यूलों को छपाई शामिल रहती है। किसी भी तरह के छपाई के काम के लिए निविदाएं/भाव मंगाते समय इन बातों का उल्लेख होना चाहिएः परीक्षण् और कवर के लिए कागज की कोटि, पुस्तक/लेख का आकार, पृष्ठों की संख्या आदि।

(ख) कराए जाने वाले काम के मूल्य पर निर्भर रहते हुए अधिप्राप्ति की विधि निम्न में से एक होगीः

(i) राज्य सरकार द्वारा छपाई के लिए अनुमोदित दर संविदा

(ii) सीमित निविदा प्रणाली – मुद्रकों की अनुमोदित सूची में से कम से कम तीन भाव मंगाए जाने चाहिए। कार्य आदेश देने से पूर्व मुद्रक की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता का पता लगा लेना चाहिए।

(iii) मुक्त निविदा प्रणाली

118. सेवा संविदाएं

118.1 एसएसए में सेवा संविदाओं में गृह व्यवस्था/सुरक्षा, भाड़े पर सेवाएं लेने से लेकर एसआईईएमएटी का निर्माण कार्य शामिल है। इसमें अनुसंधान, मूल्यांकन, मानीटरन, सिविल निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण आदि सहित सभी क्षेत्रों में संस्थानों/संगठनों द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक, तकनीकी और संसाधन सहायता भी शामिल है।

118.2 चयन प्रक्रिया को शासित करने वाले मुख्य तत्व इस प्रकार होंगे (क) उच्च्व स्तरीय सेवाओं की जरूरत (ख) किफायत और प्रभाविता की जरूरत तथा (ग) पारदर्शिता का महत्व।

118.3 चयन प्रक्रियाः चयन प्रक्रिया में निम्न कार्रवाइयां शामिल होंगीः

(क) विस्तृत और स्पष्ट कार्यक्षेत्र और विशिष्टताओं सहित विचारार्थ विषय (टीओआर) तैयार करना।

(ख) लागत अनुमान और बजट तैयार करना।

(ग) विज्ञापन,

(घ) परामर्शदाताओं की छंटाई करने के बाद संक्षिप्त सूची तैयार करना,

(ड.) प्रस्तावों की प्राप्ति,

(च) मूल्यांकन समिति का गठन,

(छ) तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों का मूल्यांकन, तथा

(ज) अन्तिम चर्चा और चुनी गई कम्पनी को संविदा प्रदान करना।

118.4 उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का उल्लेख करते हुए निम्न आधार पर एक सुपरिभाषित विचारार्थ विषयों की सूची तैयार की जानी चाहिएः

(क) पृष्ठभूमि जानकारी,

(ख) लक्ष्यों का एकदम सही वर्णन,

(ग) किए जाने वाले कार्यों की एक रूपरेखा,

(घ) कार्यों की पूर्ति के लिए एक समय सूची

(ड.) ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता/इन्पुट

(च) निम्न प्रयोजनों के लिए निर्माण कार्यों और क्रियाविधियों के मानीटरन के लिए समीक्षा समिति का गठन

(i) मध्यावधिक समीक्षा और प्रगति रिपोर्टें

(ii) रिपोर्ट के अन्तिम प्रारूप की समीक्षा

(छ) प्रमुख कार्मिकों की सूची जिनके सीवी और अनुभव का मूल्यांकन किया जाएगा।

118.5 लागत अनुमान अथवा बजट, नियत कार्य, स्टाफ समय संभारतंत्रीय सहायता और भौतिक इन्पुटों (जैसेकि वाहन तथा प्रयोगशाला उपकरण) के लिए अपेक्षित संसाधनों को लेकर कार्यान्वयन अधिकारियों के मूल्यांकन पर आधारित होगा। लागतें दो स्थूल श्रेणियों में बांटी जाएंगी (क) फीस अथवा मानदेय और (ख) प्रतिपूर्तियोग्य।

118.6 विज्ञापन (रुचि की अभिव्यक्ति पता लगाने के लिए) व्यापक प्रचलन वाले क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचारपत्रों में छापे जाएंगे।

118.7 प्राप्त होने वाली रुचि अभिव्यक्ति की छंटाई की जाएगी जिसका आधार विज्ञापन में निर्दिष्ट संगत अर्हता और अनुभव होंगे।

118.8 छंटाई के बाद तैयार की गई कम्पनियों/संस्थानों से दो लिफाफा प्रणाली के अधीन प्रस्ताव मांगे जाएंगे अर्थात तकनीकी प्रस्ताव एक लिफाफे में और वित्तीय प्रस्ताव दूसरे लिफाफे में।

118.9 तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के लिए अलग-अलग मूल्यांकन समितियों का गठन किया जाएगा और ये समितियां कम्पनियों/संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करेंगी।

118.10 प्रस्तावों का मूल्यांकन दो स्तरों पर किया जाएगाः पहले गुणवत्ता और बाद में लागत। तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकनकर्ताओ को वित्तीय प्रस्ताव तब तक सुलभ नहीं कराए जाएंगे जब तककि तकनीकी मूल्यांकन पूरा नहीं कर लिया जाता। तकनीकी मूल्यांकन टीओआर की सुग्राहिता पर आधारित होगा। तकनीकी मूल्यांकन समिति प्रस्ताव के तकनीकी पक्षों पर एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट मूल्यांकन के परिणामों को प्रमाणित करेगी और प्रस्तावों की सापेक्ष क्षमताओं और दुर्बलताओं का वर्णन करेगी। मूल्यांकन सम्बन्धी सभी रिकार्ड जैसेकि अलग-अलग अंकतालिकाएं, कार्यक्रम और लेखापरीक्षा पूरी होने तक रखे जाएंगे। अन्तिम प्रस्ताव इसके बाद ही खोले जाएंगे।

118.11 गुणवत्ता सम्बन्धी मूल्यांकन पूरा कर लिए जाने के बाद कार्यान्वयन एजेंसी उन परामर्शदाताओं को सूचित करेगी जिनके प्रस्तावों को न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त नहीं हो सके थे अथवा जिनके प्रस्तावों को टी.ओ.आर. की दृष्टि से अ-सुग्राही समझा गया था, जिसमें उन्हें यह बता दिया जाएगा कि उनके वित्तीय प्रस्ताव चयन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद बिना खोले ही लौटा दिए जाएंगे। कार्यान्वयन एजेंसी उसी समय उन परामर्शदाताओं को सूचित करेगी कि जिन्होंने

न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लिए हैं तथा वित्तीय प्रस्ताव खोलने के समय और तारीख की बाबत सूचना देगी। खोलने की तारीख अधिसूचना की तारीख से दो सप्ताह से पहले नहीं होगी। वित्तीय प्रस्तावों सम्बन्धी मूल्यांकन समिति वित्तीय प्रस्ताव कम्पनी/संस्थान के जो प्रतिनिधि ऐसे मौके पर उपस्थित रहने के इच्छुक हों, उनकी उपसथिति में सार्वजनिक रूप से खोलेगी। कम्पनी/संस्थान का नाम, गुणवत्ता अंक और प्रस्तावित मूल्य जोर से पढ़कर सुनाए जाएंगे और वित्तीय प्रस्ताव खोले जाते समय दर्ज किए जाएंगे। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सार्वजनिक रूप से खोलने का कार्यवृत्त तैयार किया जाएगा।

118.12 चुनी गई कम्पनी/संस्थान के साथ निम्न मुद्दों पर अन्तिम चर्चा की जाएगीः

(क) चुनी गई कम्पनी को प्रमुख स्टाफ को बदलने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत नहीं हो जाते कि चयन की प्रक्रिया में अत्यधिक देरी के कारण ऐसी अदला-बदली अपरिहार्य है आवा यह कि प्रदत्त कार्य के लक्ष्यों की पूर्ति की दृष्टि से इस तरह के बदलाव महत्वपूर्ण हैं।

(ख) वित्तीय चर्चा में कम्पनियों/संस्थानों की करदेयता और इस करदेयता को कैसे पूरा किया जाएगा--इससे सम्बन्धित स्पष्टीकरण संविदा में उल्लिखित किया जाएगा।

(ग) यदि इन चर्चाओं के बल पर एक स्वीकार्य संविदा नहीं उभरती तो कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिकारी इस प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे और पहली कम्पनी/संस्थान को चर्चा समाप्त किए जाने के कारण सूचित करने के बाद चर्चा के लिए सूची में अगले स्थान वाली कम्पनी/संस्थान को आमंत्रित करेंगे। प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा कर लिए जाने के बाद कार्यान्वयन एजेंसी छंटाई करने के बाद तैयार की गई सूची में शामिल सभी अन्य कम्पनियों को यह सूचित कर देंगी कि वे सफल नहीं हो सकी हैं।

119. सभी प्रस्तावों की अस्वीकृति और पुनःआमंत्रण

119.1 वस्तुओं और निर्माण कार्य की अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित क्रियाविधि सेवा संविदा के मामले में भी लागू होगी।

120. गैर-सरकारी संगठन

120.1 अपेक्षित सेवाओं का कार्यक्षेत्र/निर्माण कार्य की विशिष्टता विज्ञापन अथवा प्रकाशित बुकलेट में दी जाएगी।

120.2 अन्य सेवाओं की तर्ज पर उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं निर्दिष्ट करते हुए सुपरिभाषित विचारार्थ विषय तैयार किए जाएंगे।

120.3 गठित की गई एक मूल्यांकन समिति टीओरआर में वर्णित निर्माण कार्य की विशिष्टता और कार्यक्षेत्र के आधार पर छंटाई करके एनजीओ की एक सूची तैयार करेगी।

120.4 छंटाई के बाद तैयार की गई सूची में एनजीओ का चयन करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्न मानदण्डों को ध्यान में रखा जाएगाः

(क) एनजीओ के पास इसी तरह के प्रदत्त कार्य के लिए प्रमाणित रिकार्ड होना चाहिए।

(ख) इसमें बड़ी संख्या में ऐसा अनुभवी क्षेत्रीय स्टाफ शामिल होना चाहिए जो स्थानीय संस्कृति और भाषा का तथा लाभग्राही समूहों के समाजार्थिक आयामों का जानकार हो।

(ग) इसे एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए अथवा इसके पास अन्य निगमित दर्जा होना चाहिए।

(घ) इसके पास प्रदत्त कार्य के लिए आबंटित निधियों के अलग से रिकार्ड और लेखांकन तथा लेखापरीक्षा की सुविधा होनी चाहिए।

(ड.) इसमें आन्तरिक स्थिरता होनी चाहिए ताकि दीर्घकालीन सहायता सुनिश्चित की जा सके, तथा

(च) इसे केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) अथवा काउंसिल आफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालाजी (कैपार्ट) द्वारा काली सूची में डाला हुआ नहीं होना चाहिए।

120.5 एनजीओ की नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्तावों का आरम्भ में इस प्रयोजन के लिए गठित मूल्यांकन समिति द्वारा डेस्क-मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसके उपयुक्त पाए जाने पर चयन से पूर्व उसका क्षेत्र-मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

120.6 मूल्यांकन समिति, आवश्यक समझने पर चुने गए एनजीओ के साथ चर्चा करेगी और उसके बाद राज्य स्तर पर एसएसए की सहायता अनुदान समिति को एनजीओ के नामों की सिफारिश करेगी।

120.7 एनजीओ से प्राप्त हुए प्रस्ताव ईजीएस/एआईई योजना के अधीन एनजीओ का अनुमोदन करने के लिए राज्य में गठित सहायता अनुदान समिति द्वारा डेस्क और क्षेत्र मूल्यांकन पर मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के आधार पर अनुमोदित किए जाने चाहिए।

121. भारत सरकार द्वारा कार्योत्तर समीक्षा

121. ईई ब्यूरो, राज्यों में कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा माल, निर्माण कार्यों और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए प्रदत्त संविदाओं की यादृच्छिक आधार पर कार्योत्तर समीक्षा करेगा। इस प्रयोजन के लिए संविदा प्रदान किए जाने सम्बन्धी सभी दस्तावेज परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा रखे जाने चाहिए और भारत सरकार के समीक्षा दल के समक्ष उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

122. दोषपूर्ण अधिप्राप्ति

122.1 जिस माल, निर्माण कार्य अथवा सेवाओं की अधिप्राप्ति स्थितिअनुसार इस नियम पुस्तिका में निर्धारित कार्यविधियों अथवा राज्य सरकर की अन्य अधिप्राप्ति क्रियाविधियों के अनुसार नहीं की गई है उसे दोषपूर्ण अधिप्राप्ति समझा जाएगा। इस तरह की अधिप्राप्ति पर किया गया खर्च एसएसए निधियों के अधीन वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं होगा।

123. शिकायत पर कार्रवाई करने का तंत्र

123.1 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी शिकायत पर कार्रवाई करने का एक तंत्र उपलब्ध होना चाहिए और शिकायतों के निवारण के लिए शिकायतें प्राप्त होने के तत्काल बाद कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। सभी शिकायतों पर जिस स्तर पर अधिप्राप्ति की प्रक्रिया हाथ में ली जाती है उससे उच्चतर स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए और शिकायतों में किए गए आरोपों की गहराई से जांच की जानी चाहिए। यदि वे सही पाए जाएं तो उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त उपचारी उपाय किए जाने चाहिए।

123.2 यदि कोई विशिष्ट स्टाफ सदस्य जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके विरुद्ध स्थितिअनुसार राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सेवा आचरण नियमावली के अधीन तथा राज्य स्तर पर वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। स्टाफ द्वारा किसी भी अवैध अनुतोष की प्राप्ति को कदाचार समझा जाना चाहिए और उसके फलस्वरूप विधि के अधीन दण्डों के अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जानी चाहिए।

123.3 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए विधि, अनुशासन और अपील नियमावली के अधीन मौजूदा प्रावधानों और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिकारों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।